द्वितीय माला, खण्ड ५२—अंक २३

गुरुवार, १६ मार्च, १९६१
२५ ~~१५~~ फाल्गुन, १८८२ (शाक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ५२ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

१ रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची पृष्ठ

द्वितीय माला, खण्ड ५२--अंक २१ से ३०--१४ से १७ मार्च १९६१/२३ फाल्गुन, १८८२ से ६ चैत्र, १८८३ (शक)

अंक २१ मंगलवार, १४ मार्च, १९६१/२३ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८०४, से ८०८, ८१० से ८१४, ८१६ से ८१९, ८२१, ८२३, ८२५ और ८२७ से ८२९ . . . २३३१—५५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . २३५५–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१५, ८२०, ८२२, ८२४, ८२६ और ८३० से ८४४ . . . . . २३५७—६६

अतारांकित प्रश्न संख्या १५६० से १६४८, १६५० से १६७१ और १६७३ से १६८५ . . . २३६६—२४१६

स्थगन प्रस्ताव--

१. रुद्रसागर स्थित तेल कूप में कथित दुर्घटना . . . २४१६–१७

२. चीनियों द्वारा भारतीय क्षेत्र का कथित अतिक्रमण . . २४१८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

नागा विद्रोहियों द्वारा रेलगाड़ी पर आक्रमण . . . २४१८–१९

सभा पटल पर रखा गया पत्र--

उड़ीसा विनियोग विधेयक, १९६१--पारित किया गया . २४२०

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६१—पारित किया गया . २४२०–२१

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा . २३२१—५१

रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक--

विचार के लिए प्रस्ताव २४५१—५३

"पूर्व की यात्रा करो" वर्ष के बारे में आधे घंटे की चर्चा २४५४—५८

दैनिक संक्षेपिका २४५९—६६

अंक २२--बुधवार, १५ मार्च, १९६१/२४ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या ८४५ से ८५८ . २४६७—९१

विषय-सूची | पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८६२ . . . २४६१--२५०७

अनारांकित प्रश्न संख्या १६८६ से १७३६, १७३८ से १७८२ और १७८४ से १७६२ . . . . . २५०७--५३

दिनांक १८-१२-५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २००५ के उत्तर में शुद्धि २५५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

अमेरिकी गेहूं . . . २५५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २५५५--५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

उनासीवां प्रतिवेदन २५५६

सभा का कार्य २५५६--५७

समिति के लिए निर्वाचन--

प्रविधिक शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद २५५७

रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक--

विचार के लिए प्रस्ताव २५५७--६१

खंड २, ३ और १ . २५६०

पारित करने का प्रस्ताव . २५६१

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा . . २५६१--६४

आरामदेह कारों के आयात के बारे में--आधे घंटे की चर्चा . . २५६३--६६

दैनिक संक्षेपिका . २५६७--२६०४

अंक २३--गुरुवार, १६ मार्च, १९६१/२५ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८६३, ८६४, ८६६, ८६७, ८६६ से ६०७ और ६०६ २६०५--३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ २६३०--३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८६५, ८६८, ६०८ और ६१० से ६२५ २६३२--४०

अनारांकित प्रश्न संख्या १७६३ से १८४३ २६४०--६०

विषय सूची | पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

चल सम्पत्ति और बैंकों में जमा धन के बारे में भारत-पाकिस्तान वार्ता की कथित असफलता २६६०--६२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २६६२-६३

नमक उपकर (संशोधन) विधेयक--पुरस्थापित . २६६३

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा . . . २६६३--२७१४

दैनिक संक्षेपिका २७१५--१६

अंक २४--शुक्रवार, १७ मार्च, १९६१/२६ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९२६ से ९२९, ९३२ से ९३७, ९४० से ९४३, ९४५, ९४७, ९४८, ९५० और ९५१ २७२१-४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९३०, ९३१, ९३८, ९३९, ९४४, ९४६, ९४९ और ९५२ . . २७४५--४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १८४४ से १९१५ २७४८--७७

स्थगन प्रस्ताव--

सिक्किम और भूटान की सीमा पर चीन द्वारा कथित सैनिक तैयारियां २७७७--७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

दण्डकारण्य के शरणार्थियों का पुनर्वास २७७९--८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २७८१--८३

राज्य सभा से सन्देश . . २७८३

तारांकित प्रश्न संख्या ४५ के उत्तर में शुद्धि . २७८३--८४

सभा का कार्य . २७८४

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा . . २७८४--२८१०

लेखा अनुदानों की मांगें, १९६१-६२ . २८११--१६

विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, १९६१--पारित २८१६--१७

बीमा (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव २८१७-१८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

उनासीवां प्रतिवेदन २८१८

विषय-सूची	पृष्ठ
सरकारी कर्मचारियों के कार्मिक संघों के कार्यवाहियों के बारे में संकल्प—	
अस्वीकृत	२८१६—२२
सभी प्रादेशिक भाषाओं के लिये देवनागरी को सामान्य लिपि बनाने के बारे में संकल्प	२८२२—४०
दैनिक संक्षेपिका . .	२८४१—४७

अंक २५—सोमवार, २० मार्च, १९६१/२९ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९५३ से ९६३ . .	२८४९—७१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९६४ से ९८७ . . .	२८७१—८२
अतारांकित प्रश्न संख्या १९१६ से १९७०, १९७२ से १९८० और १९८२ से १९९१	२८८३—२९१८
विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में	२९१८
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	२९१८
राज्य सभा से सन्देश . .	२९१८-१९
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . .	२९१९
तम्बारम् के निकट विमान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	२९१९-२०
श्री कृष्ण मेनन .	
बीमा (संशोधन) विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव	२९२०—२६
खण्ड २, ३ और १ .	२९२०—२३
पारित करने का प्रस्ताव . . .	२९२३—२६
अनुदानों की मांगें—	
शिक्षा मंत्रालय	२९२७—७६
दैनिक संक्षेपिका	२९७७—८२

अंक २६—मंगलवार, २१ मार्च, १९६१/३० फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८८ से ९९५, १००९, ९९६, ९९९, १००० से १००३ और १००५	२९८३—३००९
तारांकित प्रश्न संख्या ९९० के उत्तर में शुद्धि .	२९८८—९०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ .	३००९—१०

विषय सूची पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ९९७, ९९८, १००४, १००६ से १००८ और १०१० से १०१६ . . . . . . ३०१०—१६
अतारांकित प्रश्न संख्या १९९२ से २०४१ और २०४४ से २०५५ . ३०१६—४५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३०४५
बिहार और उड़ीसा में सीमेंट की कमी
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०४५-४६
राज्य-सभा से सन्देश ३०४६
औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक—
राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा-पटल पर रखा गया । ३०४६
अनुदानों की मांगें . . . ३०४६—३११०
स्वास्थ्य मंत्रालय . . . ३०४७—९३
वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . . ३०९४—३११०
दैनिक संक्षेपिका . . . . ३१११—१६
अंक २७—बुधवार, २२ मार्च, १९६१/१ चैत्र, १८८३ (शक)
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १०१७, १०१८ और १०२० से १०३५ . ३११७—४२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १०१९, १०३६ से १०४३ . ३१४२—४५
अतारांकित प्रश्न संख्या २०५६ से २११५ और २११७ से २१३७ . ३१४६—७९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
राजस्थान में बाली दुर्ग में विस्फोट ३१७९-८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र ३१८०-८१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अस्सीवां प्रतिवेदन ३१८१
सदस्य द्वारा वक्तव्य में शुद्धि ३१८१
अनुदानों की मांगें—
वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . . ३१८२—३२०३
सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . . . ३२०४—३७
उड़ीसा में प्राथमिक तथा माध्यमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३२३७-३८
दैनिक संक्षेपिका . ३२३९—४४

विषय सूची—(जारी)

	पृष्ठ
अंक २८—गुरुवार, २३ मार्च, १९६१/२ चैत्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०४७, १०४८, १०४६, १०४९, १०५०, १९५२ से १०५८, १०६१, १०६३ और १०६५	३२४५—७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०४४, १०४५, १०५१, १०५९, १०६०, १०६२, १०६४ और १०६६ से १०८० . . .	३२७०—७९
अतारांकित प्रश्न संख्या २१३८ से २१८१ और २१८३ से २२०६ .	३२७९—३३०७
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
दिल्ली में सरकार द्वारा अर्जित भूमि का आवंटन	३३०७
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३३०७
प्राक्कलन समिति	
एक सौ दसवां प्रतिवेदन . .	३३०७
अनुदानों की मांगें	३३०७—५६
सूचना और प्रसारण मंत्रालय . .	३३०७—३६
विधि मंत्रालय	३३३७—५६
दैनिक संक्षेपिका .	३३५७—६१
अंक २९—शुक्रवार, २४ मार्च, १९६१/३ चैत्र, १८८३ (शक)	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण .	३३६३
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०८१ से १०८५, १०८७ से १०९४ और १०९७	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . .	३३६३—९०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०८६, १०९५, १०९६ और १०९८ से ११०७	३३९०—९७
अतारांकित प्रश्न संख्या २२०७ से २२५८ और २२६० से २२९९ .	३३९७—३४२३
राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में वक्तव्य . .	३३२४—३०
श्री जवाहरलाल नेहरू	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . .	३४३०—३१

विषय सूची--(जारी) पृष्ठ

प्राक्कलन समिति—

एकसौ उन्नीसवां प्रतिवदन ३४३१

सभा का कार्य . ३४३१–३२

अनुदानों की मांगें . ३४३२—४८

विधि मंत्रालय . . . . . ३४३२—४८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अस्सीवां प्रतिवेदन . . ३४४६

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक के बारे में ३४४६

पुरस्थापित किये गये विधेयक : ३२४६–५०

१. दानकर (संशोधन) विधेयक, १६६१ (धारा २२, २३, २५, २६ और ३५ का संशोधन) [श्री रामकृष्ण गुप्त का] . ३४४६

२. भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, १६६१ (धारा ६८ और ६६ का संशोधन) [श्री रामकृष्ण गुप्त का] . . . ३४४६

३. सहायक बैंक विलय विधेयक, १६६१ [श्री रामकृष्ण गुप्त का] ३४५०

४. संविधान (संशोधन) विधेयक, १६६१ (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) [श्री चे० रा० पट्टाभिरामन का] . . ३४५०

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (नये अध्याय ५कक का रखा जाना) [श्री त० ब० विट्ठल राव का] वापिस लिया गया

विचार के लिये प्रस्ताव . . . . . ३४५०—५८

तेलों का जमाये जाने पर रोक विधेयक [श्री झूलन सिंह का]—

विचार के लिये प्रस्ताव . . . . ३४५६—६२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३४६३—६८

अंक ३०—सोमवार, २७ मार्च, १६६१/६ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से ११११, १११३ से १११५, १११७ से ११२१, ११२३, ११२६ से ११२८ और ११२४ ३४६६—६४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ ३४६४—३५०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०८, १११२, १११६, ११२२, ११२५ और ११२६ से ११३५ . . . . . ३५०१—०६

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७० से २३६० और २३६२ से २३७३ . ३५०६—५७

विषय-सूची—जारी पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३५५७–५८
दामोदर घाटी निगम के कलकत्ता क्षेत्र को पर्याप्त बिजली का न मिलना
उड़ीसा में मध्यावधि चुनाव के बारे में वक्तव्य . . . ३५५८–५९
१९६१ की भारत की जनगणना के बारे में वक्तव्य . ३५५९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५६०
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ३५६०
प्राक्कलन समिति—
एक सौ ग्यारहवां प्रतिवेदन . . ३५६०
उड़ीसा का आय-व्ययक—१९६१–६२—उपस्थापित . . ३५६१—६६
अनुदानों की मांगें—
गृह-कार्य मंत्रालय . . . . . ३५६६—३६१४
दैनिक संक्षेपिका . . . ३६१५—२१

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वातस्व में पूछा था ।

G GIPND—LS III—123(Ai) LSD—12-5-61—125.

लोक-सभा वाद विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, १६ मार्च, १६६१

२५ फाल्गुन, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारत के बारे में रूसी मानचित्र

+

†*८६३. { श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री पांगरकर :
श्री हेम राज :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० गं० देब :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५९ में जो रूसी मानचित्र प्रकाशित हुए हैं उनमें सिक्किम और भूटान को स्वतन्त्र राज्य दिखाया गया है जबकि १९५४ में प्रकाशित रूसी मानचित्रों में उन्हें भारत के अन्दर दिखाया गया था; और

(ख) क्या सरकार ने रूस सरकार से इस बारे में कोई पूछताछ की है कि इन मानचित्रों में यह परिवर्तन कैसे किया गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) इन अशुद्धियों की ओर रूसी सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या सरकार इस नक्शे को रूसी नीति में परिवर्तन के संकेत के रूप में लेती है अथवा यह एक अशुद्धि मात्र है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

2374(Ai)LSD—1

†**श्री सादत अली खां :** हमने अपनी सीमायें प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति को सर्वथा स्पष्ट बता दी हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से, परम्परा की दृष्टि से और अन्यथा भी हमारी सीमायें अत्यन्त स्पष्ट हैं। अन्य लोग क्या प्रकाशित करते हैं उसका कोई विशेष महत्व नहीं है।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** इस नक्शे के सम्बन्ध में रूसी सरकार के साथ कब से लिखापढ़ी चल रही है और क्या उसके सम्बन्ध में रूसी सरकार से कोई निश्चित उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**श्री सादत अली खां :** इस मामले की ओर सर्वप्रथम १९५५ में हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था। तब से हम अनेक बार रूसी सरकार को (१९५७, १९५८, १९५९ और पिछली बार नवम्बर, १९६० में) उन अशुद्धियों के सम्बन्ध में याद दिला चुके हैं।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या कोई निश्चित उत्तर प्राप्त हुआ है या नहीं ?

†**श्री सादत अली खां :** नहीं श्रीमान्, अभी तक हमें कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय :** जिन लोगों ने इस प्रश्न की सूचना दी थी मैं उनको एक-एक करके पुकारूंगा। श्री पांगरकर—अनुपस्थित; श्री हेमराज—अनुपस्थित; श्री अनिरुद्ध सिंह—अनुपस्थित; श्री अजित सिंह सरहदी—अनुपस्थित। श्री प्र० गं० देव।

†**श्री प्र० गं० देव :** क्या समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत इस एटलस के भारत में आयात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

†**श्री सादत अली खां :** मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में पूर्वसूचना चाहूंगा।

†**श्री गोरे :** सभा-सचिव ने कहा कि पिछले चार या पांच वर्षों से लिखापढ़ी और बातचीत चल रही है। यदि इसके बावजूद ऐसे नकशे प्रकाशित किये जाते हैं तो सरकार उसे भूल समझती है अथवा वैसा जानबूझ कर किया गया है ?

†**श्री सादत अली खां :** हम रूसी सरकार से सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उसका क्या कारण है।

†**श्री कासलीवाल :** माननीय सभा-सचिव ने प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में हां कहा है। भाग (क) में कहा गया है कि १९५४ में प्रकाशित रूसी नक्शों में सिक्किम और भूटान को भारत के अन्दर दिखाया गया था जबकि १९५९ में प्रकाशित नक्शों में उन्हें स्वतंत्र राज्य दिखाया गया है। क्या रूसी सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि १९५९ के नक्शों में यह परिवर्तन क्यों किया गया है ?

†**श्री सादत अली खां :** माननीय सदस्य का कथन सही है। उनका ध्यान इसी तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है।

†**श्रीमती रेणुका राय :** माननीय सभा-सचिव ने कहा और मैं समझती हूं कि मैंने ठीक सुना है कि इस सम्बन्ध में १९५५ से लिखापढ़ी चल रही है। क्या इसका मतलब यह है कि यह परिवर्तन १९५५ से चला आ रहा है और वैसा १९५९ में नहीं किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सादत अली खां : अनेक संस्करण प्रकाशित हुए हैं और प्रत्येक में थोड़ी बहुत अशुद्धियां हैं । जब भी कोई संस्करण प्रकाशित होता है हम रूसी सरकार को उसके बारे में लिखते हैं ।

†श्रीमती रेणुका राय : कोई उत्तर ही नहीं आया अथवा कोई निश्चित उत्तर नहीं आया है ?

†श्री सादत अली खां : अभी तक कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी महोदय को मालूम है कि रूस ने जो मैप छापा है वह चीन के नक्शों की नकल है, भारत के नक्शों को उन्होंने नहीं माना है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने कोई लिखा पढ़ी की है कि उन्होंने भारत के नक्शे को आधार क्यों नहीं माना और चीन के नक्शे की नकल क्यों की है ?

श्री सादत अली खां : मैं यही तो अर्ज कर रहा था, कि इस सवाल को उन के साथ उठाया गया है ।

†श्री हेम बरुआ : चूंकि सरकारी दलों के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट हो गया है कि चीन भारत के सिक्किम और भूटान के साथ सम्बन्धों को नहीं मानता है इसलिए क्या ये रूसी नक्शे भारत के सम्बन्ध में चीनी दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें नवीनतम स्थिति की जानकारी कराने का प्रयत्न किया है ?

†श्री सादत अली खां : दोनों प्रश्नों का उत्तर 'हां' है ।

†श्री तंगामणि : मैं प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि १९५५ में किस प्रकार का अभ्यावेदन किया गया था और १९६० में किस प्रकार का अभ्यावेदन किया गया है ?

†श्री सादत अली खां : अभ्यावेदन प्रायः समान रहा है । नवम्बर, १९६० में वैदेशिक कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने सोवियत दूतावास के सलाहकार से एटलस की अशुद्धियों के सम्बन्ध में बात की थी और सलाहकार ने कहा था कि वह उनकी सूचना अपनी सरकार को भेज देंगे । सोवियत प्राधिकारी जब भी नक्शे प्रकाशित करते हैं तो हम उनका ध्यान उनकी गलतियों की ओर आकर्षित करते हैं ।

†श्री साधन गुप्त : प्रश्न के उत्तर का तात्पर्य यह है कि वह नक्शा इसलिए गलत है कि सिक्किम तथा भूटान को भारत का भाग नहीं दिखाया गया है । क्या सरकार सिक्किम और भूटान को भारत का भाग समझती है ?

†श्री सादत अली खां : पहले के नक्शों में उन्हें भारत के रक्षित देशों के रूप में दिखाया गया था; अब उन्होंने उनको बाहर दिखाया है ।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : क्या रूसियों को संसद और देश की भावनाओं की जानकारी कराई जाती है ?

†श्री सादत अली खां : मैं समझता हूं कि इस सभा में जो कुछ भी होता है उसकी जानकारी वे भली प्रकार रखते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक नमूना संस्था

†*८९४. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दामानी :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १६ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक नमूना संस्था की स्थापना के बारे में फोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा पेश की गई प्रस्थापनाओं के बारे में इस बीच अन्तिम निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका व्योरा क्या है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

यह निर्णय किया गया है कि उद्योग तथा हस्तशिल्पों के गैर-सरकारी तथा सरकारी उद्योग क्षेत्रों के लिए विद्यार्थियों को औद्योगिक नमूनाकार (डिज़ायनर्स) के रूप में उत्तर स्तरीय जिम्मेदारियों के लिए प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से अहमदाबाद में एक औद्योगिक नमूना संस्था स्थापित की जाए । वह वास्तुकला नमूनाकारों को भी उच्च प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगी जिनसे मूलतः स्वतंत्र व्यवसायिक वास्तुशास्त्री के रूप में कार्य करने की आशा की जाती है । इसके अतिरिक्त वह उन उद्योगों और अभिकरणों को भी सेवा प्रदान करेगी जो अपनी उत्पादन, निर्माण और विक्रय योजनाओं में नये तरीकों के नमूने शुरू करना चाहते हैं । आगे चल कर इस संस्था में एक गवेषणा खण्ड खोलने का प्रस्ताव है जो प्रशिक्षण एवं सेवा कार्यक्रमों से निकटतया सम्बद्ध होगा ।

संस्था में लगभग ५० विद्यार्थियों के प्रति वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त करने की योजना है । उसमें एक मुख्य प्रशासक, ७ पूर्ण-कालिक शिक्षक और १० अंशकालिक शिक्षक होंगे ।

संस्था को प्रशिक्षणार्थियों से फीस, उद्योगों के लिए की गई सेवाओं के शुल्क और आद्यरूपों की बिक्री से कुछ आय भी होने की आशा है । योजना के वार्षिक आवर्तक व्यय का अनुमान लगभग २.५० लाख रुपए है ।

केन्द्र के लिए आवश्यक मशीनों और उपकरण तथा कुछ विदेशी विशेषज्ञों की सेवाओं पर होने वाला व्यय फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा किये जाने की आशा है । संस्था के आगामी वित्तीय वर्ष में चालू हो जाने की आशा है ।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : चूंकि यह संस्था चालू वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ की जाने वाली है, क्या मैं जान सकता हूं कि कितने अभ्यर्थियों का चुनाव किया जाएगा और क्या प्रार्थनापत्र आमंत्रित किए जायेंगे ?

†श्री मनुभाई शाह : संस्था अगले वित्तीय वर्ष में चालू होगी । कर्मचारी भर्ती करने और विद्यार्थियों को लेने के लिए नियमित विज्ञापन तथा अन्य साधन अपनाए जाने के लिए कदम उठाए जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पलनियाण्डि** : क्या सरकार राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् के कर्मचारियों को, जो विदेशों से औद्योगिक नमूनों तथा अन्य मामलों का अध्ययन करके लौटते हैं, भेजने का कार्यक्रम बनाएगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है । यह प्रश्न अहमदाबाद में एक औद्योगिक नमूना संस्था की स्थापना से सम्बन्धित है जिसमें विदेशी तथा भारतीय दोनों प्रकार के कर्मचारी होंगे ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह संस्था प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त गवेषणा कार्य भी करेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मूल धारणा यही थी । परन्तु हमने सोचा कि चूंकि भारत औद्योगिक नमूनों में अभी आगे नहीं बढ़ा है इसलिए गवेषणा के लिए कुछ समय तक ठहरा जा सकता है । पहले तीन चार वर्षों में हम विशेषज्ञों के प्रशिक्षण पर केन्द्रित रहेंगे और तब हम गवेषणा के क्षेत्र का विस्तार करेंगे ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या इस संस्था को फीस से कुछ आय होगी और प्रशिक्षणार्थियों से कितनी फीस ली जाएगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : संस्था को चालू तो होने दीजिए । हमने मोटे तौर से अनुमान लगाया है कि फीस तथा अन्य प्रभारों से हमें प्रति वर्ष एक या डेढ़ लाख रुपए मिल सकेंगे ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस संस्था की स्थापना के बाद अन्य स्थानों में भी इस प्रकार की संस्थाओं के स्थापित किए जाने की संभावना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : समिति ने समस्त देश का दौरा करके यह स्थान चुना था । शुरूआत होने दीजिए । फिर यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि क्या अन्य स्थानों में भी ऐसी संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए ?

श्री आचार उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने अपना स्थान बदल लिया है ।

†**श्री आचार** : मेरा स्थान यही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब माननीय सदस्य अपना स्थान बदला करें तो मुझे सूचित कर दें ।

†**श्री आचार** : मैं दायीं ओर खिसक गया हूं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मेरा स्थान भी बदल गया है ।

†**श्री आचार** : चुने जाने वाले अभ्यर्थियों की योग्यतायें क्या होंगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : उसका निर्णय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या डायरेक्टर्स करेगा ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या अमरीकी प्रविधिक सहयोग मिशन इसमें सहयोग देगा और यदि हां, तो किस रूप में ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, फोर्ड फाउण्डेशन की सहायता ली जाएगी, प्रविधिक सहयोग मिशन की नहीं । परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से, जिनमें प्रविधिक सहयोग मिशन भी सम्मिलित है, समस्त सहयोग और सहायता का सदा स्वागत किया जाएगा ।

भारत-पाकिस्तान संचालन समितियां

+
†*८९६. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधारमण :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में भारत-पाकिस्तान संचालन समितियों की कितनी बैठकें हुई ;

(ख) इनमें से किन प्रश्नों पर चर्चा की गयी और क्या निष्कर्ष निकाले गये ;

(ग) क्या संचालन समितियां अभी भी विद्यमान हैं ; और

(घ) निकट भविष्य में किन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होने की संभावना है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)**: (क) कोई नहीं, श्रीमान्

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) यद्यपि इन समितियों की मार्च, १९५५ में हुई पिछली बैठक के बाद से कोई बैठक नहीं हुई है परन्तु संचालन समितियां होने के कारण उनका अस्तित्व कायम माना जाता है ।

(घ) यदि और जब इन संचालन समितियों की पुनः बैठक होगी तो उनके द्वारा :

(१) भारत-पाक विवाद के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर हुई वार्ता की प्रगति का पुनर्विलोकन ; और

(२) उन बातों पर चर्चा किए जाने की आशा है जिनकी चर्चा वे अपनी १९५५ की में नहीं कर सकी थीं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या इन संचालन समितियों के सम्बन्ध में पाकिस्तान के रवैये का कोई संकेत उपलब्ध है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका**: हमने पिछली बैठक की समाप्ति पर पाकिस्तान सरकार से यह कहा था कि जुलाई, १९५५ में किसी समय बैठक की जा सकती है । परन्तु हमें उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : दोनों सरकारों के बीच मई, १९५५ में हुए करार के अन्तर्गत निर्मित की गई संचालन समिति और संयुक्त समिति के विभिन्न कृत्य क्या हैं ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : पाकिस्तान सरकार की तथा हमारी अलग-अलग संचालन समितियां हैं जिनमें दोनों सरकारों के अधिकारीगण हैं । दोनों समितियों की बैठक दोनों देशों के बीच अभी तक अनिर्णीत विवादों पर चर्चा करने के लिए एक साथ होती हैं । विषयों को उनके महत्व के अनुसार श्रेणीबद्ध किया गया है । क श्रेणी के विषय ....

†**अध्यक्ष महोदय**: वह केवल संचालन समिति और संयुक्त समिति के कृत्यों का अन्तर जानना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जो० ना० हजारिका : संचालन समिति एक पुर्नविलोकन समिति है जो बातचीत की प्रगति के सम्बन्ध में पुर्नविलोकन करती है। दूसरी समिति तीर्थ स्थानों के सम्बन्ध में शासकीय स्तर पर कार्य करती है।

†श्री अजित सिंह सरहदी : यह कहा गया है कि संचालन समिति की मार्च, १९५५ से कोई बैठक नहीं हुई है और संयुक्त समिति की जनवरी, १९५८ से कोई बैठक नहीं हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का इन दो समस्याओं के सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है जब कि पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है ?

†श्री जो० ना० हजारिका : यद्यपि संचालन समितियों की अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है परन्तु हमारे सम्बन्धित मंत्रालयों ने शेष प्रश्नों के हल के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार को लिखा है।

प्रादेशिक विकास

*८९७. श्री भक्त दर्शन : क्या योजना मंत्री २१ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक विकास की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए योजना आयोग द्वारा नियुक्त किए गए कार्यकारी दल ने अब तक अपने कार्य में क्या प्रगति की है और किस तारीख तक दल की रिपोर्ट प्राप्त होने की आशा है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र): प्रादेशिक विकास की समस्याओं के अध्ययन के लिए जो कार्यकारी दल नियुक्त किया गया है उसकी अब तक ३ बैठकें हो चुकी हैं जिनमें अन्य विषयों के अलावा रोज़गार के विभिन्न पहलुओं, पिछड़ेपन की कसौटी के लिए आवश्यक आंकड़ों और राज्यों की आय के अनुमान से सम्बन्धित पहलुओं पर विचार किया गया। यह दल प्रादेशिक विकास से सम्बन्धित समस्याओं का सतत एवं योजनानुसार अध्ययन कर रहा है। इस अध्ययन से जो परिणाम निकलेंगे वे तैयार होते ही योजना आयोग को उपलब्ध हो जायेंगे।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह ध्वनि निकलती है कि कार्यकारी दल लगातार कार्य करता रहेगा तथा इसके कार्य की समाप्ति की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। आम धारणा यह है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में वही प्रदेश अधिक विकसित हुए जोकि पहले से विकसित हो चुके थे और जो प्रदेश कम विकसित थे उनका विकास नहीं किया गया। अतः क्या मंत्री महोदय इस कार्यकारी दल की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मंगा कर तीसरी पंचवर्षीय योजना में आवश्यक संशोधन करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री श्या० नं० मिश्र : अभी तक योजना की जो रूपरेखा तैयार की गई है उसमें राज्य सरकारों के साथ योजना कमीशन ने इस पर विचार किया है कि पिछले दस सालों में यानी प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के काल में विभिन्न भागों में किस तरह की प्रगति हुई है और उस के मुताबिक यह प्रयत्न किया जा रहा है कि पिछड़े इलाकों का समुचित विकास हो। इसके लिये हम चाहते हैं कि पक्के आंकड़े आ जायें। इस में काफी मेहनत करनी पड़ेगी और समय भी लगेगा।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : प्रश्न यह है कि जो पिछड़े इलाके हैं क्या रिपोर्ट के आधार पर तीसरी योजना के काल में उन के लिये कुछ किया जायगा जिस से उनको फायदा हो सके, या यह काम चौथी पंचवर्षीय योजना में जायगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री श्या० नं० मिश्र : इसका तो उद्देश्य ही यह है कि उन इलाकों के सम्बन्ध में हम को आंकड़े मिल सकें । जो आंकड़े आयेंगे उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार होगा और उन की रोशनी में हम पिछड़े इलाकों के विकास के लिये तीसरी योजना में बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे । जो बात माननीय सदस्य के दिमाग में है हम निश्चित रूप से उसी दिशा में विचार कर रहे हैं ।

श्री पद्म देव : क्या केन्द्रीय सरकार के पास कोई ऐसी मशिनरी है कि जिस के द्वारा यह जान सके कि राज्य सरकारों की तरफ से जो रिपोर्टें आती हैं वे कहां तक सही हैं । या कि केवल राज्य सरकारों की रिपोर्टों के अनुसार ही विचार किया जायेगा ?

श्री श्या० नं० मिश्र : उसके बारे में तो हम दोनों मिल कर विचार करते हैं, कोई एक दूसरे का आडिट करे इस का सवाल नहीं उठता । हम राज्य सरकारों के साथ बैठ कर विचार करते हैं और समस्याओं के समाधान के बारे में सोचते हैं ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कभी प्लानिंग कमीशन ने लोकसभा के सदस्यों से यह जानने का प्रयत्न किया है कि कौन कौन सा इलाका पिछड़ा हुआ है । यदि ऐसा प्रयत्न किया है तो कब और नहीं किया तो क्यो नहीं किया ?

श्री श्या० नं० मिश्र : इस के लिये बहुत सी कमेटियां हैं, जिला स्तर से लेकर प्रान्तीय स्तर तक और यहां भी, जिन में माननीय सदस्य योगदान दे सकते हैं ।

†**श्री आचार :** यह अध्ययन किस प्रकार किया जाता है--विषयवार अथवा राज्य-वार ? क्या तरीका अपनाया जाता है ? १ अप्रैल से तीसरी योजना शुरू होती है । यदि अध्ययन इस प्रकार जारी रहेगा तो हमें प्रतिवेदन कब मिलेगा और यह कैसे होगा ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** जैसाकि मैं अपने पहले उत्तरों में कह चुका हूं, हमने प्रारूप में पिछड़े क्षेत्रों के लिये भरसक कार्य करने का प्रयत्न किया है । अब इस समिति द्वारा किये गये अध्ययन के परिणामों से जो जानकारी प्राप्त होगी उस पर प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देते समय विचार किया जायगा ।

जहां तक इस प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है अर्थात कि समिति विषय-वार अध्ययन कर रही है अथवा राज्यवार, मेरा निवेदन है कि समिति मुख्यतः विभिन्न श्रेणियों के विषयों को लेती है और राज्य उनके अन्तर्गत आ जाते हैं ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : अभी अभी उपमंत्री जी ने यह कहा कि पिछड़े इलाकों के विकास का प्रश्न जांचा जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि पिछड़े इलाकों की परिभाषा क्या की गई है, किस तरह से समझा जाता है कि अमुक इलाका पिछड़ा हुआ है, क्या इस के लिये कोई परिभाषा निश्चित की गयी है ?

श्री श्या० नं० मिश्र : इसके लिये कई बार सदन में सवाल पूछे गये हैं । मैं अभी इसके बारे में दो तीन बातें बता सकता हूं, वैसे तो यह प्रश्न बहुत बड़ा है । एक तो कसौटी यह हो सकती है कि प्रति व्यक्ति क्या आमदनी है और प्रति व्यक्ति उपभोग का क्या स्तर है । दूसरी कसौटी यह हो सकती है कि किस इलाके में आबादी का घनापन कितना है और उसका वहां के 'प्रोडक्टिव रिसोरसेज़' यानी उत्पादन के साधनों और रोजगार के अवसरों से क्या अनुपात है और तीसरी कसौटी यह हो सकती है कि वहां यातायात के कितने साधन उपलब्ध हैं । ये सारी बातें हैं जिन का विचार किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रा० स० तिवारी: क्या मंत्री जी को पता है कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं वे अधिकतर रियासतों के हैं जिन का अभी तक सर्वे भी नहीं हुआ है। इन इलाकों में जोकि रियासतों के कोई विकास का काम नहीं हुआ। इन के बारे में आप का क्या विचार है।

श्री श्या० नं० मिश्र : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य की यह मान्यता ठीक है कि इन इलाकों में काम नहीं हुआ है। हो सकता है कि उन में अपेक्षाकृत कुछ कम काम हुआ हो। लेकिन इस के लिये बहुत कुछ हिस्टारिकल सरकमस्टैंसेज़ यानी ऐतिहासिक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा):** श्रीमान्, मेरे सहयोगी ने जो कुछ कहा है उस में मैं भी कुछ जोड़ देना चाहता हूं। राज्यों के साथ चर्चा के दौरान हम ने उन पर अधिक पिछड़े हुए क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिये जोर दिया था। हम ने यह भी तय किया था कि उन क्षेत्रो का चुनाव वे स्वयं करेंगे और उन के सम्बन्ध में अपनी योजनायें हमारे पास भेजेंगे ताकि हम योजना की प्रगति के साथ साथ उन क्षेत्रों में भी प्रगति देख सकें। इस प्रकार प्रत्येक राज्य के पिछड़े क्षेत्रों सम्बन्धी आवश्यकता का ध्यान रखा गया है और इस प्रयोजन के लिये कुछ संचालन सम्बन्धी हिदायतें जारी की जा चुकी हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** चूंकि जहां तक पिछड़े आदिम जातीय क्षेत्रों का सम्बन्ध है उन के लिये शुरू की जाने वाली विकास परियोजनाओं के बारे में वारियर एलविन समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं, क्या सरकार ने योजना का प्रारूप बनाते समय उन सिफारिशों का विचार किया है ?

†**श्री नन्दा :** जी हां, विशेष रूप से। योजना के लिये राज्यों के आवण्टन निश्चित करने के सम्बन्ध में पिछड़ेपन के अनेक मानदण्ड——लगभग दस या ग्यारह——हमारे सामने थे और आदिम-जातीय लोगों की तथा आदिमजातीय क्षेत्रो की जनसंख्या पर भी विचार किया गया था।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** माननीय मंत्री ने उन में से तीन चार बातें अभी बताई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पिछड़ेपन के लिये जो मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं क्या उन में विद्युत अथवा इस्पात अथवा इंजीनियरिंग जैसे उद्योगों के विकास के प्रतिव्यक्ति देशनांक का भी विचार किया जायेगा ?

†**श्री नन्दा :** मेरे सहयोगी ने अपनाये गये मानदण्डों की पूरी सूची नहीं दी है। उस में अनेक चीजें हैं जसे औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन, रोजगार की संभावना बेरोजगारी आदि।

†**श्री कमल सिंह :** माननीय उपमंत्री ने कहा कि पिछड़े क्षेत्र का एक मानदण्ड संचार साधनों, विशेष कर गांव की सड़कों की कमी है। क्या यह सच नहीं है कि हमारे अधिकांश कृषि क्षेत्रों में उचित गांव की सड़कें नहीं हैं और क्या यह सच नहीं है कि पिछली दो योजना अवधियों में इस सम्बन्ध में बहुत कम प्रगति हुई है ?

†**श्री नन्दा :** हम प्रत्येक क्षेत्र के बारे में तो कुछ नहीं कर सकते परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं . . . .

†**श्री कमल सिंह :** मैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में कह रहा था।

†**श्री नन्दा :** . . . . कि योजना के पुनरीक्षण के समय राज्यों के सम्बन्ध में सड़कों के लिये उपबन्ध प्रारूप में किये गये उपबन्ध से बढ़ा दिया गया है लगभग ३० करोड़ रुपये——ताकि इन समस्याओं के लिये अधिक उपलब्ध किया जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : चूंकि यह सिद्ध है कि यह विषय महत्वपूर्ण है और इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रदेशों में काफ़ी असन्तोष है, इसलिये क्या माननीय मंत्री जी कार्यकारी दल को यह आदेश देंगे कि वह जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दे और फिर सदन को उस रिपोर्ट पर विचार करने का मौका मिले ?

श्री नन्दा : अगर यही इरादा है कि किसी तरह की रिपोर्ट—ऐनी सार्ट आफ़ रिपोर्ट—आ जाये, तो आ सकती है, लेकिन उस रिपोर्ट का यह मतलब नहीं है कि आखिरी तौर पर कुछ हो जाने की बात है। जो रिज़ल्टस निकलते हैं, जो इन्फ़र्मेशन आती है, उस का उपयोग किया जाता है। जैसे एक आबजेक्ट है डिसपर्सल आफ़ इंडस्ट्रीज़। उस के बारे में जो इन्फ़र्मेशन अलाहिदा अलाहिदा स्टेटस के बारे में जायगी, उस का इस्तेमाल इस तरह हो सकेगा कि किस जगह इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट की ज्यादा ज़रूरत है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच नहीं है कि इन सड़कों की व्यवस्था की जिम्मेदारी वास्तव में जिला बोर्डों की है और जब उन से उस के लिये कहा जाता है तो वे कहते हैं कि यह लोक कर्म विभाग की जिम्मेदारी है। इस प्रकार जिला बोर्ड काम नहीं करते हैं और लोक कर्म विभाग बहुत अधिक समय लेता है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि योजना मंत्री इस के सम्बन्ध में भविष्य में क्या करेंगे ?

†**श्री नन्दा** : योजना मंत्री प्रत्येक लोक-कर्म विभाग और प्रत्येक जिला बोर्ड के पास नहीं जा सकता। इसलिये वह राज्यों से ही लिखापढ़ी करेगा और आवश्यक केन्द्रीय सहायता देगा और राज्य प्रत्येक जिले में अपने लोगों की देखभाल करने के लिये बाध्य हैं।

उड़ीसा में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए मकान

†*८९९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा उड़ीसा में औद्योगिक कर्मचारियों के रहने के स्थान की समस्या के आकार का पता लगाने के लिए किया जा रहा विशेष सर्वेक्षण अब पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) सर्वेक्षण १९५९ में पूरा हुआ था।

(ख) सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि श्रमिकों को आवास देने के लिए ६००० मकानों का निर्माण अभी किया जाना है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : इन ६००० मकानों में से कितने दुसरी योजना अवधि में बनाए जा चुके हैं और क्या उड़ीसा में औद्योगिक श्रमिकों की आवास सम्बन्धी कठिनाई कम करने के लिये कोई केन्द्रीय सहायता दी गई थी ?

†**श्री आबिद अली** : राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार २१३९ मकानों की मंजूरी दी गई थी जिनमें से १,४५२ मकानों का निर्माण हुआ। ५५,४६,००० रुपए की सहायता मंजूर की गई थी और योजना के अन्तर्गत तीसरी योजना में लगभग ६० लाख रुपए का आवण्टन किया गया है।

†**श्री पलनियाण्डि** : क्या सरकार लोहा तथा अन्य सामग्री की कमी के कारण औद्योगिक आवास योजना के लिये मंजूरी प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों पर विचार करेगी और क्या सरकार श्रम

†मूल अंग्रेजी में

विभाग के माध्यम से औद्योगिक आवास योजना को इन सामग्रियों के सम्भरण में शीघ्रता लाने का प्रयत्न करेगी ?

†श्री आबिद अली : श्रम विभाग के माध्यम से नहीं वरन् जब कभी ऐसी प्रार्थनायें अथवा शिकायतें प्राप्त होती हैं तो सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रत्येक सम्भव कार्य किया है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : माननीय सदस्य ने जो अंक बताए हैं वे १९५९ के हैं और वे लौह अयस्क तथा अन्य खनन कार्यों के विकास तथा स्थापित होने वाले उद्योगों की दृष्टि से गतकाल हो गए हैं। कुछ दिन पूर्व निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री ने कहा था कि विधान बनाने के प्रश्न पर शीघ्र ही एक अन्तर्मंत्रालय बैठक होने वाली है और उन्होंने 'शीघ्र ही' की व्याख्या करते हुए बताया था कि 'एक या दो सप्ताह के अन्दर'। क्या उस बैठक की व्यवस्था की जा चुकी है ?

†श्री आबिद अली : हम सदा अधिकाधिक मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।

†श्री सूपकार: जहां तक सरकारी उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं तथा अन्य खनन उपक्रमों का सम्बन्ध है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार औद्योगिक श्रमिकों की आवास की समस्त आवश्यकता पूरी कर सकी है अथवा केवल आंशिक रूप में ?

†श्री आबिद अली : पूर्णतः नहीं वरन् आंशिक।

ऐनकों आदि के शीशे का कारखाना

+

†*९००. { श्री पांगरकर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री १६ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रूस के सहयोग से ऐनकों आदि के शीशे का कारखाना स्थापित करने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है

विवरण

रूसी प्राधिकारियों से शोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अगले तीन या चार महीनों में प्राप्त होने की आशा है।

कोयला खनन तथा ऐनकों आदि के शीशे के कारखानों के लिये २८०.७ एकड़ भूमि निश्चित रखी गई है और यह क्षेत्र दुर्गापुर उद्योग बोर्ड द्वारा निश्शुल्क निगम को सौंप दिया गया है। दोनों कोयला खनन तथा ऐनकों आदि के शीशे के कारखाने के लिये नगर बसाने के हेतु १५०० एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिये भी दुर्गापुर उद्योग बोर्ड के द्वारा प्रबन्ध किया जा रहा है। जल सम्भरण तथा परियोजनाओं की फैक्टरियों और बस्तियों की आवश्यकता के लिये जल के प्रबन्ध के प्रश्न को भी दुर्गापुर उद्योग बोर्ड ने उठाया है, जो अपनी जल सम्भरण योजना का विस्तार करने का विचार कर रहा है। फैक्टरी और बस्ती दोनों के लिये अपेक्षित मात्रा में बिजली देने का आश्वासन दुर्गापुर उद्योग बोर्ड ने दे दिया है। यह बोर्ड पारस्परिक स्वीकृत शर्तों पर आवश्यक साइडिंगों के लिये भी प्रबन्ध करेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री पांगरकर: क्या रूसी प्राधिकारियों से ऐनकों आदि के शीशे के कारखाने के बारे में कोई अन्तिम प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त हुआ है ?

†श्री मनुभाई शाह: दुर्गापुर में स्थापित किये जाने वाले ऐनकों आदि के शीशे के ३०० टन वाले कारखाने का संविदा किया जा चुका है । हम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसकी तीन या चार महीनों में प्राप्त होने की आशा है ।

†श्री पांगरकर: अनुमानित परिव्यय क्या होगा ?

†सभापति महोदय: लगभग ३ या ४ करोड़ रुपये ।

श्री दी० चं० शर्मा: क्या यह ऐनकों आदि के शीशे का कारखाना देश की पूरी मांग कों पूरा करने के लिय लये काफी होगा या देश में ऐसे और कारखाने स्थापित करने की जरूरत होगी ?

† श्री मनुभाईशाह : वर्तमान संकेतों से यह पता चलता है कि यह आगामी पांच स दस वर्षो तक के लये काफी होगा ।

पाकिस्तानी को बेरूबारी का हस्तान्तरण

+

६०१. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच इस बात का पता लिया गया है कि पाकिस्तान की बेरूबारी के हस्तान्तरण के परिणामस्वरूप विस्थापित हो जाने वाले परिवारों की सही संख्या क्या है;

(ख) यदि हां, तो इसका कितने परिवारों पर प्रभाव पड़ेगा;

(ग) ऐसे कितने पपिवार हैं जिन्होंने भारत में रहने का मत प्रकट किया है; और

(घ) उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†वैदेशिक कार्यमंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) सीमांकन की ठीक लाइन का फैसला हो जान तथा भूमि पर इसक अंकित किये जाने के पश्चात् ही इस का पता चलेगा ।

(घ) ये विचाराधीन हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : उस क्षेत्र में जो सीमांकन कार्य हो रहा है उसक पूर्ण होन की कब तक सम्भावना है और यदि किसी बात पर मतभद हो गया हो उस अवस्था में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथा क्या कोई मनभेद पहले ही उत्पन्न हो चुका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जो०ना० हजारिका: हमारे प्रधानमन्त्री ने पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री को सुझाव दिया है कि अनावश्यक विम्लब किये बगैर काम प्रारम्भ कर दिया जाए । शेष प्रश्न के बारे में मुझे पूर्ण सूचना की जरूरत है ।

†श्री तंगामणि : बेरुबारी क्षेत्र से जो लोग उजाड़े जायेंगे क्या उन लोगों को उस चल और अचल सम्पत्ति के लिये जो उन्हें छोड़नी पड़ेगी, प्रतिकार दिया जाएगा ?

†श्री जो० ना० हजारिका: प्रधान मन्त्री ने पिछली ४ मार्च को कहा था कि लोगों को पुनर्वास के लिये सहायता की आवश्यकता होगी ।

†श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न बड़ा सरल है । भारत के प्रधानमंत्री और श्री फीरोज खां नून के बीच क्षेत्र के हस्तांतरण के बारे में समझौता हुआ था । भारत के प्रधान मन्त्री ने क्षेत्र के साथ चल और अचल सम्पत्ति का स्थानान्तरण कभी भी स्वीकार नहीं किया । क्या चल और अचल सम्पत्ति के मुख्य मूल्य का अनुमान लगाया गया है और क्या उन्हें उस सम्पत्ति के नाश के लिये पर्याप्त प्रतिकर दिया जाएगा ?

क्या सरकार ने सम्पत्तियों की सूची बना ली है ?

†श्री जो० ना० हजारिका: सीमांकन हो चुकने के पश्चात् सम्पत्तियों की ठीक कीमत का अन्दाजा लगाया जाएगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि जो परिवार पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत में आयेंगे, उनको बसाने के लिए पहले से क्या कोई योजना तैयार की गई है, यदि हां, तो उस योजना की रूपरेखा क्या है ?

†श्री जो० ना० हजारिका : यह प्रश्न राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

†श्री त्यागी: उन भारतीय राष्ट्रजनों की क्या अवस्था होगी, जो बेरूबारी के इस ओर आना नहीं चाहते ? क्या उन्हें अपनी राष्ट्रीयता बनाये रखने दिया जाएगा ?

†अध्यक्ष महोदय: वे पाकिस्तानी होंगे ?

†श्री त्यागी : वे पाकिस्तानी कैसे बन सकते हैं ? वे भारतीय राष्ट्रजन हैं । किसी भारतीय राष्ट्रजन को हर अधिनियम के द्वारा पाकिस्तानी बनने के लिय बाध्य नहीं किया जा सकता । क्या उन्हें अपने घरों में अपनी राष्ट्रीयता कायम रखने दिया जाएगा ?

†अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ने कहा है कि उन्हें अपनी राष्ट्रीयता कायम रखने दिया जाएगा ।

†श्री ब्रजराज सिंह : प्रश्नों का उत्तर यहां दिये जाने की कोई व्यवस्था होनी चाहिये । माननीय उपमंत्री यहां थीं किन्तु अब वह यहां नहीं हैं । सरकार की ओर से किसी व्यक्ति को उत्तर देने के लिये यहां रहना चाहिये ।

†अध्यक्ष महोदय: माननीय सभा सचिव उत्तर दे रहे हैं । प्रधान मंत्री इंग्लड में हैं और उप-मंत्री ने अम ीका में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बैठकों की आ ोजना की थी । वह परसों आई

---

†मूल अंग्रेजी में

थी और उन्होंने मुझे बताया कि इंग्लैंड में प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन की तारीख निश्चित किये जाने से पूर्व ही उन्होंने अमरीका में होने वाली बैठकों की तिथियां निश्चित कर ली थीं। इसलिये उनको वहां जाना था। वैसे यहां सरकार का प्रतिनिधि मौजूद है। सभा-सचिव वह सब जानकारी दे रहे हैं जिसकी जरूरत है। अब मुझे कोई कठिनाई दिखाई ....

†**श्री त्यागी :** ारतीयों की राष्ट्रीयता का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई समझौता किया गया है कि यदि वे वहां रहना चाहें, तो उन्हें अपनी राष्ट्रीयता का परित्याग करने को बाध्य न होना पड़े?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा) :** बेरूबारी संबंधी चर्चाओं में मैंने भी भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रजन पाकिस्तान में आने वाले उस क्षेत्र में, रहना चाहेगा, वह अपनी भारतीय राष्ट्रीयता बनाये रखेगा।

दिल्ली में राज्य व्यापार निगम के कार्यालय के लिए स्थान

+

†*६०२. { **श्री मरारका :**
श्री नथवानी : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५१६ के उत्तर के सम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली की मथुरा ोड पर स्थित "एक्सप्रेस बिल्डिंग' में राज्य व्यापार निगम का जो कार्यालय है, उसका किराया किस आधार पर निर्धारित किया गया है ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम ने इस असाधारण किराये को देखते हुए इस बात की वांछनीयता पर विचार किया है कि उसके का लिय की इमारत अपनी होनी चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) इमारत का किराया निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के परामश से निश्चित किया गया था और उस क्षेत्र में जो किराया है इस बात को ध्यान में रखा गया था।

(ख) और (ग) निगम को लोदी रोड में लगभग ३ एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। शीघ्र ही वहां इमारत बनाने के लिये कार्रवाई की जा रही है।

†**श्री मुराका:** निगम द्वारा इस विशिष्ट फर्म को ४५,००० रुपये मासिक किराया दिया गया है। क्या यह किराया निर्धारित करते समय इमारत की लागत को भी ध्यान में रखा गया था?

†**श्री सतीश चन्द्र :** हम यह चाहते हैं कि हमने सस्ती जगह लेने का प्रयत्न किया। हमने जीवन बीमा निगम से कहा कि वे अपनी इमारत में हमें स्थान दे दें। उन्होंने प्रति १०० वर्ग फुट स्थान के लिये १०० रुपये मांगे। इस इमारत में गैर सरकारी फर्मों को प्रति १०० वर्ग फुट स्थान के लिये ८१ रुपये किराया देना पड़ता है जब कि राजकीय व्यापार निगम प्रति १०० वर्ग फुट के लिये केवल ६० रुपये दे रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मुरारका : दो वर्ष पूव मैं ने इस निगम के निदेशकों के प्रतिवेदन में पढ़ा था कि इसकी अपनी इमारत बनाने के लिये ५० लाख रुपये अलग रखे गये थ । इस इमारत के निर्माण में विलंत्र क्यों किया जा रहा है और प्रति वर्ष किराये के रूप में ६ लाख रुपये क्यों दि जा रहे हैं ?

†श्री सतीश चन्द्र : यह इमारत १ फरवरी, १९६० को किराये पर ली गई थी । उससे पहले निगम के दफ्तर पांच इमारतों में बंटे हुए थे, दो कनाट प्लेस में, और तीन गार्फालिक क्षत्र में, जिनके लिये भारी किराया दिया जाता था । उन्हें एक स्थान पर लाना उत्तम समझा गया । भूमि, निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय द्वारा दी गई है और इमारत निधि है और इमारत बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अ० मु० तारिक : पेशतर इसके कि इस आफिस को इस बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया, मैं जानना चाहता हूं कि हम उन बिल्डिंग्ज का कितना किराया देते थे जिन में इसके आफिसस तमाम दिल्ली में थे ?

श्री सतीश चन्द्र : उनका किराया हम क ीब करीब ५० नए पैसे पर स्क्वेयर फीट के हिसाब से देते थे । इसका ६० नए पैसे पर स्क्वेयर फीट से देते हैं ।

श्री अ० मु० तारिक : किराया कितना था जो हम देते थे ?

श्री सतीश चन्द्र : हम लोग पांच बिल्डिंग्ज का किराया करीब १५,५०० रुपये दे रहे थे । इन इमारतों में काफी जगह नहीं थी और ज्यादा जगह की सख्त जरूरत है ।

†अध्यक्ष महोदय : यह इमारत किसकी है ?

†श्री ब्रजराज सिंह : इंडियन ऐक्सप्रेस की, जिसे हमने भूमि दी थी ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न माननीय मंत्री से पूछ रहा हूं । माननीय सदस्य क्यों उत्तर दे रहे हैं ?

†श्री सतीश चन्द्र : इंडियन ऐक्सप्रेस की ।

†श्री ब्रजराज सिंह : क्या यह सच नहीं है कि इंडियन ऐक्सप्रेस को निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ने ठीक इस शर्त पर यह भूमि दी थी कि वहां जो स्थान बनाया जाएगा वह केवल ऐक्सप्रेस समाचार पत्रों के कर्मचारियों को आवंटित किया जाएगा और यदि वह और किसी को किराये पर दी जाएगी, तो यह निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की अनुमति से तथा उ चत किराये पर दी जाएगी ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : मूल पट्टा करार के अनुसार ऐक्सप्रेस समाचारपत्र कर्मचारियों के लिये सब से ऊपर की मंजिल पर फ्लैट बना सकते थे । इमारत बनने पर, स्थान उनकी जरूरत से अधिक । । अतः सरकार तथा ऐक्सप्रेस समाचारपत्र के बीच बहुत देर तक लंबी बातचीत चलती रही और कोई स्वीकार्य समझौता किया गया । उस के अनुसार ऐक्स स समाचारपत्रों को अनुमति दी गई कि वे इमारत का कुछ भाग एक विशिष्ट दर पर किराये पर दे दें । उस समझौते के अनुसार यह भाग राजकीय व्यापार निगम को किराये पर दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मुरारका : क्या यह सच नहीं है कि राजकीय व्यापार निगम ने इस दर पर इस विशिष्ट फर्म से तीन वर्षों के लिये बन्धनकारी समझौता किया है ? यदि हां, तो जब उनकी अपनी इमारत बन रही है, यह समझौता करने के क्या कारण थे ?

†श्री सतीश चन्द्र : इमारत पूरी होने में दो वर्ष और लग जायेंगे। हमें भूमि आवंटित हो गई है। तीन वर्ष का समय न्यूनतम समय समझा गया था। इस अवधि के अन्दर हमें आशा है कि हम अपनी इमारत बना लेंगे।

†श्री क० च० रेड्डी : सभा को सूचित कर दूं कि ऐक्सप्रेस समाचार पत्र इस समझौते से निकलने में प्रसन्न होगा क्योंकि बाजार में उन्हें प्रति १०० वर्ग फुट स्थान के लिये १०० रुपये से अधिक मिल जायेंगे।

नेपाल से शरणार्थी

†*९०३. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल के महाराजा द्वारा अपने देश में अभी हाल में उठाये गये कदमों के पश्चात् बहुत से नेपाली राजनैतिक शरणार्थी दार्जेलिंग (पश्चिम बंगाल) आ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) उनके बारे में भारत सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का विचार है, तो वह क्या है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) : (क) जी, हां।

(ख) कोई सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। भारत में नेपालियों के आने पर कोई रुकावट नहीं है और इस कारण उनके आगमन का कोई अभिलेख नहीं रखा जाता।

(ग) कोई नहीं, जब तक कि उनकी गतिविधियां कानून के क्षेत्र के अन्दर रहती हैं।

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या यह सच है कि कठिनाई नेपालियों में अन्तर करने में आती है जो नेपाल से आते हैं तथा जो पहले से दार्जेलिंग में रहते हैं ? अतः क्या किसी प्रकार का पासपोर्ट या सीमा प्रमाणपत्र देने की कोई योजना है ताकि हम उन नेपालियों में भेद कर सकें जो सीमा पार से आते हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : यह कार्रवाई का सुझाव है।

†श्रीमती इला पाल चौधरी : क्या यह सच है कि बहुत से नेपाली जो सीमा पार करके आये हैं उन्होंने दार्जेलिंग के व्यापारियों से प्रार्थना की है कि वे दार्जेलिंग में नेपाल के राजा के विरुद्ध सम्मेलन आयोजित करें ? यदि हां, तो हम इसके बारे में क्या कार्रवाई करना चाहते हैं क्योंकि यह भारत में दूसरे देश के विरुद्ध प्रचार है ?

†श्री जो० ना० हजारिका : हमें इस की कोई सूचना नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीन में भारतीय राजदूतावास के कर्मचारी

+

†*६०४. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री ग्र० मु० तारिक :
श्री हेम राज :
श्री ग्रासर :
श्री शि० ला० सक्सेना :
श्री खुशवक्त राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेकिंग में भारतीय राजदूत के व्यक्तिगत सहायक को, जब कि वह एक गाड़ी में यात्रा कर रहे थे, पेकिंग के निकट गालियां दी गयीं ग्रौर उनके साथ मारपीट की गयी ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) क्या कभी इससे पहले भी ऐसी कोई घटना हुई है ; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत ग्रली खां) :** (क) यह सच नहीं है, किन्तु यह सच है कि चीनी कर्मचारियों के बिना ग्रौचित्य निजी सहायक का ग्रपमान किया गया ग्रौर उसके साथ दुर्व्यवहार किया ।

(ख) हमने चीन की सरकार से जोरदार वि ोध किया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री विभूति मिश्र : ग्राप ने जो प्रोटेस्ट चाइनीज सरकार को भेजा है, उसका उसने क्या कोई जवाब दिया है ?

श्री सादत ग्रली खां : चीन सरकार के पास कई बार हम ने प्रोटैस्ट किया ग्रौर उन की तवज्जह इस तरफ दिलाई यह जो हादसा रेल पर हुग्रा था । हम ने यह भी कहा कि ज्वायंट इनक्वायरी करा लीजिये ताकि इस बात का तस्फिया हो जाये कि गलती पर कौन था मगर स बात पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया । ग्रौर हम ग्रपने प्रोटेस्ट के जवाब का इंतिजार कर रहे हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** भारत सरकार चीनी सरकार को जन ग्रौर सम्पत्ति की रक्षा के लिये क्या गारंटी दे रही है । ग्रौर क्या भारत सरकार चीन के दूतावास से कुछ नहीं करेगा ताकि ऐसी घटनाग्रों की पुनरावृत्ति न होने पाये ?

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

†श्री सादत अली खां : हम ने चीन के राजदूत से कहा है । चीन में सब देशों के राजनयिकों को कुछ प्रतिबन्धों के अधीन रह कर काम करना पड़ता है । हमारी सीमा पर ऐसी घटनायें जब से होने लगी हैं तब से हमें विशेष व्यवहार के लिये विशेष रूप से चुना गया है ।

†श्री हेम राज : मा० सभा सचिव ने बताया है कि उन्होंने हमारे दूतावास पर कुछ कावटें लगा रखी हैं क्या हम ने उन के दूतावास पर कुछ रुकावटें लगाई हैं ?

†श्री सादत अली खां : नहीं । यदि अन्य लोग बुरा व्यवहार करते हैं तो हम वैसा नहीं करते । मैंने बताया है कि बहुत से दूतावासों पर रुकावटें हैं । परन्तु हमारे मामले में व अत्यधिक कठिनाइयां पैदा कर देते हैं ।

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या यह सच नहीं है कि कलकत्ता में चीनी लोग हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता मांगी है और फिर भी उन के पास चीनी पासपोर्ट हैं ? आप इस प्रकार की चीज को ठीक करने के लिये क्या कर रहे हो ?

†अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा प्रश्न है ।

†श्री च० द० पाण्डे : चीन द्वारा लगातार राजनयिक उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस बात का विचार करेगी कि वहां अपना दूतावास रखने का कोई लाभ नहीं है और इस समय वहां जो बहुत से कर्मचारी हैं उन को घटाने के लिये कार्रवाई करेगी ?

†अध्यक्ष महोदय : यह कार्रवाई के लिये सुझाव है ।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या गाली देते समय प्रयुक्त किये शब्दों और किये गये धावे का स्वरूप हमें मालम हो सकता है ?

†श्री सादत अली खां : घटना २१ नवम्बर, १९६० को एक गाड़ी में हुई जब कि चीन के विदेश कार्य मंत्रालय द्वारा राजनयिक दलों के लिये विशेष रूप से आ ोजित विहार से वापिस आ रहे थे । जब दल ६ बजे शाम को पिकंग से शाओसीन में गाड़ी पर चढ़ा उस के पश्चात्, चीन के राज शिष्टाचार अधिकरण के कार्यकारी निदेशक ने भारतीय राजदूत से कहा कि वह उन्हें मिले और उस से यह आरोप लगाते हुए विरोध किया कि निजी सहायक ने गाड़ी की महिला कर्मचा ी के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयत्न किया था । कार्यकारी निदेशक ने गाड़ी पर तुरन्त जांच कराने पर आग्रह किया । राजदूत ने निजी जांच के पश्चात्, चलती गाड़ी में तुरन्त जांच करने की चीन की मांग को रद्द कर दिया । राजदूत ने विहार पूरा होने पर जांच कराना स्वीकार कर लिया । परन्तु यह जांच नहीं हुई । हमारे पास चीनी भाषा जानने वाल हमारा भारतीय द्विभाषिया नहीं था । अतः यह एक परोक्ष मामला है ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वे अभी भी वहां रहने वाले भारतीय कर्मचारियों की रक्षा को चेतावनी दे रहे हैं ?

†श्री सादत अली खां : इस घटना के पश्चात् कुछ नहीं हुआ ।

†श्रीमती मंजुला देवी : चीन में अन्य राष्ट्रीयताओं के लोगों के विरुद्ध लगाई गई रुकावटों का मोटा ब्यौरा क्या है ?

†श्री सादत अली खां : मैं सामान्य रुकावटों का उल्लेख कर रहा था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ : इस बात की दृष्टि से कि मा० सभा सचिव ने हमारे सीमान्त संबंधी झगड़ों का उल्लेख किया है और कहा है कि यह झगड़ों के लिये उत्तरदायी है, क्या सरकार ने उस प्रतिवेदन के प्रकाशन के पश्चात् जिस में हमारे मामल की सचाई प्रतिष्ठापित होती है, हमारी ओर चीन वालों के व्यवहार और भावना में कोई परिवर्तन अनुभव किया है ?

†श्री सादत अली खां : मुझे पता नहीं है ।

†श्रीमती रेणुका राय : एक प्रश्न के उत्तर में सभा सचिव ने कहा था कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने दिल्ली में चीन के राजदूत के साथ कुछ चर्चा की थी । उस का क्या परिणाम निकला ?

†श्री सादत अली खां : यह घटना २७ नवम्बर को हुई । वैदेशिक-कार्य सचिव ने चीन के राजदूत से कहा कि वह उन्हें मिलें और उन से भारतीय राजदूत के प्रति किये ग अशिष्ट और अपमानजनक व्यवहार के प्रति विरोध किया । मैं सभा को बिना तैया ी नहीं बता सकता कि चीन की क्या प्रतिक्रिया थी । संभवतः राजदूत ने कहा कि वह इस की सूचना अपनी सरकार को दे रहे हैं ।

श्री विभूति मिश्र : अभी हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हम बराबर विरोध-पत्र भेजते हैं, मगर उस का कोई असर नहीं पड़ता है । तो इस सम्बन्ध में हमा ी सरकार आगे क्या कार्रवाई करने की सोच रही है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या करें ? अगला प्रश्न ।

संयुक्त राज्य अमरीका के डाक टिकट

†*६०५. { श्री अ० मु० तारिक :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री पहाड़िया :
श्री वाजपेयी :
श्री आसर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका में एक ऐसा डाक टिकट प्रकाशित हुआ है जिस के ऊपर महात्मा गांधी का फोटो और भारत का मानचित्र अंकित है ;

(ख) क्या यह सच है कि उस में काश्मीर को भारत के भाग के रूप में नहीं दिखाया गया ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस टिकट पर गांधी का उल्लेख 'भारत के एक हिन्दू राष्ट्रवादी नेता'[1] के रूप में किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात पर गौर किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Hindu Nationalist Leader of India.

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खाँ) : (क) से (ङ) ४ सैंट और ८ सैंट के दो टिकट संयुक्त राज्य अमरीका के पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा २६ जनवरी, १६६१ को "स्वतन्त्रता के अग्र दूत" (चैम्पियन आफ लिबर्टी) क्रम में जारी किये गये जिन पर महात्मा गांधी के चित्र थे। टिकटों पर भारत का मानचित्र नहीं है और न ही उन पर महात्मा गांधी को 'भारत के हिन्दू राष्ट्रवादी नेता" लिखा गया है।

†श्री अ० मु० तारिक : क्या भारत सरकार ने अम ीका में प्रकाशित टिकट की प्रति देखी है, जिसे कुछ स्थानीय भारतीय समाचारपत्रों ने प्रकाशित किया है, और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है? उस में उन्हों ने महात्मा गांधी का एक चित्र छापा है जिस पर लिखा है "महात्मा गांधी १८६६–१६४८; भारत के हिन्दू राष्ट्रवादी नेता" 'फर्स्ट डे कवर' पर दि े गये भारत के मानचित्र में काश्मीर को भारत का भाग नहीं दिखाया गया है।

†अध्यक्ष महोदय : उन की शिकायत क्या है ?

†श्री अ० मु० तारिक: मेरी शिकायत है कि इस 'फर्स्ट डे कवर' और टिकट में काश्मीर को भारत का भाग नहीं दिखाया गया है और अम ीका सरकार द्वारा निकाले गये टिकट पर महात्मा गांधी को 'भारत का हिन्दू राष्ट्रवादी नेता' कहा गया है।

†अध्यक्ष महोदय : बात यह है कि काश्मीर को मानचित्र में स्थान नहीं दिया गया।

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन) : मैं ने स्वयं टिकट और 'फर्स्ट डे कवर' देखे हैं जो मुझे अमरीका के पोस्ट मास्टर जनरल ने भेजा था। माननीय सदस्य की सूचना सर्वथा गलत है। टिकट पर महात्मा जी का चित्र है और लिखा है "राष्ट्रीय नेता और स्वाधीनता के सेनानी" (नेशनल लीडर एण्ड फाइटर फार फ्रीडम) माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह उस मे नहीं है।

†श्री अ० मु० तारिक : माननीय मंत्री ने केवल एक टिकट देखा है। दूसरा टिकट उन्होंने नहीं देखा। मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव से इस का उत्तर मांग रहा हूं।

†अध्यक्ष महोदय : क्या दो टिकट हैं ?

†डा० प० सुब्बारायन: दो टिकट हैं। मैं ने दोनों दे े हैं। मैं ने 'फर्स्ट डे कवर' भी देखा है; वे सब मुझे भेजे गये थे। माननीय सदस्य का जो ख्याल है वह उस में नहीं है।

†श्री अ० मु० तारिक : क्या अमरीका की किसी गैर-सरकारी फर्म ने भी ऐसे टिकट जारी किये हैं ?

†श्री सादत अलीखाँ : जब ऐसे टिकट जारी किये जाते हैं तो अमरीकी गैर सरकारी व्यापारियों का रिवाज है कि वे 'फर्स्ट डे कवर' भेजते हैं। यह केवल गैर-सरकारी चीज होती है जो गैर-सरकारी मुद्रकों द्वारा छापी जाती है। एक फर्म के ऐसे 'कवर' में भारत का मानचित्र था जिस में काश्मीर नहीं दिखाया गया था। इन की सूचना अमरीका के राज्य विभाग को दी गई और उन्हें अनौपचारिक रूप से बताया गया कि ऐसे सब 'कवर' भारत में जब्त कर लिय जा ेंगे क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा जारी किये गये विनियमों का उल्लंघन करते हैं। इन नियमों के अन्तर्गत ऐसे माननीय और प्रकाशन जिन में भारत की सीमायें गलत दिखाई गई हों, जब्त कर ली जाती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० मु० तारिक : क्या अमरीकी सरकार ने यह मान लिया है कि वे इन डाक टिकटों को भारत में आने नहीं देगी। अमरीका सरकार ने हमारे विरोध पर गैर-सरकारी फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

†श्री सादत अली खां : मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। संभवत: डा० सुब्बारायन उत्तर दे सकें।

†श्री अ० मु० तारिक : किन्तु, वह वैदेशिक-कार्य मंत्री तो नहीं हैं।

†श्री सादत अली खां : टिकटों का वैदेशिक-कार्य से कोई संबंध नहीं है।

†श्री अ० मु० तारिक : किन्तु हम ने अमरीका सरकार से विरोध किया है।

†श्री सादत अली खां : हम ने अमरीका सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और उन से विरोध किया हैं। आप और अधिक क्या चाहते हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस तरह झगड़ नहीं सकते।

†श्री अ० मु० तारिक : यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें पता होना चाहिये कि क्या कार्यवाही की गई है। मंत्री ने चित्र का एक पक्ष ही दिखाया हैं।

†अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने इस की ओर अमरीका सरकार का ध्यान आकर्षित करा दिया है।

श्री विभूति मिश्र : अभी हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने कबूल किया कि प्राइवेट फर्म ने ऐसा किया। तो हमारी सरकार ने यू० एस० ए० की सरकार को लिखा या नहीं लिखा ? और अगर लिखा तो यू० एस० ए० की सरकार ने उस प्राइवेट फर्म के खिलाफ कौनसी कार्रवाई की? और यदि नहीं की तो हमारी सरकार इस बात को चला रही है या नहीं ?

श्री सादत अली खां : यू० एस० ए० में प्राइवेट फर्में चल रही हैं बहुत सी। उनके काम में वहां की सरकार क्या दखल देगी, यह मैं कैसे बयान कर सकता हूं ?

†श्री हेम बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं. . . . .

†अध्यक्ष महोदय : इसका पर्याप्त उत्तर दिया जा चुका है। अगला प्रश्न।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मभारित कर्मचारियों की समस्या

†*९०६. श्री तंगामणि: क्या निर्माण, आवास और संभरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मभारित कर्मचारियों की समस्या का अध्ययन करने के लिए १९५६ में श्री पी० के० सेन को विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो विशेष अधिकारी ने क्या सिफारिशें की हैं और इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उप-मंत्री (श्री अनिल कु० चंदा) : (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अधिकांश मुख्य सिफारिशों पर कार्रवाई की जा चुकी है। मुख्य सिफारिशों तथा उन पर की गई कार्यवाही का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ४५]** ।

†**श्री तंगामणि** : विवरण से पता चलता है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें १९६० की श्रेणीकरण (नियम विरोधों को हटाना) समिति को सौंपी गई हैं। यह समिति कब तक अपना प्रतिवेदन दे देगी ?

†**श्री अनिल कु० चंदा** : समिति ३० नवम्बर, १९६० को बनाई गई थी। समिति अपना कार्य कर रही है। मुझे पक्का पता नहीं कि वह कब तक अपना कार्य पूर्ण कर लेगी। किन्तु वह यथासम्भव शीघ्रतापूर्वक काम कर रही है ?

†**श्री तंगामणि** : जो तदर्थ समिति बनाई गई थी उसके विभिन्न कार्मिक संघों, विशेष कर सी० पी० डब्ल्यू० डी० कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से परामर्श किया। क्या श्रेणीकरण समिति भी इसी प्रक्रिया को अपनायेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : दुर्भाग्यवश, अब क्षेत्र में कोई मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ नहीं है।

†**श्री तंगामणि** : क्या अब क्षेत्र में कोई पंजीबद्ध कार्मिक संघ है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : नहीं।

†**श्री तंगामणि** : जब तदर्थ-समिति ने सेन समिति की विभिन्न सिफ़ारिशों पर विचार किया, तो किन से परामर्श किया गया था ? क्या यह समिति भी उसी तरीके को अपनाएगी ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : जी, हां। तरीका नहीं होगा यदि क्षेत्र में मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ हुए। यदि न हुए तो हमें उनके बिना काम करना होगा।

†**श्री तंगामणि** : तदर्थ समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप कुछ कर्मचारियों का स्थायीकरण हो गया है। इस सिलसिले में क्या प्रगति हुई है और क्या यह सच है कि जो कर्मचारी स्थायी बनाये गये हैं और उनको अभी तक स्थायीकरण के आदेश प्राप्त नहीं हुए क्योंकि बीच में डाक्टरी परीक्षण और इसकी बाधाएं आ पड़ी हैं हालांकि तदर्थ समिति ने खास तौर पर सिफारिशें की थीं ?

†**श्री अनिल कु० चंदा**: मोटे तौर पर मेरा विचार है कि लगभग २७०० लोगों को नियमित कर्मचारी बनाना है। लगभग ३०० के बारे में आदेश जारी कर दिये गये हैं। इस काम में समय लगता है क्योंकि कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। परन्तु हमने सी० पी० डब्ल्यू० डी० को अनुदेश दिये हैं कि वे यथाशीघ्र इस मामले को निपटायें।

†**श्री तंगामणि** : क्या नियम विरोधी बातें हटा दी जायेंगी और क्या. . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

नेपाल को सहायता

+

†*६०७. श्री दी० चं० शर्मा:
श्री सम्पत :
श्री सै० अ० मेहदी:
श्री विभूति मिश्र:
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री अरविन्द घोषाल:
श्री ले० अचौ सिंह:
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री हेमराज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने भारत से कहा है कि उसकी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी १ करोड़ रु० की रकम को, एक वर्ष के लिए और, भारतीय मुद्रा में समायोजित कर लिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) : (क) और (ख).नेपाल सरकार की ओर से अभी तक कोई राजकीय प्रार्थना-प्राप्त नहीं हुई है ।

†श्री दी० चं० शर्मा भारत सरकार नेपाल को कितनी सहायता दे चुकी है ?

†श्री जो० ना० हजारिका : नेपाल के साथ नयी व्यापार सन्धि ३० नवम्बर, १९६० से लागू होने से पहले हमारा संयुक्त विदेशी मुद्रा खाता था। पिछले कुछ वर्षों में, मुझे निश्चित नहीं मालूम है, हमने लगभग ४० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा नेपाल सरकार को दी और शायद नेपाल सरकार ने लाइसेंस भी जारी किये हैं। हम यह नहीं जानते कि उसने कहां तक उसका उपयोग किया है।

†श्री हेम बरुआ : क्या डा० तुलसी गिरी के इस कथन की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि वह यह चाहते हैं कि भारत उन्हें अधिक अच्छी तरह और अधिक सहायता दे ? यदि हा,तो क्या डा० तुलसी गिरी जब हमारे प्रधान मन्त्री से यहां मिले थे तब उन्होंने इस "अधिक अच्छी तरह" की व्याख्या की थी ?

†श्री जो० ना० हजारिका : मुझे मालूम नहीं ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जो हमारी सरकार नेपाल को एड देती है और जो काम नेपाल में करती है उसकी कोई पब्लिसिटी भी करती है या नहीं, जैसाकि दूसरे देशों की सरकारें अपनी एड के बारे में करती हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खाँ) : किसी की मदद करके क्यापब्लिसिटी करें ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : नेपाल के आर्थिक कार्य मन्त्री श्री ऋषिकेष शाह के साथ, जो यहां आये थे, बातचीत का क्या परिणाम निकला ? क्या इस सहायता के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया था ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : नेपाल के परराष्ट्र मन्त्री डा० तुलसी गिरि ने अपनी पिछली भारत यात्रा में अनौपचारिक रूप से यह बताया था कि विदेशी मुद्रा खाने में नेपाल सरकार का कोई जमा शेष नहीं है और वह भारत सरकार से विदेशी मुद्रा की कुछ पेशगी लेना पसन्द करेगी ।

पत्रकारों के दल द्वारा नागालैंड की यात्रा

†*६०६. { **श्री सै० अ० मेहदी:**
श्री प्र० गं० देव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागालैण्ड को भेजे गये पत्रकारों के दल द्वारा लगाये गये इन आरोपों को देखा है कि पत्रकारों को दिया गया घोषणापत्र स्थानीय चर्च मिशन में साइक्लोस्टाइल किया हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इसाई धर्म प्रचारकों की राजनैतिक गतिविधियों को बन्द करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)**:(क) और (ख).सरकार को यह मालूम है कि कोहिमा चर्च में इन कागजों की प्रतिलिपियां तैयार की गयी थीं ।

नागालैण्ड में चर्च के प्रमुख के साथ इस विषय पर बातचीत चल रही है ।

नागा पहाड़ियों में केवल एक ही विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक है । वह केवल धार्मिक कार्य ही करता है और राजनैतिक कार्यवाइयों से बिल्कुल अलग है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय सभा सचिव ने बताया कि गिरजाघर में साइक्लोस्टाइल से प्रतियां तैयार की गयी थीं । क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि कुछ धर्म प्रचारक नागा आक्रमणकारियों के हित में बराबर काम कर रहे हैं और यदि हां, तो क्या उन धर्म प्रचारकों के कामकाज के बारे में कोई जांच की गयी है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : जैसाकि मैंने बताया, नागा पहाड़ियों में केवल एक ही विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक है। मुझे दूसरे धर्म प्रचारकों के बारे में, जो राजनैतिक काम कर रहे हों, जानकारी नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : हमें यह बताया गया है कि कुछ धर्म प्रचारकों का श्री फिजो के साथ जो इस समय देश से बाहर है, घनिष्ठ सम्पर्क है और अभी हाल के उपद्रव उनके हस्तक्षेप के कारण ही हुए हैं । जो धर्म प्रचारक नागालैण्ड में उपद्रव कराने में सहायक हो रहे हैं या उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं उनकी गतिविधियों पर काबू रखने के लिये क्या सरकार ने कोई कार्यप्रणाली कायम की है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : जी हां, उसकी ओर सदा ही ध्यान दिया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती मंजुला देवी : नागालैण्ड में एक भीतरी लाइन है और विदेशी लोग नागालैण्ड के अन्दर आसानी से नहीं जा सकते। मैं इन धर्म प्रचारकों के नाम और यह भी जानना चाहती हूं कि वे भीतरी नागालैण्ड में किस प्रकार पहुंचे पाये।

†श्री जो० ना० हजारिका : मैं प्रश्न नहीं समझ पाया।

†अध्यक्ष महोदय: वह यह जानना चाहती हैं कि जब विदेशियों को नागालैण्ड में जाने की अनुमति नहीं है तब वे वहां कैसे पहुंचे ?

†श्री जो० ना० हजारिका : वे बहुत पहले से वहां थे।

†श्री विद्या चरण शुक्ल: क्या पिछले कुछ वर्षों में नागालैण्ड विदेशी धर्म प्रचारकों की भारत-विरोधी राजनैतिक कार्रवाइयों के बारे में कोई और शिकायतें भी मिली हैं ?

†श्री जो० ना० हजारिका : जी नहीं।

†श्री त्यागी : क्या सरकार को मालूम है कि नागालैण्ड में काम करने वाले कुछ धर्म प्रचारकों को विदेशों से पैसा मिल रहा है ? यदि हां तो क्या सरकार उन पर नजर रख रही है ?

†श्री जो० ना० हजारिका : हमें उस बारे में नहीं मालूम है।

†श्री ब्रजराज सिंह : माननीय सभा-सचिव ने अभी अभी बताया कि यह चर्च मिशन नागालैंड के भीतरी भाग के अन्दर है और वह वहां बहुत पहले से था। चूंकि चर्च मिशन की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी पाई गई हैं क्या सरकार नागालैंड में भीतरी भाग से इस मिशन को निकाल बाहर करने की आवश्यकता पर विचार करेगी ?

†श्री जो० ना० हजारिका: : सूचना।

†अध्यक्ष महोदय : उत्तर क्या है ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): उन्हें सूचना चाहिये।

†श्री हेम बरुआ: इस बात को देखते हुए कि ब्रिटिश सत्ताधारी उन पहाड़ियों में एक हाथ में बन्दूक और दूसरे हाथ में बाइबिल लेकर गये थे और उन्होंने वहां बन्दूक और बाइबिल दोनों ही छोड़ दिया है, सरकार ने वहां से बन्दूक और बाइबिल निकाल बाहर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है।

†श्री ब्रजराज सिंह : मैं नहीं समझ पाता कि उन्हें किस बात के लिए नोटिस चाहिए थी। कठिनाई यह है कि ....

†अध्यक्ष महोदय: माननीय सभा सचिव के साथ झगड़ा करने की कोई बात नहीं। माननीय सदस्य ने सवाल पूछा कि उस धर्म प्रचारक को भीतरी भाग से निकाल बाहर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है। वह कहते हैं कि उन्हें नोटिस चाहिए। उसमें हर्ज क्या है ?

†श्री जो० ना० हजारिका : यदि कोई राजनैतिक काम काज के लिए वहां जाता है, तो उसे निकाल बाहर किया जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो चुका ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

मध्य प्रदेश में मैंगनीज की खानें

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७. **श्री विद्याचरन शुक्ल** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल प्राविन्सेज़ मैंगनीज़ और कम्पनी के अधिकतर मैंगनीज़ खनन पट्टे निकट भविष्य में समाप्त होने वाले हैं और क्या नये पट्टे बनाने के लिए आवेदनपत्र दिये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस विषय में कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो वह क्या निर्णय है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) आठ पट्टे शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं और उन्हें नया बनाने के लिए आवेदन पत्र दिये जा चुके हैं ।

(ख) और (ग). उन आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में निर्णय करना सर्वप्रथम सम्बन्धित राज्य सरकार के अधिकार में है । केन्द्रीय सरकार को भी पुनर्विलोकन आवेदन पत्र मिले हैं और उन पर विचार किया जा रहा है । विधि सम्बन्धी स्थिति को देखते हुए तथा अप्रैल, १६५६ के औद्योगिक नीति संकल्प के अन्तर्गत ही उन पर कोई निर्णय किया जायगा ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या मैंगनीज़ की खानों से खनिज निकालना औद्योगिक नीति के संकल्प के अन्तर्गत केवल सरकार के लिए ही सुरक्षित रखा गया है और यदि हां, तो क्या राज्य खनन निगमों के लिए ये खनन पट्टे अपने हाथ में ले लेने का सरकार का विचार है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां । मैंगनीज़ औद्योगिक नीति संकल्प की अनुसूची १ के अन्तर्गत आता है । सरकार खुद करेगी या नहीं यह सवाल उस समय पैदा होगा जब पुनर्विलोकन आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य खनन निगम के जरिये इन पट्टों पर काम करने की इच्छा जाहिर की है और यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार को कोई जवाब दिया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : सब से पहले उन पुनर्विलोकन आवेदन पत्रों पर निर्णय करना होगा जो अभी सरकार के पास पड़ी हुई हैं । मैं बता चुका हूं कि वह उस अधिनियम तथा औद्योगिक नीति संकल्प के अन्तर्गत ही किया जायगा । वह निर्णय किये जाने के बाद ही मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र सरकार की प्रार्थना पर विचार किया जायगा । हमें उन्हें सहयोग देने में या उन्हें स्वतः काम करने की अनुमति देने में प्रसन्नता होगी ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि इस फर्म का कार्यालय लन्दन में रजिस्टर्ड है और क्या वह इन वर्षों में जब कि उसके पास पट्टे थे, सरकार को कुछ देते रहे हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : उनका कार्यलय लन्दन में है और वह कम्पनी राज्य सरकारों को दी जाने वाली सभी रायल्टी देती रहती है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री कासलीवाल** : क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस ख्याल से केन्द्रीय सरकार से बातचीत की है कि वह खुद ही इन आठ खानों से खनिज निकालने के लिए उनका उपयोग करना चाहती है अथवा क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को ये खानें सरकारी क्षेत्र में ले लेने की सलाह दी है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जैसा कि मैंने बताया है, कम्पनी ने पुर्नविलोकन के लिए आवेदन पत्र दिया है और मध्य प्रदेश सरकार को सलाह देने या खुद करने का सवाल तब पैदा होगा जब कि पुर्नविलोकन आवेदन पत्रों पर अन्तिम निर्णय हो जायेगा। हमें तब तक इन्तजार करना होगा जब तक कि सरकार पुर्नविलोकन आवेदनपत्रों पर निर्णय न कर ले ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : माननीय मंत्री ने बताया कि मैंगनीज़ निकालना १९५६ की औद्योगिक नीति संकल्प की अनुसूची क के अन्तर्गत आता है । इसका क्या कारण है कि सरकार की नीति के अनुसार, पट्टा समाप्त होते ही ये खानें अपने हाथ में नहीं ले ली गयीं और आवेदन पत्र मंगाये गये ? क्या यह औद्योगिक नीति संकल्प का उल्लघन नहीं है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : कोई आवेदन पत्र नहीं मांगा गया था । इस अधिनियम के अनुसार अब एक ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि पट्टे समाप्त हो रहे हैं और कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी । उनका आवेदन पत्र महाराष्ट्र सरकार के सामने है । ज्योंही हमें आवेदन पत्र मिलेंगे हम उनका पुर्नविलोकन कर सामान्य रूप से आदेश देंगे । इसलिए, न तो कोई आवेदन पत्र मांगा गया है और न ही हमने अपनी ओर से कोई कार्यवाही की है ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या सरकार जानती है कि इस बात के बावजूद कि यह कम्पनी पचास साल से भारत में काम कर रही है, इस कम्पनी का एक भी हिस्सेदार भारतीय नहीं है और क्या इस कम्पनी द्वारा करों के भुगतान से कोई फर्क पड़ता है क्योंकि इसका रजिस्टर्ड आफिस भारत के बाहर है और वह भारत में नहीं है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां, सभी मायनों में वह एक विदेशी कम्पनी है और यह भी ठीक है कि पचास साल से उसे पट्टा मिला हुआ है । पट्टा समाप्त होने पर क्या किया जाये इस बारे में अन्तिम निर्णय करने के लिए हमारे नियमों और कानूनों में व्यवस्था की गयी है । वह समय आ गया है और कुछ ही महीनों में वह सवाल पैदा होगा और तब हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

†**श्री तंगामणि** : क्या औद्योगिक नीति संकल्प को ध्यान में रखते हुए इस कम्पनी को नया पट्टा न देने के लिए कोई दृढ़ निश्चय किया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं पहले ही इस पर कोई फैसला नहीं दे सकता क्योंकि अभी उस पर विचार किया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दोनों ही, श्री ब्रजराज सिंह और श्री तंगामणि इस बात पर जोर दे रहे हैं कि औद्योगिक नीति संकल्प के अधीन सरकार को यह अपने अधीन ले लेना चाहिये और खुद ही उस पर काम करना चाहिए । यह ठीक है कि औद्योगिक नीति सकल्प में यह व्यवस्था है कि खनन को सरकारी क्षेत्र में ले लिया जाना चाहिये तो इस विषय में नया पट्टा दिया जाय या नहीं, विचार करने की बात कहां आती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह स्पष्ट है कि यह एक विचारणीय विषय है। दूसरी बात यह है कि दूस ी पार्टी को भी विधि की व्याख्या करने का अधिकार है और उसने अपनी व्याख्या के अनुसार कुछ आवेदन पत्र दिये हैं। अब हम एकाएक नहीं कह सकते कि "आपको पट्टा नया बनाने के लिए आवेदन पत्र देने का अधिकार नहीं है।" आवेदन पत्र आया है और इस बारे में निर्णय करने के लिए हम सामान्य प्रक्रिया अपनायेंगे। यह बात नहीं कि यह अपने आप ही सरकार के पास आ जाता है और सरकार उस पर कार्यवाही शुरू कर देती है।

†**कुछ माननीय सदस्य उठे**—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इस विषय पर काफी समय बिताया है। अब मैं अगला विषय ले रहा हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारी ढांचे और जलपोत परियोजनाएं

†*८९५. **श्री उस्मान अली खां** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में भारी ढांचे और जलपोत परियोजनाएं स्थापित करने के बारे में निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की स्थापना कहां की जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). परियोजनाओं और उसके स्थानों पर अभी विचार हो रहा है। देश के किसी भाग में अभी तक कोई स्थान नहीं चुने गये हैं।

राष्ट्रमंडलीय संवैधानिक विकास

†*८९८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडलीय संवैधानिक विकास सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गयी थी ; और

(ख) समिति का कार्यक्षेत्र क्या है और उसने अपने काम में अब तक क्या प्रगति की है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव श्री (सादत अली खां)**: (क) और (ख). राष्ट्रमंडल के संवैधानिक विकास के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए जुलाई, १९६० में ब्रिटेन, कनाडा, न्यूज़ीलैण्ड, आस्ट्रेलिया, भारत और घाना के वरिष्ठ पदाधिकारियों के एक दल की बैठक लन्दन में हुई थी। इस दल की रिपोर्ट गोपनीय है और वह सदस्य देशों की सरकारों को ब्रिटिश सरकार के जरिये विचारार्थ भेज दी गयी है।

दर्शन यंत्रों के शीशे

†*९०८ **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** १६ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि 'सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट' द्वारा दर्शन यंत्रों के शीशे बनाये जाने चाहिएं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या दुर्गापुर की प्रस्तावित परियोजना में केवल ऐनकों के शीशे ही बनाये जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने दर्शन यंत्रों और ऐनकों के शीशे के संयुक्त संयंत्र की मूल परियोजना में यह परिवर्तन किन बातों के कारण किया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) चूंकि 'सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सेरामिक रिसर्च इंस्टिट्यूट' ने व्यापारिक पैमाने पर दूरबीन आदि के शीशे तैयार करने का तरीका बड़ी सफलतापूर्वक निकाला है और कार्यान्वित किया है, दुर्गापुर का कारखाना केवल ऐनकों के शीशे ही तैयार करेगा ।

घड़ियों का कारखाना

†*६१०. { **श्री अरविन्द घोषाल** :
श्री भक्त दर्शन :
श्री पागरकर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वें० ईयाचरण :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नंजप्पा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र में घड़ियों का एक कारखाना लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कहां पर, और इसकी क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र में घड़ियों के निर्माण की अन्य योजनाओं को इस बीच अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इनका ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने की दो योजनाएं और छोटे पैमाने की चार योजनाएं मंजूर की हैं । ब्यौरे दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विकिरण द्वारा फल-परिरक्षण

†*६११. { **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** :
श्री बहादुर सिंह :
श्री नेकराम नेगी :

क्या **प्रधान मंत्री** १२ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु शक्ति आयोग द्वारा 'विकिरण द्वारा फलपरिरक्षण' के बारे में अनुसन्धान कार्य किया गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या आज तक किये जा चुके अनुसन्धान कार्य के आधार पर इस बात का कोई संकेत मिला है कि 'विकिरण द्वारा फल-परिरक्षण' की विधि का प्रयोग वाणिज्यिक पैमाने पर किया जा सकता है ; और

(ग) क्या इस दिशा में कोई प्रयास किया गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ४६**]

गृह-निर्माण योजनाओं के लिये राज्यों को ऋण

†*९१२. **शेख मुहम्मद अकबर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में राज्य सरकारों को उनकी गृह-निर्माण योजनाओं के लिये कुल कितना ऋण तथा राज-सहायता देने का विचार है और इसमें से कितनी राशि 'निम्न-आय वर्ग गृह-निर्माण योजना' के अन्तर्गत होगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : पिछली जनवरी में राष्ट्रीय विकास परिषद् में हुई चर्चा के अनुसार, तीसरी पंचवर्षीय योजना में मकान बनाने के लिए लगभग १५७ करोड़ रुपया रखा जायगा जिसमें निम्न आय वर्ग गृह निर्माण योजना के लिए करीब ३६ करोड़ रुपया शामिल है । वास्तविक आंकड़े उसी समय मालूम होंगे जब तीसरी पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से तैयार हो जायगी ।

उड़ीसा में बेरोजगारी

†*९१३. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अगस्त, १९६० की प्रलयंकर बाढ़ों से प्रभावित लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक रोजगार दफ्तरों में प्रत्येक जिले के कितने बाढ़-प्रभावित लोगों का पंजीयन हो चुका है ; और

(ग) इन पंजीबद्ध लोगों में से कितने व्यक्ति काम पर लग चुके हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ग). यह विषय राज्य के अधीन है और इसलिए आवश्यक जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय

*९१४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार अपनी संसद में एक विधेयक पेश कर रही है जिससे नवविवाहिता वधुओं का अपने पतियों के साथ दक्षिण अफ्रीका जाना निषिद्ध कर दिया जाएगा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार समय-समय पर ऐसे भारत-विरोधी विधान बनाती रही है; और

(ग) क्या भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार को इस बारे में लिखा है और यदि हां, तो क्या कोई उत्तर मिला है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खाँ) : (क) सरकार ने समाचार-पत्रों में इस तरह की रिपोर्ट देखी हैं।

(ख) जी हां। यह सर्वविदित है।

(ग) जी नहीं। भारत सरकार ने इस बारे में दक्षिण अफ्रीका सरकार को न तो लिखा है और न लिखने का इरादा ही है। ऐसे मामले तभी सुलझ सकते हैं जब दक्षिण अफ्रीका "पृथक्करण" की अपनी निन्दनीय नीति को त्याग दें।

अमृतसर में ऊनी कपड़े के कारखानों का बन्द होना

†*६१५. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री वाजपेयी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से वर्स्टेड ऊनी धागा न मिलने के कारण अमृतसर के ऊनी कपड़े के छोटे पैमाने के २७१ कारखाने, जो 'छोटे पैमाने के ऊनी कपड़ा निर्माता संस्था' के सदस्य हैं, बन्द हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कारखाने को पुनः चालू कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). यह बताया जाता है कि अमृतसर में ऊनी बुनाई के कुछ कारखाने थोड़े समय के लिए बन्द हो गये थे। अब यह समाचार प्रकाशित हुए हैं कि स्माल स्केल वूलन मैनुफैक्चरर्स असोसियेशन ने टेक्स्टाइल कमिश्नर के साथ बातचीत के बाद ये कारखाने फिर चालू कर दिये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कराची में भारतीय राजदूतावास को पहुंची क्षति के लिये प्रतिकर

†*६१६. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री विभूति मिश्र : }

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तान सरकार ने २५ फरवरी, १९६१ को प्रदर्शनकारियों द्वारा पत्थर फेंकने के परिणामस्वरूप भारतीय राजदूतावास की इमारत को पहुंची क्षति की पूर्ति करना स्वीकार कर लिया है

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री ओ० ना० हजारिका)** पाकिस्तान के समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार पाकिस्तान के गृहमंत्री ने २ मार्च, १९६१ को कहा कि पाकिस्तान सरकार भारतीय राजदूतावास की इमारत को पहुंची क्षति के लिए क्षतिपूर्ति देगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ के मानचित्रों में काश्मीर की स्थिति

†*६१७. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री आसर :
श्री वाजपेयी :
श्री पांगरकर :
श्री हेमराज :
श्री इन्द्रजीत गुप्त : }

क्या प्रधान मंत्री १६ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के मानचित्र में काश्मीर की स्थिति के गलत रेखांकन के बारे में भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय से इस बीच उत्तर प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सरकारी क्वार्टरों का दिया जाना

*६१८. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर : }

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री २५ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टर देने के बारे में नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट की एक प्रति उस पर सरकारी निश्चयों सहित टेबल पर रखी जायेगी ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) सिफारिशें अभी तक सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) रिपोर्ट की एक प्रति उस पर सरकारी निश्चयों सहित यथासमय सदन की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

नान कोकिंग कोयले की धुलाई के कारखाने

†*६१६. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मंत्रालय ने नान-कोकिंग कोयले की धुलाई करने वाले कारखानों की स्थापना के लिये योजना आयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना में १२ करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) जी हां। रेलवे मंत्रालय ने योजना आयोग से यह प्रार्थना की थी कि रेलवे के लिये नान-कोकिंग कोयले की धुलाई के लिये धुलाई कारखाने स्थापित करने की कार्यवाही की जाये और उस के लिये योजना में उचित व्यवस्था की जाये ।

(ख) इस योजना के बारे में दृढ़ निश्चय करने से पहले यह आवश्यक है कि जिन क्षेत्रों में ये धुलाई कारखाने खोलने का विचार है वहां से प्राप्त नान-कोकिंग कोयले के बारे में उस की धुलाई संबंधी विशेषताओं के आंकड़े और उस कोयले की धुलाई में नफा नुकसान के बारे में जानकारी प्राप्त की जाये। ईंधन अनुसन्धानशाला से प्राथमिकता के आधार पर यह जांच पड़ताल करने के लिये कहा गया है और ये परिणाम प्राप्त होते ही निश्चय किया जायेगा ।

पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास

†*६२०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के पिछड़ हुए क्षेत्रों और तुलनात्मक दृष्टि से सम्पन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक दृढ़ता और विकास का अन्तर दूसरी पंचवर्षीययोजना की अवधि में और अधिक बढ़ गया है;

(ख) क्या तीसरी योजना की अवधि में यह अन्तर और भी अधिक हो जायेगा; और

(ग) क्या इसे दूर करने के लिये कोई उपाय सोचे गये हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र** : (क) से (ग). इस विषय पर अध्ययन किया जा रहा है ।

जनेवा में श्रम सहचारी[1]

†*६२१. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनेवा में श्रम सहचारी के कार्यालय के प्रतिष्ठान पर उस की स्थापना से ले कर अब तक भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितना खर्च किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Labour attache

(ख) इस कार्यालय में कितने कर्मचारी कार्य करते हैं और इन में कितने भारतीय कर्मचारी हैं ;

(ग) श्रम और रोजगार मंत्रालय को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में श्रम सहचारी से कहाँ तक लाभ पहुंचा है; और

(घ) क्या इसे स्थायी रूप में जारी रखने का निश्चय किया गया है और क्या इस प्रकार के सहचारी अन्य देशों में भी रखे जा रहे हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क)

वर्ष	धनराशि
	रुपये
अक्तूबर, १९५६ से मार्च, १९५७ तक	२३,१८८
१९५७–५८	५५,१९०
१९५८–५९	५६,०८५
१९५९–६०	५५,३६०
१९६०–६१	६८,२०७

(ख) एक स्टैनोग्राफर और एक टाइपिस्ट क्लर्क, एवं मैनेजर, दोनों स्थानीय और गैर-भारतीय श्रम सहचारी, जिस का पदनाम अब अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मंत्रणादाता है, भारतीय है ।

(ग) प्रशासी निकायों में और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की विभिन्न समितियों में विभिन्न देशों की सरकारों, मालिकों और श्रमिकों के साथ उन के निकट और लगातार सम्बंध के जरिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मंत्रणादाता अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता नीति पर कम विकसित देशों के लिये प्रभाव डालने में बहुत सफलता मिली है । वह विदेशों में श्रम समस्याओं और उन को सुलझाने के तरीकों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्राप्त करने में बहुत लाभदायक सिद्ध हुए हैं ।

(घ) जी, अभी नहीं ।

अम्बर चरखा

†*९२२. **श्री तंगामणि** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अम्बर चरखे का प्रचार करने के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गयी और इस में से कितनी रकम व्यय की गयी;

(ख) उत्पादन और केन्द्रों को खोलने के मामले में इस का क्या परिणाम रहा; और

(ग) इस कार्य पर प्रत्येक राज्य में कितना व्यय किया गया ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४७]

†मूल अंग्रेजी में

लैम्बरेटा स्कूटर

†*६२३. श्री अ० मु० तारिक : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि खरीदारों को जो लैम्बरेटा स्कूटर दिये जा रहे हैं, उन में से कुछ कल पुर्जे नहीं होते किन्तु उन स्कूटरों की कीमत में से उन कल पुर्जों की कीमत नहीं घटाई जाती ;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि खरीदारों को ये कल पुर्जे काफी देर से संभरण नहीं किये गये ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में खरीदारों के हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

लैम्ब्रेटा स्कूटरों के कल पुर्जों के कम संभरण के बारे में सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है । सरकार द्वारा अनुमोदित लैम्ब्रेटा स्कूटरों के मूल्य में किसी पुर्जे की कीमत शामिल नहीं है । यदि माननीय सदस्य को किसी कठिनाई का पता चले, तो मैं उन से जानकारी प्राप्त कर उन का आभारी हूंगा ।

अनुशासन संहिता

†*६२४. { श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री तंगामणि :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के मुख्य नियोजकों ने अभी तक अनुशासन संहिता लागू नहीं की है;

(ख) यदि हां तो किन उपक्रमों ने इसे लागू नहीं किया है ?

(ग) ऐसा न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस बात के लिये, कि यह संहिता सरकारी उपक्रमों के सभी नियोजकों द्वारा लागू की जाये, यदि कोई कदम उठाये गये हों, अथवा उठाये जाने का विचार हो तो वे क्या हैं ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). सरकारी क्षेत्र में बैंकों, जीवन बीमा निगम और पत्तन न्यासों को छोड़ कर अनुशासन संहिता सभी समवायों, नियमों और विभागीय उपक्रमों पर लागू है । उन उपक्रमों पर संहिता लागू करने के बारे में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । तथापि रेलवे ने इस संहिता को लागू करना आवश्यक नहीं समझा क्योंकि उन की राय में उन के प्रमुख उद्देश्य उन के पुरानी प्रक्रियाओं और परम्पराओं के जरिये सुरक्षित हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अस्पताल

†*६२५. **श्री तंगामणि** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अस्पतालों का निर्माण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ग) अभी तक कितने अस्पतालों का निर्माण हुआ है, इन अस्पतालों का निर्माण किन किन स्थानों पर हुआ है और प्रत्येक अस्पताल में कितने पलंगों की व्यवस्था है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) अस्पताल सुविधायें देने की जिम्मेवारी राज्य सरकारी की है । विलम्ब मुख्यतः जगह लेने और इस्पात, और सीमेंट के संभरण में बाधा के कारण हुआ ।

(ग) अभी तक कोई अस्पताल पूरा नहीं हुआ है परन्तु बंगलौर (१७२ बिस्तरे), कानपुर (११२ बिस्तरे) और मद्रास (१७५ बिस्तरे) में तीन अस्पतालों और बम्बई में (३०० और २०० बिस्तरे) दो अस्पतालों का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं ।

दिल्ली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को औद्योगिक प्रशिक्षण

†१७६३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १६६०-६१ में दिल्ली में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कुल कितने बालक बालिकाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण दिया गया;

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में स्थापित किये गये विभिन्न उद्योगों में ऐसे कितने बालक बालिकाओं को रोजगार दिया गया; और

(ग) उन को प्रशिक्षण और रोजगार के लिये और सुविधायें देने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क)

	पुरुष	महिलायें	कुल
अनुसूचित जातियां	८७	१०	९७
अनुसूचित आदिम जातियां	..	..	..
अन्य पिछड़े वर्ग	७६	२५	१०१

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) वर्ष १६६०–६१ में ६० अतिरिक्त सीटें चालू की गयी थीं और तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की क्षमता को बढ़ा कर १३२४ सीटें कर देने की प्रस्थापना है । क्योंकि अनुसूचित जातियों के लिये १२$^1/_2$ प्रतिशत और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये ५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं; उन के लिये उपलब्ध सीटों में भी तदनुसार वृद्धि हो जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

विभिन्न भाषाओं में बनायी गयी फिल्में

†१७६४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में वर्ष १९६० में बनाये गये वृत्त चित्रों के भाषा-वार आंकड़े दिये गये हों और यह बतायेंगे कि :

(क) क्या बंगाली फिल्म में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो बंगाली फिल्म उद्योग को क्या विशेष सहायता दी गयी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : चलचित्र अधिनियम, १९५२ के अधीन वर्ष १९६० में फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा प्रमाणित वृत्त-चित्रों के भाषा-वार आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

१. बंगाली	३८
२. अंग्रेजी	१
३. गुजराती	२
४. हिन्दी	१२१
५. कन्नड़	१२
६. मलयालम	६
७. मराठी	१५
८. उड़िया	५
९. पंजाबी	४
१०. सिन्धी	१
११. तमिल	६३
१२. तेलुगु	५४
१३. उर्दू	२

(क) और (ख). बंगाली फिल्मों में पहले वर्ष से कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है । देश में किसी विशेष फिल्म उद्योग को या उस के किसी अनुभाग को कोई विशेष सहायता नहीं दी जाती ।

फिल्म समारोह में भारतीय फिल्में

†१७६५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६० में भारतीय फिल्मों ने कई फिल्म समारोहों में भाग लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन के नाम और स्थल क्या हैं; और

(ग) हमारी फिल्मों ने क्या इनाम जीते ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४८]**

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में बेरोजगारी

†१७६६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६६०–६१ में **पंजाब** के काम दिलाऊ दफ्तरों में अभी तक कितने व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज कराये हैं;

(ख) उक्त अवधि में कितने बेरोजगार स्नातकों, एफ० ए० पास और मैट्रिक पास व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज कराये थे; और

(ग) कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) अप्रैल, १६६० से जनवरी, १६६१ तक १,६८,११७

(ख)

वर्ग	अप्रैल, १६६० से दिसम्बर, १६६१ तक
ग्रेजुएट	४,२८३
इण्टरमीडियेट .	४,२२८
मैट्रिकुलेट	४४,५०२

*जानकारी केवल तिमाही के आधार पर एकत्रित की जाती है।

(ग) अप्रैल, १६६० से जनवरी, १६६१ तक २८,४६० व्यक्तियों को।

नेपाल को सहायता

†१७६७. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल की विकास योजना की कार्यान्विति के लिये नेपाल को दी जा रही सहायता के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) अभी तक कुल कितनी सहायता दी गयी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख) ३१ दिसम्बर, १६६० तक कुल ४,४७,४३,२४१ रुपये की सहायता दी गयी। अभी भी सहायता दी जा रही है और वह सरकार इस राशि का सम्भरण योजनाओं, ग्राम्य विकास, सड़क निर्माण, स्थानीय विकास कार्यों, सर्वेक्षण आदि के कार्यों में इस्तेमाल कर रही है।

पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग

†१७६८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पंजाब के छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये अभी तक कितनी राशि आवंटित की गयी है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४९]**

बम्बई में हथकरघा श्रमिकों के लिये आवास

†**१७९९. श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भूतपूर्व बम्बई राज्य में हथकरघा श्रमिकों के आव लिये कितनी राशि निर्धारित की गयी थी ;

(ख) अभी तक कितनी राशि का इस्तेमाल किया जा चुका है; और

(ग) कुल कितने मकान बनाने का लक्ष्य था और अभी तक कितने मकान बन चुके हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भूतपूर्व बम्बई राज्य में हथकरघा श्रमिकों के आवास के लिये कोई विशेष राशि निर्धारित नहीं की गयी थी। फिर भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड द्वारा निर्धारित की गयी राशि में से १०,७८,००० रुपयों की व्यवस्था की गयी है ।

(ख) बुनकर सहकारी संस्थाओं को अभी तक ६,६६,०२४ रुपयों की राशि मंजूर की गयी है । इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुदान अंश के रूप में १०,७१६ रुपयों की एक और राशि भी दी जायेगी ।

(ग) कुल ६६० मकान बनाने का विचार था। इसमें से १९६ मकान बन चुके हैं और शेष ४६० मकानों का निर्माण शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

भारत-पाक सीमान्त समझौता

†**१८००. श्री पांगरकर** : क्या **प्रधान मंत्री** २२ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी पाकिस्तान और आसाम सीमा पर भारत पाक सीमान्त समझौते के भूमि नियमों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में इस बीच अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें नवम्बर, १९६० के बाद इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का व्यौरा बताया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५०]** प्रगति सन्तोषजनक है ।

ऊनी तथा रेशमी खादी पर छूट

†**१८०१. श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ से १९६० तक ऊनी तथा रेशमी खादी पर राज्यवार कितनी छूट (रिबेट) दी गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: विभिन्न खादी संस्थाओं/विक्रय केन्द्रों आदि से पुनरीक्षित दरों पर ऊनी तथा रेशमी खादी पर छूट के सम्बन्ध में प्राप्त दावों की अभी जांच की जानी है। इसलिये

---

†मूल अंग्रेजी में

यह बताना सम्भव नहीं है कि कितनी छूट दी गयी है। फिर भी सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें १९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० वर्षों के दौरान देय छूट की रकम का प्राक्कलन किया गया है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५१]

पंजाब में छोटे पैमाने के हथकरघा उद्योग

†१८०२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में अभी तक पंजाब में किस किस स्थान पर और कितने छोटे पैमाने के हथकरघा उद्योग प्रारम्भ किये गये हैं;

(ख) इन उद्योगों के विकास के लिये ऋणों और अनुदानों के रूप में कुल कितनी राशि मंजूर की गयी है; और

(ग) उक्त अवधि में प्रत्येक उद्योग का कितना उत्पादन हुआ था और उससे कितनी आय हुई है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). नये हथकरघा उद्योगों को चलाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। अतः यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

सरकारी उपक्रमों को राष्ट्रपति की ओर से पुरस्कार

†१८०३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुने हुए सरकारी उपक्रमों को उनके द्वारा किये गये कार्यों के लिये हाल ही में स्थापित किये गये वार्षिक पुरस्कार कब से प्रदान किये जायेंगे ;

(ख) भिन्न भिन्न प्रकार का कार्य करने वाले सरकारी उपक्रमों के कार्यों का मूल्यांकन कौन करेगा और इसके लिये क्या प्रक्रिया तय की गई है; और

(ग) क्या गैर सरकारी क्षेत्र के लिये भी इसी प्रकार के पुरस्कार देने का कोई विचार है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) इस सम्बन्ध में प्रथम पुरस्कार सम्भवतः चालू वर्ष में ही दिये जायेंगे।

(ख) उपक्रमों के कार्यों का मूल्यांकन एक "विशेषज्ञ समिति" करेगी जिसके सदस्य विज्ञान, औद्योगिकी और इंजीनियरी वित्त संगठनों आदि के विभिन्न क्षेत्रों से लिये जायेंगे।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है।

पाकिस्तान के मुसलमान यात्री

†१८०४. { **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ की तुलना में १९६० में कितने मुसलमान यात्री पाकिस्तान से अजमेर में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वार्षिक उर्स में भाग लेने के लिये आये थे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनकी संख्या में यदि कोई वृद्धि या कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कितने यात्री अभी तक भारत में ही रह रहे हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १९६० में ५,४५१ ।

(ख) 'वीसा' के लिये प्राप्त हुए आवेदन पत्रों से यह ज्ञात होता है कि १९५९ की अपेक्षा १९६० में अधिक पाकिस्तानी यात्रा करने के लिये उत्सुक थे । १९६० में दो बार उर्स हुए---एक जनवरी, १९६० में और दूसरा दिसम्बर, १९६० में । १९५९ में केवल एक ही उर्स हुआ था ।

(ग) १००० व्यक्ति अभी तक अपने वैध वीसाओं से अजमेर में रह रहे हैं ।

मंत्रियों के लिये निवास स्थान

१८०५. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९-६० में केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा-सचिवों को निवास-स्थान देने पर कितना धन व्यय हुआ ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

रसायनों का आयात

†१८०६. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १३ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य पूर्व अफ्रीका को रसायनों के निर्यात के बढ़ाने के लिये वहां भेजे गये प्रतिनिधिमण्डल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले ही प्राप्त हुई है । उस पर अभी विचार किया जा रहा है ।

रूरकेला इस्पात परियोजना क्षेत्र में छोटे पैमाने के उद्योग

†१८०७. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १३ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात परियोजना क्षेत्र के आस पास छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना के लिये रूरकेला क्षेत्र के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में एक प्रारूप रिपोर्ट तैयार की गई थी और अब जनवरी १९६१ में उड़ीसा सरकार और हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड में हुई बातचीत के प्रकाश में इस का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यूरोपीय देशों को लौह अयस्क का निर्यात

†१८०८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १३ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि यूरोपीय देशों को लौह अयस्क के निर्यात को बढ़ाने के लिये किये गये यत्नों के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (१) १९६१ में २ लाख टन लौह अयस्क के निर्यात के सम्बन्ध में रूमानिया के साथ किये गये करार के अन्तर्गत १९६६ तक उस मात्रा को १० लाख टन तक बढ़ा दिया जायेगा ।

(२) १९६०-६१ में इटली को १,५०,००० टन लौह अयस्क का निर्यात किया गया है और पश्चिमी जर्मनी को २,००,००० टन का ।

(३) यूरोपीय देशों को लौह अयस्क के निर्यात में १९६० में १२.४६ लाख टन की वृद्धि हुई है जबकि १९५९ में १०.२० लाख टन की हुई थी ।

गाय की आंतों का निर्यात

१८०९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुरादाबाद में गाय की आंतों की बड़े परिमाण में बिक्री होती है ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि यह कारोबार करने वाले व्यापारी किन-किन देशों को गाय की आंतें निर्यात करते हैं और गत पांच वर्षों में प्रत्येक देश को कितना और कितने मूल्य का निर्यात किया गया ; और

(ग) उक्त अवधि में इस व्यापार से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). जिन पशुओं को "खाल निकाले जाने वाले पशु" की श्रेणी में रखा जा सकता है उन की आंतें बहुत से केन्द्रों में उपलब्ध हैं । सरकारी आंकड़ों में गाय की आंतों के निर्यात का लेखा अलग नहीं रखा जाता है । भारत से भिन्न-भिन्न देशों को १९५७ से पशुओं की खालों का जो निर्यात किया गया वह इस प्रकार है :—

देश	१९५७		१९५८		१९५९		१९६०	
	परि०	मूल्य	परि०	मूल्य	परि०	मूल्य	परि०	मूल्य
ब्रिटेन	४	४	..	..	..	..	..	..
स्पेन	५६०	७२०	६७७	६८७	१४७४	१२६८	१३७२	१२५३
पुर्तगाल	३४	५७	८६	१०१	३९९	३३०	२५०	२३५
प० जर्मनी	११	४९	..	..	२१	२५	..	..
अन्य देश .	३९	५६	११४	६६	१७७	१३३	५७	५१
योग .	६४८	८६६	८७७	८५४	२०३१	१७५६	१६९६	१५३९

परिमाण—हंडरवेटों में

मूल्य—हज़ार रुपयों में

(१९५७ से पहले के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली का औद्योगिक सर्वेक्षण

१८१०. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १७ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जो औद्योगिक सर्वेक्षण किया जा रहा था उस में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा होने की आशा है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) दिल्ली प्रशासन ने फरवरी, १९६१ तक ४,४५५ औद्योगिक कारखानों का सर्वेक्षण किया ।

(ख) सर्वेक्षण के शीघ्र ही पूरे हो जाने की आशा है और उस के बाद आंकड़ों की तालिकायें बनाई जायेंगी ।

राज्य व्यापार निगम

†१८११. { **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पांगरकर : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के संथा के अन्तर्नियमों में संशोधन करने के सम्बन्ध में फैसला कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक आशा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है । आशा है कि शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा ।

कागज बनाने की मशीनें

†१८१२. { **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कागज बनाने की सम्पूर्ण मशीनरी के निर्माण के लिये स्वीकृत फर्मों में से कितनी फर्मों ने निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है , और

(ख) इन फर्मों द्वारा स्थापित क्षमता के अनुसार उत्पादन कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). कागज बनाने की सम्पूर्ण मशीनरी के निर्माण के लिये उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, १९५१ के अधीन ६ फर्मों को लाइसेन्स दिये गये थे, उन में से ५ फर्में उत्पादन स्थिति पर पहुंच गई हैं। एक फर्म स्थापित क्षमता तक पहुंच भी गई है और आशा है कि २ फर्में १९६१ तक और शेष २ फर्में १९६२ तक स्थापित क्षमता तक पहुंच जायेंगी ।

एरणाकुलम् में इस्पात के रस्से तैयार करने का कारखाना

†१८१३. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री मे० क० कुमारण :
श्री वारियर :
श्री पुन्नूस :
श्री कोडियान :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एरणाकुलम् में इस्पात के तार के रस्से तैयार करने के कारखाने की स्थापना के लाइसेन्स के लिये कोई आवेदन पत्र केरल सरकार की मार्फत प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या लाइसेन्स दे दिया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

स्विट्जरलैण्ड के साथ चाय का व्यापार

†१८१४. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय स्विटजरलैण्ड, इटली और फ्रांस के साथ चाय के व्यापार की क्या स्थिति है ; और

(ख) यह व्यापार गत वर्ष के व्यापार की तुलना में कैसा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). १९५९ और १९६० के व्यापार के आंकड़े निम्नलिखित हैं:—

वर्ष	स्विट्जरलैण्ड		इटली		फ्रांस	
	मात्रा (पौंड)	मूल्य (रुपये)	मात्रा (पौंड)	मूल्य (रुपये)	मात्रा (पौंड)	मूल्य (रुपये)
१९५९	५७,२७९	२०२,७५९	१३५,९९९	४३५,५२४	१०२,७२१	२९९,८१७
१९६०	५३४,८१०	२,२६१,१८७	१२७,५२५	४३१,८६२	९९,३४६	२९४,१२१

†मूल अंग्रेजी में

लाख की वस्तुओं का निर्यात

†१८१५. श्री पांगरकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में लाख की वस्तुओं का निर्यात कम हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से ज्ञात होगा, हाल ही में इसके निर्यात में कोई कमी नहीं आयी है :—

	१९५८ करोड़ रुपये	१९५९ करोड़ रुपये	१९६० करोड़ रुपये
(१) लाख का निर्यात	५.८९	६.१०	६.४१
(२) लाख की वस्तुओं का निर्यात	१२.२	१३.४	१३.८

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कारखानों का बन्द हो जाना

†१८१६. { श्री मुरारका :
श्री नथवानी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन कौन से औद्योगिक एकक हैं जो कि कोयले की कमी के कारण आंशिक रूप से यह पूर्ण रूपेण बन्द हो गये हैं ; और

(ख) उसके परिणामस्वरूप उत्पादन कार्य में नुकसान हुआ है ।

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) और (ख). कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है और इसे एकत्रित करना भी कठिन है । यदि किसी विशेष स्थान के सम्बन्ध में पूछा जाये, तो जानकारी एकत्रित की जा सकती है ।

नागा पहाड़ियों में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां

१८१७. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंग्लैंड के बिशप स्काट जब भारत आये थे तो उन्होंने गत जनवरी में एक वक्तव्य जारी किया था जिसमें बताया था कि नागालैंड में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां राष्ट्र-विरोधी हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्काट ने यह भी बताया है कि नागालैंड में पृथक्करण की प्रवृत्तियां फैलाने का काम अंग्रेजों के शासन में ईसाई धर्म प्रचारकों ने ही आरम्भ किया था ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उसने यह परामर्श दिया है कि ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). रेवरेंड माइकेल स्काट ने भारत से रवाना होने से पहले जो बयान दिया था, उसकी अखबारों में छपी कुछ रिपोर्टें सरकार ने देखी हैं।

ऐसी रिपोर्ट है कि नागालैंड में मिशनरियों की कार्रवाइयों के बारे में उन्होंने निम्नलिखित बातें कही थीं :

> "दूसरी ओर, ऐसा जान पड़ता है कि जिन मिशनरियों को वहां जाने की इजाज़त दी गई थी, उनमें से बहुतों ने एक विचित्र प्रकार के धर्म का संदेश दिया, जो बाइबिल की शाब्दिक अखण्डता और कट्टर राष्ट्रीयता से मिलती-जुलती सामाजिक तथा राजनीतिक नैतिकता पर ज्यादा आधारित था, न कि "सरमन आन द माउंट" तथा "न्यू टेस्टामेंट" में निहित ईसा के संदेश पर।"

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा छापे

†१८१८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६० में पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर पाकिस्तानी राष्ट्रजनों या सशस्त्र सेनाओं द्वारा भारतीय क्षेत्र में कितने छापे, गोली चलाने, अपहरण और तस्कर व्यापार के मामले किये गये थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: राज्य सरकारों के परामर्श से जानकारी एकत्र की जा रही है। प्राप्त होते ही जानकारी सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

नेपाली विमान चालकों को प्रशिक्षण

†१८१९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने नेपाली विमान चालकों को उड्डयन सम्बन्धी प्रशिक्षण की सुविधायें देने के लिये भारतीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) जी, हां।

(ख) ६ नेपाली विमान चालक इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

सड़क निर्माण में काम आने वाली मशीनें

†१८२०. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री अगाडी :
श्री वोडयार :
श्री सुगन्धि :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री क० उ० परमार :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी फैक्टरियों में सड़क कूटने के इंजन (रोड रोलर्स) तथा उनके फालतू पुर्जों का निर्माण हो रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितनी फैक्टरियों में अन्य प्रकार की सड़क निर्माण मशीनों जैसे क्रशर, मिक्सर, वाइब्रेटर और स्कामलर का निर्माण हो रहा है ;

(ग) उन फैक्टरियों में किया जा रहा उत्पादन सड़क विकास योजना के सम्बन्ध में चीफ़ इंजीनियर की रिपोर्ट के परिशिष्ट १६ में पृष्ठ ८० पर दी गयी आवश्यकता की तुलना में कैसा है ; और

(घ) उस रिपोर्ट के परशिष्ट १५ में उल्लिखित मशीनों को प्राप्त करने के लिये क्या क्या प्रबन्ध करने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५२]

शरणार्थी मार्किटों में दुकानों के स्वामित्व अधिकार

†**१८२१. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को हाल में दिल्ली राज्य शरणार्थी सन्था की ओर से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि नई शरणार्थी मार्किटों के दुकानों के स्वामित्व अधिकार एलाटियों को ही दे दिये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). हाल के कुछ वर्षों में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । अगस्त, १९५७ में यह निश्चय किया गया था कि निम्नलिखित पांच मार्केटों के स्वामित्व अधिकार न सौंपें जायें :—

(१) न्यू सेन्ट्रल मार्केट जिसे शंकर मार्केट कहते हैं ।

(२) कमला मार्केट ।

(३) सरोजिनी मार्केट ।

(४) रायसीना रोड मार्केट ।

(५) प्लैजर गार्डन मार्केट ।

१४ अप्रैल १९५८ को एक प्रेस नोट जारी किया गया था जिसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५३]

भारी मशीनी पुर्जों का निर्माण

†**१८२२. श्री हेमराज** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा भारी मशीनी पुर्जों के निर्माण के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ख) सरकार उन फैक्टरियों को क्या सहायता दे रही है जो कि इन पुर्जों का निर्माण कर रहे हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन पुर्जों के आयात पर १६५८ से १६६० तक कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी थी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) १६६० में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन गैर-सरकारी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के ऐसे औद्योगिक उपकरणों तथा मशीनों के निर्माण के लिये ११० लाइसेंस दिये गये थे, जो कि भारी मशीनों के पुर्जों के रूप में सहायक सिद्ध हो सकते हैं । १६५६ में इस कार्य के लिये ६६ लाइसेंस दिये गये थे ।

सरकारी क्षेत्र में निम्नलिखित उपक्रमों को उक्त प्रयोजनों के लिये स्थापित किया गया है :—

(१) भारी मशीनों के निर्माण, कोयला खनन मशीनरी, फाउंडरी फोर्ज तथा भारी मशीनी औजार परियोजनाओं के लिये हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची । (इस समय वहां निर्माण प्रारम्भ हो गया है ।)

(२) हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल (कुछ वस्तुओं का निर्माण अभी अभी प्रारम्भ किया गया है ।)

(३) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर (उत्पादन कार्य हो रहा है ।)

(४) प्रागा टूल्स कारपोरेशन, हैदराबाद । (उत्पादन कार्य हो रहा है ।)

(५) नाहन फाउंडरी, नाहन । (उत्पादन कार्य हो रहा है ।)

(ख) उक्त वस्तुओं का निर्माण करने वाली फैक्टरियों को सरकार द्वारा निम्नलिखित विशेष सहायतायें दी जा रही हैं :—

(१) औद्योगिक मशीनरी के निर्माण के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्रों को अनुज्ञप्ति समिति को सौंपे बिना ही सामान्यतया स्वीकार कर लिया जाता है ।

(२) विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाली फर्मों को सामान्य रूप से यह अनुमति दे दी गयी है कि यदि वे विदेशी मुद्रा की निर्धारित राशि से अधिक खर्च न करते हुए स्वदेशी स्रोतों से मशीनरी के पुर्जे प्राप्त कर सकें तो वे लाइसेंस में निर्धारित क्षमता से भी अधिक का उत्पादन कर सकती हैं ।

(३) आयात लाइसेंस देते समय मशीनरी निर्माताओं की आवश्यकताओं के आयात को प्राथमिकता दी जाती है ।

(४) मशीनों के आयात पर निर्माण को कम करने के लिये देश में ही विभिन्न प्रकार की मशीनों के निर्माण को बढ़ाने की संभावना पर विचार करने के लिये विकास परिषदों की स्थायी समितियां स्थापित की गयी हैं ।

(५) मशीनरी निर्माण उद्योग के लिये एक अलग विकास परिषद स्थापित करने के बारे में भी निर्णय किया गया है ।

(ग) यह जानकारी एकत्र करना कठिन है ।

†मूल अंग्रेज़ी में

बेतिया कैम्प (बिहार) के विस्थापित व्यक्ति

१८२३. **श्री विभूति मिश्र : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) बिहार के जिला चम्पारन के बेतिया कैम्प में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को कहां-कहां बसाया गया है ;

(ख) अभी कितने विस्थापित व्यक्तियों को बसाया जाना शेष है ; और

(ग) उन लोगों की वर्तमान अवस्था क्या है जिन्हें बसाया जा चुका है ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५४]

(ख) बेतिया कैम्प में पुनर्वास योग्य अब कोई परिवार नहीं हैं ।

(ग) हाल ही में कोई शिकायतें नहीं आई हैं ।

इन्डोनेशिया में जेल भेजे गये भारतीय

१८२४ { **श्री रघुनाथ सिंह :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डोनेशिया में तीन भारतीयों को जेल भेजा गया है और उनको वर्ष १९६१ के आरम्भ में सोने का तस्कर व्यापार करने के आरोप में क्रमश: सात, पांच और एक वर्ष के लिये सख्त कैद की सजा दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो ये भारतीय कौन थे और ये इण्डोनेशिया कैसे पहुंचे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां ।

(ख) इसमें ग्रस्त व्यक्तियों के नाम भगवानदास वासनमल रलवानी, नारायणदास परमानन्द वसनानी और वासनमल टेकचन्द हैं ।

नारायणदास परमानन्द वसनानी और वासनमल टेकचन्द नवम्बर १९४७ में कराची में पाकिस्तान के पासपोर्ट देने वाले प्राधिकारियों द्वारा दिये गये पासपोर्टों पर इण्डोनेशिया गये और भगवानदास वासनमल रलवानी मई, १९४६ में कराची में जारी किये गये ब्रिटिश पासपोर्ट पर वहां गया । इन पासपोर्टों को उनके इण्डोनेशिया पहुंचने पर भारतीय पासपोर्टों में बदल दिया गया ।

†गोआ

१८२५. **श्री आचार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष डा० एच० जी० मास्करेन्हस के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल प्रधान मन्त्री जी से मिला और उनके साथ गोआ की स्थिति पर विचार किया ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो शिष्टमण्डल ने प्रधान मन्त्री जी से गोग्रा समस्या हल करने के लिये क्या कार्यवाही करने की प्रार्थना की ग्रौर उन सुझावों पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्यमंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) ग्रौर (ख). रेवरेण्ड मास्करेन्हस के नेतृत्व में गोग्रा वासियों का एक शिष्टमण्डल दिसम्बर, १९६० में प्रधान मन्त्री जी से मिला ग्रौर ग्रन्य मामलों के साथ साथ उन्होंने गोग्रा के बारे में वर्तमान नीति में ग्रौर ढील देने का प्रश्न उठाया। शिष्टमण्डल ने विदेशों में गोग्रा के बारे में ग्रधिप्रचार के विषय पर भी बातचीत की। शिष्टमण्डल को भारत में पुर्तगाली बस्तियों को शीघ्र स्वतन्त्र कराने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गयी ग्रौर की जा रही विभिन्न कार्यवाही ग्रौर सरकार की निरन्तर रुचि के बारे में बताया गया।

ग्रौद्योगिक उत्पादन

†१८२६. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) सिलाई की मशीनों, (२) बिजली के लैम्प जिसमें तेजी से चमकने वाले सूत्रमय लैम्प[1] ग्रौर सूक्ष्म लैम्पों[2] के ग्रांकड़े पृथक् पृथक् दिये गये हों, (३) कपड़ा, (४) सूत, (५) ऊनी सामान, (६) पटसन निर्माता, (७) चमड़ा, (८) माचिस, (९) कागज ग्रौर गत्ता ग्रौर (१०) जूतों के राज्य-वार मासिक ग्रौसतन उत्पादन के नवीनतम वर्षों के ग्रांकड़े, जिसके लिये वे उपलब्ध हैं, क्या हैं;

(ख) क्या कुछ राज्यों में वृद्धि की दर बहुत कम है; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो इसमें वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). यह जानकारी एकत्र करना सम्भव नहीं है।

सस्ती दरों पर बिजली की सप्लाई का उद्योगों पर प्रभाव

†१८२७. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जल-विद्युत् परियोजनाग्रों से विभिन्न उद्योगों को सस्ते दाम पर बिजली के सम्भरण से उत्पादन लागत पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : उद्योग के स्वरूप पर बहुत कुछ निर्भर करता है। सामान्य रूप से कुछ कहना कठिन है।

ग्रफ्रीका में नया राजदूतावास स्थापित करना

†१८२८. **श्री इन्द्र ितलाल मल्होत्रा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की ग्रफ्रीकी देशों में कोई नया राजदूतावास स्थापित करने की कोई योजना है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं ?

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

[1] Incandescent filament Lamp.

[2] Miniature Lamp.

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). सरकार अफ्रीका में नये मिशन स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है परन्तु अभी तक अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है।

योजनाओं का प्रचार

†**१८२९. श्री बामानी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक पंचवर्षीय योजनाओं के प्रचार पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी है और अब मार्च, १९६१ के अन्त तक कितनी धन खर्च किया जायेगा और इस कार्य के लिये इसके मूल प्राक्कलनों से क्या तुलना है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** योजना के प्रचार का कार्य केवल पंचवर्षीय योजना काल के तीसरे वर्ष के अन्त में आरम्भ किया गया था। इस कार्य पर ५.०८ करोड़ रुपये खर्च किये गये—प्रथम पंचवर्षीय योजना में १.०५ करोड़ रुपये और १ अप्रैल, १९५६ से ३१ जनवरी, १९६१ तक ४.०३ करोड़ रुपये। फरवरी और मार्च, १९६१ के महीनों में व्यय का अनुमान ४५ लाख रुपये लगाया जाता है। इस प्रकार मार्च, १९६१ के अन्त तक कुल व्यय ५.५३ करोड़ रुपये हुआ जबकि मूल योजना में ८.५० करोड़ रुपये का प्राक्कलन था (प्रथम योजना-काल के लिये १.५० करोड़ रुपये और द्वितीय योजना-काल के लिये ७ करोड़ रुपये)।

कपड़ा मिलें

१८३०. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी कपड़ा मिलें घाटे में चल रही हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस घाटे के कारणों का पता लगाने के प्रयत्न किये हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि पहले इनमें से अधिकतर मिलें लाभ पर चल रही थीं और केवल प्रबन्ध व्यवस्था और स्वामित्व के परिवर्तन के बाद वे घाटे में चल रही हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). १९५९–६० में जिन २११ कपड़ा मिलों ने अपने हिसाब चिट्ठे प्रस्तुत किये उनमें से ५१ मिलों को घाटा हुआ था। पिछले वर्ष जिन २९७ मिलों ने अपने चिट्ठे प्रस्तुत किये उनमें से १२४ मिलों को घाटा हुआ था। १९५९–६० में सामान्यत: मिलों की दशा में सुधार हुआ है। कपड़े की मिलों में घाटे के भिन्न भिन्न प्रकार के कारण हैं और वे अनेक परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं, जैसे प्रबन्ध सम्बन्धी कुशलता इत्यादि। मिलों के चलाने पर सरकार अच्छी देख रेख रखती है, प्रबन्ध में परिवर्तन होने से घाटा होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि कभी-कभी इससे सुधार भी हो जाता है।

पारपत्र जारी करने सम्बन्धी नियम

†१८३१. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री लं० अचौ सिंह : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में पारपत्र जारी करने सम्बन्धी नियमों में संशोधन किये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है; और

(ग) नियमों में संशोधन करने की क्या आवश्यकता थी और इस संशोधन का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां।

(ख) केवल प्रक्रियाओं में संशोधन किया गया है ।

(ग) कार्य सम्पादन में कुछ विलम्ब होता था जिसे वर्तमान संशोधन ने काफी हद तक दूर कर दिया है ।

बड़े नगरों में टेलीविजन कार्यक्रम

†१८३२. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे बड़े नगरों में टेलीविजन कार्यक्रम लागू करने की किसी योजना को अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) बम्बई में एक टेलीविज़न केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है ।

(ख) क्योंकि परियोजना की कार्यान्विति उपलब्ध विदेशी मुद्रा पर निर्भर है, अभी इसका ब्यौरा तैयार किया जाना है ।

श्रम नियमों के लागू करने के लिये पदाधिकारी

†१८३३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम नियमों को लागू करने के लिये एक पृथक् अखिल भारत पदाधिकारी पदाली है ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय शासित क्षेत्रों में भी ऐसे पद हैं परन्तु उन्हें पृथक् माना जाता है;

(ग) यदि हां, तो एकसे कार्य के लिये पृथक् पदाली रखने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि यह पदाली बनाने के फलस्वरूप केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र पदाली में कनिष्ठ पदाधिकारियों को, जब भी वहां नये पद बनाये जाते हैं, तेजी से पदोन्नति मिलती है; और

(ङ) क्या केन्द्र के समन्वय में सभी पदों के सभी पदाधिकारियों का एक सामान्य पदाधिकारी पूल बनाने की कोई प्रस्थापना है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां । दिल्ली और त्रिपुरा में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्योंकि अधिकांश श्रम विधान समवर्ती सूची में हैं। उन नियमों को लागू करने के लिये केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों को 'राज्य सरकार' के अधिकार दिये गये हैं। अतः प्रत्येक प्रशासन की अपनी पदाली है।

(घ) और (ङ). जी, नहीं।

तीसरी योजना के अधीन मद्रास के लिये परिव्यय

†१८३४. **श्री तंगामणि** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६१–६२ के लिये विभिन्न राज्यों के लिये परिव्यय पर निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो मद्रास राज्य के लिये कितना परिव्यय रखा गया है; और

(ग) क्या विभिन्न मदों के अधीन धनराशि और आवंटन बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** :(क) और (ख). योजना आयोग ने वर्ष १९६१–६२ के लिये राज्यों के लिये तृतीय योजना परिव्यय के १४ से १५ प्रतिशत तक का सुझाव दिया है।

(ख) अभी राज्य सरकार ने व्यौरा नहीं दिया है।

मध्यम तथा निम्न आय-वर्ग आवास योजना के लिये ऋण

†१८३५. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यम तथा निम्न आय-वर्ग आवास योजना के अधीन ऋण के रूप में देने के लिये अलग रखी गयी धनराशि द्वितीय योजना-काल में पूर्ण रूप से दी जा चुकी है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिये गये ऋणों के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ग). एक विवरण संलग्न है जिसमें प्रत्येक योजना के अधीन पृथक् रूप से अपेक्षित जानकारी दिखाई गयी है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५५]**

(ख) किसी विशेष वर्ष में राज्य सरकारों को दिये जाने वाले ऋण आवश्यक रूप से सम्बन्धित राज्यों द्वारा उस वर्ष किये गये वास्तविक खर्च के आधार पर तै होते हैं।

आकाशवाणी द्वारा संसद् की कार्यवाही की समीक्षा

†१८३६. **श्री तंगामणि** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा अंग्रेजी में संसद् की कार्यवाही की समीक्षा की जाती है

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह किस प्रकार तैयार की जाती है ; और

(ग) क्या २० फरवरी, १९६१ की पाण्डुलिपि और २१ फरवरी, १९६१ के समाचारों की पाण्डुलिपि सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, हां।

(ख) समीक्षाकार संसद् की बैठक में आता है और प्रेस ट्रस्ट आफ़ इण्डिया और आकाशवाणी के सम्वाददाताओं द्वारा संग्रहीत किये गये मसौदे के साथ मिलान करके अपने व्यक्तिगत प्रभाव से समीक्षा तैयार करता है ।

(ग) अपेक्षित मसौदा संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५६]**

हिन्दी रक्षा समिति

†१८३७. **श्री हेमराज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी रक्षा समिति के एक नेता, स्वामी रामेश्वरानन्द उनसे मिले हैं ; और

(ख) क्या उन्होंने पंजाब की भाषा के प्रश्न पर बातचीत की ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां । प्रधान मंत्री से हाल ही में हिन्दी रक्षा समिति का एक शिष्टमण्डल मिला जिसमें स्वामी रामेश्वरानन्द भी थे ।

(ख) शिष्टमण्डल ने पंजाब में हिन्दी के बारे में जोर दिया ।

जम्मू तथा काश्मीर में औद्योगिक बस्तियां

†१८३८. **शेख मुहम्मद अकबर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) द्वितीय पंचवर्षीच योजना-काल में जम्मू तथा काश्मीर राज्य में कुल कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गयीं ; और

(ख) तृतीच पंचवर्षीय योजना में इसका क्या लक्ष्य है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) द्वितीय योजना-काल में गांधीनगर, श्रीनगर और अनन्तनाग में प्रत्येक में एक एक तीन औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गयी हैं ।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में जम्मू तथा काश्मीर राज्य में औद्योगिक बस्तियों के लिये १६८·२४ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

जम्मू तथा काश्मीर में छोटे पैमाने के उद्योग

†१८३९. **शेख मुहम्मद अकबर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोटे पैमाने के उद्योग कार्यक्रम के अधीन कितना औद्योगिक ऋण देने की प्रस्थापना है ?

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोटे पैमाने के उद्योगों और औद्योगिक बस्तियों के लिये ३०४ लाख रुपयों का आंवटन किया गया है। इस आवंटन के पृथक् आंकड़े निम्न प्रकार है :

छोटे पैमाने के उद्योग	१३५.७६ लाख रुपये
औद्योगिक बस्तियां	१६८.२४ लाख रुपये

संभरण तथा निपटान महानिदेशालय की निपटान शाखा

†१८४०. **श्री चांडक : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संभरण और निपटान महानिदेशालय की निपटान शाखा ने वर्ष १९५९–६० में कितने मूल्य के सामान का निपटान किया ;

(ख) इस बिक्री पर विभाग ने कितना कमीशन कमाया ; और

(ग) इस अवधि में संचालन और स्थापना के लिये निपटान शाखा ने कितना धन खर्च किया ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) २.९१ करोड़ रुपये।

(ख) वर्ष १९५९–६० में निपटान शाखा ने भारत सरकार, राज्य सरकारों, राज्य उपक्रमों आदि से बिक्री की रकम पर २ प्रतिशत के हिसाब से विभागीय शुल्क के रूप में ९५,९४६ रुपये वसूल किये। केन्द्रीय सरकार और अन्य प्राधिकारियों के उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त प्रतिरक्षा मंत्रालय से १ अप्रैल, १९६० से बिक्री की रकम पर ५ प्रतिशत की बढ़ी हुई दर पर विभागीय शुल्क वसूल किया जा रहा है।

(ग) १३,०२,८७० रुपये।

औद्योगिक आवास योजना

†१८४१. **श्री पलनियाण्डी : क्या निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मद्रास राज्य ने प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान औद्योगिक आवास योजनाओं के लिये समूचे आवंटन को खर्च कर लिया है?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन मद्रास सरकार को कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया गया। तथापि, इस अवधि में योजना के अधीन २४.९३ लाख रुपये की स्वीकृत लागत पर राज्य सरकार द्वारा ९३६ मकानों के निर्माण के लिये ९.६४ लाख रुपये इन मकानों के निर्माण की प्रगति के आधार पर दिये गये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में योजना के अधीन ८५.२० लाख रुपये के समूचे पुनरीक्षित योजना आवंटन को मद्रास सरकार द्वारा पूर्ण रूप से लिये जाने की आशा है।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में कस्टोडियन जनरल के कार्यालय से कागजातों की चोरी

†१८४२. **राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री १७ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायिक दस्तावेज़ों की चोरी की शिकायतों के दो मामलों में कोई जांच की गयी; और

(ख) यदि हां, तो उन जांच की उपपत्तियों की प्रतियां सभा पटल पर रखने की कृपा करें ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) जी, हां।

(ख) एक मामले में दस्तावेज़ों की चोरी साबित नहीं हो सकी। दूसरे मामले में यह सिद्ध हो गया कि दस्तावेज़ों की चोरी एक कर्मचारी की लापरवाही के कारण हुई। उस कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी गई थी।

त्रिपुरा के चाय बागानों में श्रमिक

†१८४३. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में ५२ चाय बागानों के श्रमिकों की स्थिति, दैनक उपस्थिति, मजूरी आदि की देखभाल के लिये एक मंत्रणा समिति बनायी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). त्रिपुरा प्रशासन से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जावेगी।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

चल सम्पत्ति और बैंकों में जमा धन के बारे में भारत-पाकिस्तान वार्ता की कथित असफलता

†**श्री अजित सिंह सरहदी (लुधियाना)** : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके विषय में एक वक्तव्य दें :—

> "विस्थापित व्यक्तियों की चल सम्पत्ति और बैंकों में जमा राशियां, इत्यादि के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही वार्ता की कथित असफलता।"

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए चल सम्पत्ति करार के अन्तर्गत स्थापित हुई कार्यान्वियन समिति की बैठक २२ से २५ फरवरी तक रावलपिंडी में हुई थी। चल सम्पत्ति या उसकी बिक्री की राशि को बहाल करने, डाकघरों, बचत बैंकों के लेखों और ठेकेदारों के दावों के सत्यापन, इत्यादि की प्रगति के पुनरक्षिण के अतिरिक्त बैठक में जिन अन्य मुख्य विषयों पर चर्चा हुई वे हैं : संयुक्त स्कधं समवायों की आस्तियां, लौकरों और सेफ डिपाजिटों का हस्तांतरण, निष्क्रमणार्थियों के बैंक-खातों का हस्तांतरण और विस्थापित बैंकों को गैर निष्क्रमणार्थी संस्थायें घोषित करना।

---

†मूल अंग्रेजी में

निष्क्रमणार्थियों की चल सम्पत्ति की बिक्री की राशियों के आदान-प्रदान, डाकघर, बचत बैंकों के लेखों तथा प्रमाणपत्रों के सत्यापन और न्यायालयों में जमा राशियों के आदान-प्रदान के बारे में कुछ प्रगति हुई थी। पाकिस्तान सरकार ने वचन दिया कि वह ठेकेदारों के दावों और स्वर्ण-ऋण लेखों के सत्यापन का कार्य शीघ्र ही पूरा करेगी और स्वर्ण ऋण लेखों की समायोजित राशि कराची स्थित हमारे उप उच्च आयुक्त को दे देगी।

पाकिस्तान को ४ साल पहले १७६ संयुक्त स्कंध समवायों की एक सूची दी गई थी। उसन केवल १८ समवायों की आस्तियों के सत्यापन का ब्योरा दिया। पाकिस्तानी प्रतिमंडल उन १८ समवायों को भी निष्क्राम्य संस्थायें बता रहा था। भारत की ओर से यह कहा गया कि वे निस्क्राम्य समवाय नहीं थे, क्योंकि उनके प्रधान कार्यालय १५ अगस्त, १९४७ से पहले भारत में स्थानांतरित किये जा चुके थे। इसलिये समवाय विधि की व्यवस्था के अनुसार उनकी चल और अचल सम्पत्ति बहाल की जानी चाहिये। तय यह हुआ कि भारत ऐसे समवायों के बारे में और अधिक ब्योरा इकट्ठा करे और पाकिस्तान अधिकारियों को भेज दे, जो उस पर फिर विचार करेंगे। शेष समवायों के सत्यापन में शीघ्रता करने का वचन पाकिस्तान ने दिया।

लॉकरों, सेफ डिपाजिटों, निष्क्रमणार्थियों के बैंक-खातों के हस्तांतरण और निष्क्राम्य बैंकों को गैर-निष्क्राम्य समवाय घोषित करने के बारे में वार्ता आगे नहीं बढ़ पाई। चल सम्पत्ति करार के अन्तर्गत, ये सभी विषय एक दूसरे से संग्रथित हैं। बैंकिंग करार के अन्तर्गत भी, निष्क्राम्य बैंक-खातों के हस्तांतरण की व्यवस्था है। लेकिन उसमें यह व्यवस्था भी है कि बैंकों को गैर-निष्क्राम्य समवाय माना जायेगा, और उनको अपनी आस्तियों की वसूली करके, देयताओं को चुकाने के बाद, अपनी अतिरिक्त आस्तियां दूसरे देशों में भेजने की सुविधायें दी जायेंगी। पाकिस्तान ने भारतीय बैंकों को ये सुविधायें नहीं दी हैं और अपने यहां कर निष्क्राम्य सम्पत्ति विधि के अन्तर्गत उनमें से कई बैंकों की आस्तियां सरकारी कब्जे में ले ली हैं। पाकिस्तान सरकार उनको इस शर्त पर निष्क्राम्य समवाय घोषित करने के लिये तैयार थी कि भारत निष्क्रमणार्थियों के बैंक-खातों को पाकिस्तान में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दे। साथ ही यह भी कि ये बैंक पाकिस्तान के राज्य बैंक को अपनी सदाशयता के बारे में संतुष्ट कर दें। जो बैंक पाकिस्तान में काम नहीं कर रहे थे, उनके बारे में पाकिस्तान अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पाया है। चूंकि बैंकिंग करार में स्पष्ट व्यवस्था है कि ऐसे सभी बैंकों को गैर-निष्क्राम्य समवाय घोषित कर दिया जायेगा, वे चाहे पाकिस्तान में काम करते हों या नहीं, इसलिये भारत इससे सहमत नहीं हो सका। भारत चाहता है कि सभी बैंकों को गैर-निष्क्राम्य समवाय घोषित कर दिया जाये। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के विभिन्न भारतीय बैंकों की आस्तियों और देयताओं को देखने के बाद ही, वह इस प्रश्न पर विचार करेगा।

इसलिये स्थिति यह है कि इन अधिक महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में वार्ता की कोई प्रगति नहीं हो सकी। इसीलिये यह तय किया गया है कि जिन विषयों पर कोई भी निर्णय नहीं किया जा सका है उन पर कार्यान्वियन समिति की अगली बैठक में दो-तीन महीने बाद आगे विचार किया जायेगा।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या पाकिस्तान ने देश के विभाजन से पूर्व भारत आने वाले संयुक्त स्कंध समवायों के बारे में सत्यापन करने का वचन दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : संयुक्त स्कंध समवायों की आस्तियों की जांच करने की बात उन्होंने नहीं मानी। उनका मूल्य शायद ८ करोड़ रुपये है। पिछले ८–१० साल में इसके बारे में शायद ही कोई प्रगति हुई हो।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : जब पाकिस्तान ने उनके सत्यापन का वचन दिया है, तो उसके लिये कितना समय नियत किया था ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : उन्होंने ऐसा कोई वचन तो नहीं दिया था, लेकिन मतलब यही निकलता था।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

इंडिया स्टोर विभाग, लन्दन और इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन द्वारा अस्वीकृत टेंडरों के मामले

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं उन मामलों की एक प्रति जिन में इण्डिया स्टोर डिपार्टमेंट, लन्दन और इण्डिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन द्वारा ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में निम्नतम टेण्डर स्वीकार नहीं किये गये सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०––२७४०/६१]।**

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत वर्ष १९५९–६० के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–– २७३२/६१]**

रबर बोर्ड, सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) वर्ष १९५९-६० के लिये रबड़ बोर्ड के कार्यों के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ;

(२) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(क) वर्ष १९५९-६० के लिये सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

(ख) वर्ष १९५९-६० के लिये हिन्दुस्तान कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या क्रमशः एल० टी०—२७३३/६१—; एल० टी० २७३५/६१ और एल० टी० २७३४/६१]।

नमक उपकर (संशोधन) विधेयक

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नमक उपकर अधिनियम, १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : हमें लेखानुदान की मांगों पर विचार कल शाम तक समाप्त कर देना है। कार्य के आधिक्य को देखते हुए, मुझे लगता है कि हमें शनिवार को भी बैठक रखनी पड़ेगी। कार्य मंत्रणा समिति की भी सिफारिश है कि शनिवार, १५ अप्रैल, १९६१ को बैठक रखी जाये।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : कल मैं कह रहा था कि भारत सरकार को चीन और पुर्तगाल के कब्जे से भारतीय प्रदेशों को वापस लेने के लिये कदम उठाने चाहियें। हेग न्यायालय का निर्णय भारत के पक्ष में रहा है।

अब मुझे दो ही बातें कहनी हैं।

पहली तो यह कि भारत सरकार ने विदर्भ की जनता के प्रति अन्याय किया है। और दूसरी बात यह कि 'यूनेस्को' ने भारतीय संस्कृति के साथ अन्याय किया है।

महाराष्ट्र राज्य के गठन के समय विदर्भ की जनता ने उसका विरोध किया था। उस समय विदर्भ के प्रतिनिधियों, भारत सरकार और महाराष्ट्र राज्य के प्रतिनिधियों के बीच 'नागपुर पैक्ट' हुआ था। उसमें सब से मुख्य बात यही थी कि नागपुर का महत्व बनाये रखा जायेगा। भारत सरकार उस समय कुछ केन्द्रीय कार्यालय नागपुर ले जाने की बात सोच रही थी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा है। नागपुर से कुछ कार्यालय हटाये गये हैं। भारत सरकार ने अपना वचन भंग कर दिया है। डाक तथा तार का सर्किल कार्यालय भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया है।

दूसरी चीज यह है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा बनाये रखने और उसे ऊंची करने की भरसक चेष्टा की है। लेकिन उसी के एक संगठन—'यूनेस्को'—ने विश्व इतिहास की

---

†मूल अंग्रेजी में

जो पहली जिल्द निकाली है उस में भारतीय संस्कृति के साथ बड़ी खींचातानी की है। उसमें १२०० ईसापूर्व तक का काल लिया गया है। भारत में आर्यों के आगमन के बारे में उस १५०० पृष्ठों की जिल्द में केवल दस पंक्तियां हैं। डा० मजूमदार ने उसके बारे में टिप्पणी करते हुए कहा है कि उसमें आर्यों को बर्बर बताया गया है। ऋग्वेद को 'विनाश का वीरगाथा काव्य' कहा गया है। डा० मजूमदार ने इन शब्दों पर आपत्ति की थी। काफी लिखा-पढ़ी के बाद भी, ये शब्द हटाये नहीं गये। हां, 'बर्बर' के स्थान पर 'अर्द्ध बर्बर' कर दिया गया है।

इस प्रकार यूनेस्को ने हमारी पीठ में छुरा भौंका है।

मैं चाहता हूं कि संसद् इसके विरुद्ध आवाज उठाये। संसद्-सदस्यों को इसकी छानबीन करनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को बोलने का मौका देना चाहता हूं। लेकिन उनको किसी एक ही नियत दिन बोलने का आग्रह नहीं करना चाहिये।

श्री गणपति राम : (जौनपुर–रक्षित-अनुसूचित जातियां): अपोजीशन को ४० परसेंट टाइम मिले और कांग्रेस सदस्यों को केवल २० परसेंट, यह तो बहुत अच्छी बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ६० परसेंट।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : इस सिलसिले में मैं भी कुछ निवेदन करूं। जो समय विभिन्न दलों की सदस्य संख्या के आधार पर दिया जाता है यह उचित नहीं है। कम से कम हर विषय पर हर विरोधी दल के एक सदस्य को तो अपने विचार रखने का अवसर मिलना चाहिये क्योंकि सब की अपनी अलग अलग राय है।

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं कर रहा हूं। हर एक पार्टी को चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो अवसर दे रहा हूं।

श्री रामसेवक यादव : यह हो तो बहुत अच्छा हो। लेकिन मैं ने पिछले साल भी देखा और इस साल भी देखता हूं कि ऐसा नहीं होता।

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : बूढ़े लोगों का भी जरा ज्यादा खयाल रखें।

†**श्री कासलीवाल** (कोटा) : कल श्री मसानी ने कहा था कि कांग्रेस को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। मैं उन को चुनौती देता हूं कि वह स्वतंत्र दल के टिकट पर देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से उप-चुनाव लड़ लें। इस का निर्णय हो जायेगा।

कुल मिला कर, मैं आय-व्ययक का समर्थन करता हूं। इस आय-व्ययक में अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी, लेकिन अच्छाइयां कहीं ज्यादा हैं।

विकासशील अर्थ-व्यवस्था में कराधान अनिवार्य है। मुझे करों पर कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति है दोहरे कराधान पर। देश में दोहरा कराधान है, इस मायने में कि मूल्य निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं।

'आर्थिक सर्वेक्षण' में बताया गया है कि १९५९ के अन्त तक मूल्य-स्तर लगातार बढ़ता रहा—१२७·४ तक। दिसम्बर १९६० में थोड़ी गिरावट आई थी—१२४·२ तक। लेकिन जनवरी

†मूल अंग्रेजी में

१९६१ में वह फिर १२६.३ तक पहुंच गया। १९६० में मूल्यों का औसत स्तर, पिछले साल के मुकाबले में ६.५ प्रतिशत ऊंचा रहा।

माननीय वित्त मंत्री ने राज्य-सभा में कहा था कि विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-वृद्धि अनिवार्य है। लेकिन इतनी तो नहीं। द्वितीय योजना काल में वह २५ प्रतिशत बढ़ गई है। यही हाल रहा तो तृतीय योजना में क्या होगा ?

श्री डांगे ने कल प्रोफेसर गाडगिल की एक पुस्तक का हवाला देते हुए कहा था कि विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-वृद्धि अनिवार्य नहीं है। लेकिन इस विषय के अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के एक विद्वान, डा० लोकनाथन् ने लिखा है कि यदि पांच वर्ष में ७–८ प्रतिशत वृद्धि हो तो कोई असाधारण बात नहीं। योजना पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में थोड़ी मूल्य-वृद्धि अनिवार्य है। लेकिन कहां तक ? द्वितीय योजना में २५ प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है। अब इस से अधिक वृद्धि अर्थ-व्यवस्था के लिये घातक होगी। डा० लोकनाथन् ने इस सम्बन्ध में कहा है कि यदि ऐसी ही मूल्य-वृद्धि तृतीय योजना में भी जारी रही तो सामाजिक और आर्थिक असंतोष बढ़ता जायेगा। इसीलिये मूल्यों में स्थायित्व लाना नितान्त आवश्यक है।

इसके लिये ज़रूरी है कि कृषीय उत्पादन बढ़ाया जाये। कृषीय उत्पादन तभी बढ़ाया जा सकता है जब उत्पादन बढ़ाने के लिये जुटाई गई सभी सुविधाओं का उपयोग किया जाये। अभी कल ही सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री ने बताया था कि राज्यों में सिंचाई की केवल ७० से ६० प्रतिशत तक सुविधाओं का उपयोग होता है। कृषीय उत्पादन के उस भाग की मात्रा कम हो गई है, जो अतिरिक्त समझ कर बाज़ार में भेजी जाती है।

यदि सरकार किसानों को प्रोत्साहन देना चाहती है तो उसे तीन वर्ष के लिये कृषीय-उत्पादन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देना चाहिये। खाद्यान्नों के भंडार बनाने की अधिक सुविधायें दी जानी चाहियें। मैं पूछता हूं कि देश में कितने भांडागार बनाये गये हैं ?

अब कपड़े की बात लीजिये। तृतीय योजना में कुल मिला कर ९८,००० लाख गज़ कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। मेरा ख्याल है कि तृतीय योजना-काल में १,००,००० लाख गज़ कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य रखा जाना चाहिये। तभी हर व्यक्ति को २० गज़ कपड़ा मिल सकेगा। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि कपड़े के मूल्यों का नियंत्रण किया जाये। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने इसके लिये कुछ कदम उठाये हैं।

मैं एक बार फिर कहता हूं कि मूल्य निरन्तर बढ़ते जाने का मतलब यही है कि जनता पर दोहरा कराधान है। मुझे इस पर आपत्ति है।

†**श्रीमती इलापाल चौधरी** : मेरा निवेदन है कि हमारे देश में कराधान अन्य देशों के मुकाबले में बहुत अधिक है जबकि जीवन स्तर उन देशों के मुकाबले में बहुत ही नीचा है। मेरा निवेदन है कि बिजली के करघे प्रयोग करने वाले छोटे छोटे कारखानों पर कर बहुत अधिक है, इस से पश्चिमी बंगाल के लघु उद्योग को बहुत ठेस पहुंचेगी, जबकि उसके सामने अनेक आर्थिक संकट अथवा समस्यायें हैं।

अखबारी कागज पर कर लगाने के सम्बन्ध में मेरा मत यह है कि अखबार योजना के प्रचार का काफी काम करते हैं, साथ ही उन में बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिला हुआ है। अखबारी कागज़ पर कर लगाने के औचित्य पर सरकार को पुन: विचार करना चाहिये। सूचना तथा प्रसारण

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती इलापाल चौधरी]

मंत्रालय के उल्लेख से मेरा कहना है कि आकाशवाणी में काम करने वाले कर्मचारी कलाकारों को बहुत सी शिकायतें हैं। उन की नौकरी की शर्तों तथा हालतों में सुधार किया जाना चाहिये।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाती हूं कि कोयला उद्योग में लोगों को फालतू नहीं घोषित किया जाना चाहिये विशेषतया जबकि कोयले की मांग इतनी ज्यादा है।

मेरा यह भी मत है कि सरकार कर लगाने के बजाय अन्य उपायों से भी सरलता से धन प्राप्त कर सकती है। पर्यटन, नौवहन और चाय उद्योग के विकास की बड़ी सम्भावनायें हैं। यदि इनका समुचित विकास किया जाय, तो इनसे सरकारी कोष में काफी वृद्धि होगी। इस प्रकार के साधन जुटाने से देश की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति में भी काफी सुधार होगा।

भ्रष्टाचार रोक विभाग का सुधार किया जाना चाहिये और उसमें जो अनेक त्रुटियां हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिये। सरकारी धन के गबन तथा गोलमाल के मामले प्रायः जनता के सामने आते रहते हैं। इन शब्दों से मैं आय-व्ययक का समर्थन करती हूं। सामान्यतः यह साहस-पूर्ण आय-व्ययक है और इसकी सफलता की पूर्ण आशा है। यह भी आशा करनी चाहिए कि देशवासी राष्ट्र-निर्माण के कार्य में सरकार से सहयोग और थोड़ी बात के लिए अधिक शोर करने की आदत छोड़ देंगे।

श्रीमती उमा नेहरू (सीतापुर) : अध्यक्ष महोदय, बजट का समझना कोई आसान बात नहीं है, फिर बजट के बनाने का बहादुरी का काम, जिस में डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट टैक्सेज लगे हों, हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर का ही काम था। इस बजट को जब हम पढ़ते हैं और फाइनेन्स मिनिस्टर की जो राज्य सभा में स्पीच हुई उसको देखते हैं तो पता चलता है कि इस बजट को इतनी खूबसूरती से कतर ब्योंत कर के रक्खा गया है कि हम स्त्रियां, जो कि घरों के कामों में और प्लैनिंग में उस्ताद होती हैं और कपड़े की कतर ब्योंत भी ठीक करती हैं, फाइनेन्स मिनिस्टर को मुबारकबाद देती हैं कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बजट की कतर ब्योंत की है।

यों तो देश में तीसरी योजना की चर्चा बहुत हो रही है और पहली दूसरी योजनायें जो खत्म हो चुकी हैं उनको देखने से मालूम होता है कि उन्नति बहुत हुई है, तरक्की बहुत हुई है और उस तरक्की ने भारत की शकल भी कुछ बदल दी है, लेकिन कहां की शक्ल बदली है? देहातों की नहीं, शहरों की शक्ल बदली है। शहरो में बड़े बड़े कारखाने दिखाई देने लगे, शहरों में लोगों के पास बहुत उम्दा उम्दा मोटर गाड़ियां दिखाई देने लगीं, शहरों में धन और लक्ष्मी दिखाई देने लगी। लेकिन अगर भारत की असली सूरत या भारत का असली नक्शा देखना है तो हमें भारत के देहातों में देखना चाहिये। देहातो में जब हम जाते हैं तो ग्रामोद्योग धन्धों को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं कि कहीं हैं भी या नहीं, लेकिन वह हम को अभी तक दिखलाई नहीं देते हैं। हमारी कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स और डेवेलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वह अपनी तरह पर काम कर रही हैं और उनकी काफी उन्नति भी हो रही है। उसको देख कर दिल में यह इत्मीनान होता है कि मुमकिन है कि जो हमारा पंचायत राज का ख्वाब है वह कामयाब हो, यह हो वह हो, इससे दिल में खुशी होती है। लेकिन देहातों की तरफ हमारा जितना ध्यान जाना चाहिये था, वह हमने नहीं दिया है। दो योजनायें हमारी हुई उनमें उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तीसरी योजना में भगवान जाने उस तरफ ध्यान दिया जाएगा या नहीं।

इन योजनाओ को देखते समय हमको अपने प्लानिंग पर भी ध्यान रखना चाहिए। पिछले दिनो घरों में भी, कारखानो में भी और होटलों में भी कोयले की कमी की पुकार मची थी। हमने यह भी देखने की कोशिश की कि यह कोयले की कमी का सवाल किस तरह उठा। हमको मालूम हुआ

कि प्रोडक्शन की कमी नहीं है, कोयले को इधर से उधर ले जाने में कुछ कमी है। वैगन्स का बन्दोबस्त नहीं है। मैं इसमें ज्यादा दखल नहीं देना चाहती लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जब हमारे प्लानर्स प्लान करते हैं तो उनको इस बात का अन्दाजा होना चाहिये कि देश में कितना प्रोडक्शन होगा और उसका सारे देश में डिस्ट्रिब्यूशन कैसे होगा क्योंकि केवल प्रोडक्शन से तो काम नहीं चल सकता। प्लानर्स को मालूम होना चाहिए कि जो वे प्लान करते हैं उसमें इतना प्रोडक्शन होगा और इतनी चीजें पैदा होंगी, तो उनको उनके देश में डिस्ट्रिब्यूशन का भी बन्दोबस्त करना चाहिए।

जहां तक घर करने का सवाल है, जो औरत समझदार होती है और घर करना जानती है उसका घर चमकता रहता है, लेकिन जो औरत जरा फूहड़ होती है, जिसको घर करना नहीं आता, उसकी वही हालत होती है जो आज हमारे सामने कोयले के बारे में आ रही है कि कोयला तो है लेकिन उसके लाने के लिए वैगन्स नहीं हैं। तो इसका खयाल हमारे प्लानर्स को रखना है कि जो भी प्रोड्यूस हम करे उसका सारे देश में ठीक तरह से डिस्ट्रिब्यूशन हो। वैगन्स का बन्दोबस्त पहले से ही करना चाहिए था।

मैं अपने फाइनेन्स मिनिस्टर से क्या कहूं, उनको भी मालूम है कि हमारा देश बहुत गरीब है और ज्यादातर बैकवर्ड एरिया है और देश अनडेवेलप्ड है। हिन्दुस्तान में बहुत थोड़े लोग ऐसे दिखते हैं जिनके पास थोड़ा या बहुत पैसा है। ज्यादातर लोग तो बिल्कुल गरीब हैं जिन्हें खाने को नहीं है, जिनके पास कपड़ा नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है। उनके पास कुछ नहीं है। प्लानर्स को उनके लिए प्लान करना चाहिए।

इसके अलावा जिनके पास थोड़ी बहुत रोजी भी है उनको शिक्षा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है कि वे अपने बाल बच्चो की बीमारी का इलाज करा सकें। तो यह हमारे देश की हालत है।

जो मिडिल क्लास के लोग हैं या जिनको उनसे भी कम तनख्वाह मिलती है, वे बड़ी मुश्किल से अपने बच्चो को शिक्षा दे पाते हैं। लेकिन उनकी सब से बड़ी दिक्कत यह है कि आप हर साल कोरसेज़ बदलते रहते हैं, आप स्कूलों और कालिजों में हर साल नई किताबें रख देते हैं और इन लोगों के पास इन किताबों को खरीदने के लिए पैसा नहीं होता। हमारे वक्त में यह होता था कि मैं जो किताबें पढ़ कर आगे पास हो जाती थी, मेरे भाई बहन भी उन किताबों को इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज यह चीज़ नहीं है। आज जो बच्चा पास होता है उसकी किताब दूसरे बच्चे के लिए बेकार हो जाती है, उसके लिए दूसरी किताब खरीदनी पड़ती है। इस तरफ भी प्लानर्स को ध्यान देना चाहिए ताकि गरीबो को किताबें मिल सकें।

आज हमारे सामने टैक्स का सवाल है। जो टैक्स लगाए गए हैं वे छोटी छोटी चीजों पर लगाए गए हैं और हमको टैक्स देना बुरा भी नहीं लगता, लेकिन उसी हालत में जब कि जिन्दगी की जरूरियात की चीजें हमको मिलती रहें। लेकिन ऐसा नहीं ह। कोई चीज नहीं मिलती और आप छोटी मोटी चीजों पर टैक्स लगा रहे हैं।

आज हमसे देश की सेवा और त्याग की बात कही जाती है। मं मानती हूं कि हर इंसान का, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, यह फर्ज है कि वह अपने देश को जिन्दा रखे। लेकिन जो लोग भूखे हैं उनसे आप यह आशा कैसे रख सकते हैं, पहले उनके खाने पीने का इन्तिजाम करें और उनके रहने का प्लान करें। हम उनको फ्री एजूकेशन क्यों नहीं देते, फ्री मेडिकल एड क्यों नहीं देते ? हम चाय बन्द करने को तैयार हैं, लेकिन क्यों नहीं इनके बच्चों को फ्री दूध देते। अगर हम ऐसा करें तो हम अपनी नेशन को कायम रख सकेंगे। हमारा फर्ज है कि हम ये सब चीजें करें।

[श्री उमा नेहरू]

मुझे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से यह कहना है कि उन्होंने अपने बजट का श्रीगणेश सुपारी पर टैक्स लगाकर किया है। आप कहते हैं कि हमने सब सुपारी पर टैक्स नहीं लगाया है, आप कहते हैं कि हम जो सुपारी इम्पोर्ट करते हैं उस पर टैक्स लगाया है, बाकी सुपारी को आजाद रखा है। लेकिन मिनिस्टर साहब जानते हैं, और मैं भी अपनी उम्र के तजर्बे से कह सकती हूं कि जब एक हिस्से पर टैक्स लगता है तो उसका असर दूसरे हिस्से पर भी होता है। यह नहीं हो सकता कि दूसरा हिस्सा आजाद रहे।

फिर मिनिस्टर साहब ने कैरोसीन आइल पर भी टैक्स लगाया है। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि हमने लाल तेल पर टैक्स नहीं लगाया है। जब हम देहातों में जाते हैं और मजदूरों के घरों में जाते हैं और मिडिल क्लास के लोगों के घरों में जाते हैं, जिनके पास बिजली नहीं है, तो देखते हैं कि वे लालटेनों का इस्तेमाल करते हैं। अब देहातों में भी लालटेनें पहुंच गई हैं। लेकिन लालटेनों में सफेद तेल डाला जाता है, लाल तेल उसमें नहीं जलता। उसको डालने से लालटेन काली हो जाती है। लाल तेल तो चन्द घरों में जलाया जाता है जहां कुप्पियां जलाई जाती हैं। । लालटेनों में लाल तेल नहीं डालते क्योंकि उसके धुयें से लालटेन खराब हो जाती है। तो एक तरफ तो हमारी कोशिश यह है कि हम लोगों का स्टैंडर्ड आफ लिविंग ऊंचा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम तेल पर टैक्स लगाकर लोगों को सफेद तेल न इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कहां तो हमने वेलफेयर स्टेट के ख्वाब देखे थे और जनता से कहा था कि हम तुमको बिजली की रोशनी में रखेंगे, और आज हम कहते हैं कि कुप्पी का तेल हमने आजाद रखा है। यह देख कर दिल में बहुत तकलीफ होती है। मैं इतना ही कहूंगी कि मिनिस्टर साहब कैरोसीन के मामले पर दोबारा विचार करें।

चाय और काफी पर टैक्स का मने जिक्र सुना और मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में भी हिसाब लगाकर बताया कि इस टैक्स से एक नए पैसे का इधर उधर होगा। लेकिन मैंने सोचा कि जिस वक्त यह दाम बढ़ेगा तो पार्लियामेंट में तो सन्नाटा ही हो जाएगा क्योंकि पार्लियामेंट में तो रात दिन चाय और काफी चलती है और जो दूध भी अपना लेकर आते हैं वे उसको वापस ले जाते हैं। लोग चाय काफी बहुत पीते हैं। इसके अलावा गांवों के घरों में भी इस वक्त चाय पहुंच गयी है। मद्रास में काफी है और यहां पर चाय है। आपने खुली चाय पर टैक्स लगाया है, इसका नतीजा यह होगा कि इसकी चोट गरीब घरों पर लगेगी। हालत यह हो गयी है कि जिन होटलों में हम हैं अभी से वहां चाय की उसी पत्ती को बार बार उबाल कर पिलाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो हम थोड़ा सा जहर पीते थे वह अब दुगुना हो गया क्योंकि वही पत्ती बार बार उबल कर हमारे सामने आती है और हम उसको पीते हैं।

अब यह कोर्स क्लौथ की बात मेरी समझ में नहीं आई। कोर्स क्लौथ के बारे में मुझे बड़ी खुशी है कि मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि हम कोर्स क्लौथ न पहनें और हम लोग बारीक कपड़ा पहनें। अब अगर मैं बारीक कपड़े की साड़ी खरीदने जाती हूं तो मिनिस्टर साहब कहते हैं कि कोई वजह नहीं कि मैं उसमें थोड़ा सा टैक्स उनको क्यों न दूं। हमारे वित्त मंत्री महोदय का यह खयाल बहुत ही अच्छा है मगर मुझे कुछ दूसरा खयाल आपके सामने लाना है और वह यह है कि क्यों नहीं आप ऐसा करते कि देश को त्याग की तरफ ले जायें। आप ऐसा करें कि कोई एक कोर्स कपड़ा ऐसा एक स्टैन्डर्ड क्लौथ बनवाइये, वह ऐसा कपड़ा होवे जो कि अमीर और गरीब एक अर्से तक इस देश में पहनें। बराबर वही कपड़ा वह पहनें और टैक्स से वे बरी हों। जो आपका फाइन कपड़ा है

उसको बाहर भेज कर प्लांस् के लिए धन कमाइये लेकिन यहां के लोगों को आप उसी स्टैन्डर्ड क्लौथ को पहनायें और उनके साथ यह टैक्स का झगड़ा खत्म करिए ।

मेरे पास कुछ मिल वाले आये जिन्होंने मुझ से इस टैक्स के बारे में कहा और कल भी मैंने यहां हाउस में स्पीचें सुनीं कि मिलों को यह दिक्कतें हो रही हैं कि मिल वाले जो अपना सूत बना रहे हैं उनका कहना है कि उस सूत पर भी टैक्स लगता है और उसी सूत से जब वह कपड़ा बनाते हैं तो कपड़े पर भी टैक्स लगता है अर्थात् डबल टैक्स इस तरह से कपड़े पर लगता है । अब मैं नहीं जानती कि यह कहां तक सही है । बहरहाल मिनिस्टर साहब इसको समझें । मिलें जो सूत बनाती हैं और जब वह सूत अलग बेचती हैं तो वह टैक्स देती हैं और वह कहते हैं कि वह वाजिब भी है लेकिन जब वह उसी सूत से कपड़ा बनाती हैं तो पहले सूत पर और दुबारा कपड़े पर जो टैक्स लगता है वह उचित नहीं है । बहरहाल मैं चाहती हूं कि मिनिस्टर साहब इसको देखें ।

मिर्जापुर से मेरे पास एक खत आया था और कुछ लोग भी आये थे । अब मिर्जापुर में आप जानते हैं कि कालीन वगैरह और हैंडलूम का कपड़ा बनता है । अब वैसे भी हमारे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल इंडस्ट्रीज का नाम नहीं है और हमारा प्रदेश इंडस्ट्रीज के मामले में बहुत ही गरीब है । आंध्र, केरल और उत्तर प्रदेश इन तीनों की इंडस्ट्रीज के बारे में एक ही सूरत है । अभी कल वेद कुमारी जी आप के सामने खड़े हो कर भिक्षा मांग रहीं थीं कि उन के प्रदेश के तम्बाकू वालों को किसी तरीके से सहूलियत दी जाये ताकि वे जिंदा रह सकें क्योंकि वहां की यह ही एक मुख्य अकेली तिजारत है । उसी तरीके से मुझे आप से कहना है कि मिर्जापुर के कालीनों पर जो टैक्स लगाया हुआ है तो यह इंडस्ट्रीज खत्म हो जायगी अगर आप उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार न करेंगे ।

कल मुझ से कुछ औरतें मिलने आईं और मुझ से कहने लगीं कि गजब हो गया है क्योंकि अब तो हमारी कांच की चूड़ियों तक पर सरकार ने टैक्स लगा दिया है

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : चूड़ियों पर कोई टैक्स नहीं है ।

श्री ब्रज राज सिंह : सोडा ऐश से चूड़ियां बनती हैं और उस पर टैक्स है ।

श्रीमती उमा नेहरू : अब यह तो मिनिस्टर साहब जानें कि क्या बात है । मुझ से उन्होंने जैसा कहा वह मैंने आप को बतला दिया । मैं तो उनसे यह कहा कि मैं ने तो ऐसा पढ़ा नहीं . . .

एक माननीय सदस्य : शीशे पर लगा है ।

श्रीमती उमा नेहरू : मंत्री महोदय ने बतलाया कि चूड़ियों पर टैक्स नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको डर है कि कहीं ऐसा न हो कि आगे चल कर हमारे सुहाग पर भी टैक्स लगने लगे और इसके लिये वे पहल से बेचारियां कह रही हैं कि उनके सुहाग पर टैक्स न लगाया जाये ।

मुझे मिनिस्टर साहब से एक बात कहनी है और यह सुझाव देना है कि सब चीजें देख कर के और मार्केट वगैरह देख कर के किसी तरीके से प्राइस कंट्रोल करें । यह प्राइस कंट्रोल करना आप का काम है । आप चाहे कानून से करें या और किसी तरीके से करें लेकिन आप को यह व्यवस्था करनी है कि लोगों को चीजें कंट्रोल रेट पर और एक फिक्स्ज रेट पर मिलें क्योंकि उधर आप टैक्स लगाते हैं और उधर बाजार में उस चीज और साथ में दूसरी चीजो के दाम भी हमदर्दी में बढ जाते हैं और चीजें इतनी मंहगी हो गई हैं कि इंसान को जिन्दा रहना मुश्किल हो गया है ।

जैसा कि श्रीमती इला पालचौधरी ने सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में कहा आप को सर्विस वालों की ओर भी ध्यान देना है । मेरे पास कई तरह की शिकायतें आई हैं कि हालत यह हो गई है कि

[श्रीमती उमा नेहरू]

कोई मैरिट नहीं, कोई सीन्यारिटी नहीं क्योंकि आखिर इंसान अगर बढ़ता है तो वह अपनी मैरिट और सीन्यारिटी के मुताबिक आगे जाता है। यह सुपरसीड कर के लोगों को ऊपर ले जाना यह कुछ अच्छा नक्शा बाहर की दुनिया के वास्ते हम नहीं पेश कर रहे हैं। आप को इस ओर भी ध्यान देना है।

मैं और अधिक न कह कर मिनिस्टर साहब को आशीर्वाद देती हूं और जो बजट उन्होंने पेश किया है उस की सफलता की कामना करती हूं लेकिन एक बात मुझे जरूर कहनी है कि मिनिस्टर साहब जरा किरोसीन आयल के बारे में रहम करें।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, देश का राष्ट्रीय जीवन इतना अस्त व्यस्त असंगठित और विभाजित हो चुका है कि चुनाव की संध्या में कांग्रेस पार्टी को केन्द्र में ६३ करोड़ रुपये का नया टैक्स लगाने का साहस होता है। मैं नहीं समझता कि इस साहस पर मैं कांग्रेस पार्टी को बधाई दूं या देश के दुर्भाग्य पर आंसू बहाऊं। अफसोस की बात यह है कि कर लगाने से पहले वित्त मंत्री महोदय यह भी नहीं सोचते कि जितना रुपया वह सरकारी खजाने के लिये लेना चाहते हैं उतना ही रुपया उपभोक्ता को देना पड़ रहा है या उस से कहीं दूना, तिगुना तो नहीं देना पड़ रहा है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने हिसाब लगा कर बतलाया है कि इस बजट में जो ६० करोड़ रुपये का प्रस्तावित उत्पादन शुल्क रक्खा गया है उस से देश के उपभोक्ताओं को २०० करोड़ रुपया देना पड़ेगा और बाकी का १ अरब ४० करोड़ रुपया उन लोगों के हाथों में चला जायेगा जिनके कि हाथों में नहीं जाना चाहिये। जो कि सरकार के हाथ में आना चाहिये।

यदि सरकार को टैक्स लगाना ही था तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर उस ने अपनी यह नीति निर्धारित कर ली है कि उसे अप्रत्यक्ष करों से ही योजना को सफल बनाना है, अप्रत्यक्ष कर ही अधिकाधिक उसे लगाने हैं तो इस तरीके की कोई व्यवस्था करें कि जब भी कोई अप्रत्यक्ष कर लगायें तो इसका ध्यान रक्खें कि उस से अधिक भार उपभोक्ता पर न पड़े। इस साल ही नहीं पिछले सालों में भी जब भी अप्रत्यक्ष कर लगा है हम ने देखा है कि जो भी कर लगाया गया है उस से अधिक उपभोक्ता को देना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि वित्त मंत्री महोदय के पास इस वक्त कोई ऐसी योजना है या नहीं कि जितना वह टैक्स लगाते हैं उतना ही उपभोक्ता से वसूल हो लेकिन जब हमारी नीति इस तरह की बन चुकी है तो हमें निश्चय ही यह निर्णय करना पड़ेगा कि जितना कर लगाया जाता है उतना ही उपभोक्ताओं को देना पड़े। आखिर यह जो कर लगाये गये हैं खास तौर से अप्रत्यक्ष कर, उनका भार किस पर पड़ रहा है? वित्त मंत्री महोदय देशवासियों से यह अपेक्षा और आशा रखते हैं कि देश की योजनाओं को सफल बनाने के लिये हर एक को भार वहन करना है और हर एक को कुर्बानियां करनी हैं। मैं मानता हूं कि यदि देश को उन्नति करनी है, देश का विकास करना है, और उत्थान करना है तो उस के लिये हर एक को कुर्बानी करने के लिये तैयार रहना चाहिये। लेकिन यह कुर्बानी करने का नारा देने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन लोग मुल्क में हैं जो कि कुर्बानी कर रहे हैं और कौन लोग ऐसे हैं जो कि कुर्बानी नहीं कर रहे हैं और जिन को कि योजना का सिर्फ फायदा ही फायदा मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, सदन में यह चर्चा की गई है कि देश में १० खानदान इस तरह के हैं, दस ऐसे बिजनैस ग्रुप हैं जिन के कि पास देश में जितनी भी अधिकाधिक पूंजी लगी हुई है उस का ६७ प्रतिशत है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं समाजवादी समाज की रचना को सफल बनाने के लिये जो आप बजट पेश करते हैं योजना बनाते हैं तो इन योजनाओं के रहते हुए इन बजटों के चलते हुए भी यदि पूंजी का इस तरीके से केन्द्रीयकरण हो रहा है तब आप को सोचना चाहिये कि कहीं आप के बजटों में और कहीं आप की नीति निर्धारण में कोई ऐसी गलती तो

नहीं है जिस की कि वजह से पूंजी का केन्द्रीयकरण हो रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह की कुछ गलतियां इन नीतियों में हैं जिन की कि वजह से ही पूंजी का केन्द्रीयकरण हो रहा है। जैसा कि वित्त मंत्री महोदय कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत से लोग कहते हैं और हमारे मित्र श्री मसानी भी कहते हैं कि प्रत्यक्ष कर अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं और उन में और बढोतरी नहीं की जा सकती है, मैं इस को नहीं मानता। मैं उन की यह बात भी नहीं मानता कि देश में रुपया इकट्ठा करने के लिये सरकारी खजाने में लाने के लिये हमें अधिक से अधिक अप्रत्यक्ष करों के ऊपर जोर देना पड़ेगा। यदि यह बात सही होती तो फिर पूंजी का केन्द्रीयकरण कुछ हाथों में नहीं होता और तब फिर गरीब और गरीब न होते और अमीर और अधिक अमीर न होते जिस की कि इस सदन में बार बार चर्चा की गई है। जब पूंजी का केन्द्रीयकरण हो रहा है तो उस के मानी यह हैं कि प्रत्यक्ष कर लगाने की अभी भी गुंजाइश है लेकिन हम देखते हैं कि सरकार की नीति कुछ इस तरह की बन चुकी है कि एक तरफ तो यह सिद्धान्त प्रतिपादित करते हैं कि प्रत्यक्ष कर और अधिक देने की क्षमता देश के लोगों में नहीं है। और इसलिये अप्रत्यक्ष करों से ही हमें रुपया वसूल करना चाहिये। दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर होता जा रहा है। सरकार को चलाने वालों को ही यह पता नहीं है कि हमारी योजनाओं से जो फल मिले हैं, वे कहां गये हैं और इस के लिये उन को एक कमेटी बनानी पड़ी है, जो यह जांच करे कि इन योजनाओं के कारण देश में जो आय बढ़ी, वह किधर गई। पिछले अधिवेशन में हमारे प्रधान मंत्री ने बड़े आश्चर्य के साथ कहा कि उन्हें मालूम नहीं कि बढ़ी हुई पूंजी कहां गई और यह जानने के लिये एक कमेटी बनाई गई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जानने के लिये कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि देश में पूंजी कहां जा रही है। हम जानते हैं कि देश की आम जनता गरीब होती जा रही है और शहरों के लोगों, बड़े बड़े उद्योग चलाने वालों, सरकारी अफसरों और राजनीति में ऊंचा स्थान रखने वाले लोगों की हैसियत बढ़ रही है और उन के पास पूंजी इकट्ठी हो रही है। इसलिये हमें यह सोचना पड़ेगा कि मुल्क की इस स्थिति में अपनी योजनाओं को चलाने के लिये हम क्या करें। सरकार की ओर से कहा जाता है कि योजनाओं को सफल बनाने के लिये कर चाहिये। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जितने रुपये के कर लगाये गये हैं, उतने रुपये के लिये कर लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार की जो आर्थिक अवस्था है, उस को दृष्टि में रखते हुए बगैर कर लगाये ही उतना रुपया प्राप्त किया जा सकता था। कहा जाता है कि हम इकानोमी की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिये इकानोमी डिवीजन बने हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि इस से कुछ होगा।

यदि सरकारी खर्चे में फजूल खर्ची का हिसाब लगाया जाय और उस को कम करने की कोशिश की जाय, तो आसानी से पांच से दस करोड़ रुपये बच सकते हैं। एक तरफ तो जनता से कुर्बानी और त्याग करने का अनुरोध किया जाता है, योजना को सफल बना कर देश को समृद्ध बनाने का अनुरोध किया जाता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सरकारी अफसर के बंगले की मरम्मत के लिये पचास हजार रुपया दिया जाता है। क्या यह बात सरकार को शोभा देती है ? क्या हिन्दुस्तान इतना विकासशील हो गया है, क्या यहां पर इतनी पूंजी एकत्र हो गई है कि एक बंगले की मरम्मत के लिये पचास हजार रुपया दिया जाय, जब कि आम जनता को पूरा मकान बनाने में पांच दस हजार रुपये लगते हैं।

इस के अतिरिक्त हम देखते हैं कि विदेशों से हमारे यहां अतिथि आते हैं और यहां से लोग बाहर जाते हैं और करोड़ों रुपया इस पर खर्च किया जाता है। मैं इस बात के विरुद्ध नहीं हूं कि देश में आने वाले अतिथियों का सम्मान किया जाय, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब महात्मा गांधी राउंड टेबल कांफ्रेंस में शामिल होने के लिये लन्दन गये, तो उन से कहा गया कि आप को यहां का ड्रैस

[श्री ब्रजराज सिंह]

पहनना पड़ेगा। इस के उत्तर में उन्होंने कहा कि मैं गरीब हिन्दुस्तान का प्रतिनिधि हूं, इसलिये मैं घुटनों से ऊपर वाली धोती ही पहनूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी इस तरह के सादे वेश में भी मुल्क की प्रतिष्ठा सारी दुनिया में बढ़ा सके थे। इस स्थिति में क्या वर्तमान सरकार के लिये यह कहना उचित है कि अगर हमारी एम्बैसीज इतना खर्च नहीं करती हैं, तो हमारी प्रतिष्ठा गिर जायेगी ? मैं इस तथ्य को स्वीकार करने से इन्कार करता हूं। अगर हम महात्मा गांधी के आदेश, पद-चिह्नों और परम्पराओं पर चलना चाहते हैं, तो हम को देखना पड़ेगा कि हमारी नीतियों में जो मूलभूत गलतियां हैं, उन को दूर किया जाय।

जो ६३ करोड़ रुपये के नये कर लगाये गये हैं, हम अगर चाहते तो उन के बगैर भी अपना काम चला सकते थे। यहां पर कुछ विदेशी लोगों ने इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल कर के बताया कि मुल्क में २०० से ३०० करोड़ रुपये तक की चोरी प्रत्यक्ष करों में--इनकम टैक्स में--होती है। उसके बाद श्री त्यागी की अध्यक्षता में प्रत्यक्ष करों के बारे में जांच करने के लिये एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने भी माना कि इन करों में हर साल तीस से चालीस करोड़ रुपये तक की चोरी होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विदेशियों की बात छोड़िये, यह सरकार कम से कम अपने मित्रों की बात तो माने। हमारे यहां प्रत्यक्ष करों में तीस से चालीस करोड़ तक की चोरी होती है। तो फिर उस को वसूल करने के लिये कौन सी कोशिश की जा रही है और क्यों नहीं कोशिश की जा रही है ? आज चाय, काफी और कांच के बर्तनों पर कर लगाये जा रहे हैं। ताम्बे के बर्तनों के धंधे को और एक्साइज ड्यूटी लगा कर पट करने का प्रयत्न किया जाता है, जनता के इस्तेमाल की आम चीज़ों पर कर लगाया जा रहा है, लेकिन इस तीस चालीस करोड़ रुपये की चोरी को खत्म करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है।

मैंने अभी फ़िज़ूलखर्ची की बात कही है। आज अगर यह सरकार गांधी जी की परम्परा के मुताबिक नीति पर चलना चाहे तो आसानी से ६०, ६५ करोड़ रुपये बच सकते हैं। इसलिये इन नये करों की ज़रूरत नहीं थी। प्रश्न यह है कि जो कर लगाये गये हैं, उनका क्या असर पड़ता है। इस सरकार की नीति यह है कि छोटे उद्योग-धंधों को पनपायेंगे और कमज़ोर लोगों को विशेष सुविधायें देंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे, जिससे वे ऊंचे लोगों के स्तर के बराबर आ सकें। इसी आधार पर हमारे संविधान में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ को विशेष सुविधायें देने और उनके लिये स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से छोटे उद्योगों के लिये भी कुछ विशेष सुविधायें देने की व्यवस्था की गई है। इस नीति के अनुसार हम खद्दर की बिक्री पर कमीशन देते हैं, ताकि उस को मिल के बने हुए कपड़े के स्तर पर लाया जा सके, क्योंकि खद्दर मिल के बने हुए कपड़े के काम्पीटीशन पर नहीं आ सकता है। क्या यह जानने की कोशिश की गई है कि जिन छोटे उद्योगों पर उत्पादन-शुल्क लगाया गया है, वे बरबाद हो जायेंगे ? मिर्ज़ापुर, बनारस और मुरादाबाद में ताम्बे के बर्तन का उद्योग है, जिसमें हज़ार या दो हज़ार की पूंजी होती है। इस पूंजी से वे अपना काम चला रहे हैं। बढ़ी हुई एक्साइज़ ड्यूटी--तीन सौ रुपया प्रति मीट्रिक टन--का परिणाम यह है कि बर्तन का उद्योग बरबाद हो रहा है। हमारी माता-तुल्य माननीय सदस्या, श्रीमती उमा नेहरू, ने कहा कि कांच की चूड़ियों पर टैक्स लगेगा। इस के उत्तर में वित्त मन्त्री महोदय ने कहा कि नहीं लगेगा। मैं उनकी सूचना के लिये कहना चाहता हूं कि सोडा ऐश पर दो रुपया प्रति क्विंटल एक्साइज़ ड्यूटी लगाई जा रही है। इसी तरह कैरोसीन आयल और डीज़ल आयल पर भी अधिक ड्यूटी लगाई जा रही है। ये सब चीज़ें चूड़ियां बनाने के काम में आती हैं। इसका परिणाम यह होगा कि इन करों का प्रभाव चूड़ियों पर भी पड़ेगा।

इसी तरह कांच के बर्तनों पर कीमत का १५ फ़ीसदी टैक्स लगाया जा रहा है। उसमें पांच लाख से कम की पूंजी लगी होती है। छोटे उद्योगों के लिये यह नीति निर्धारित है कि सरकार उन को विशेष

सुविधायें देगी और प्रोत्साहन देगी। इसीलिये हैंडलूम और खद्दर आदि को विशेष सुविधायें दी जा रही हैं। यह टैक्स लगाने का नतीजा यह होगा कि छोटे उद्योग बड़े उद्योगों से काम्पीटीशन नहीं कर सकेंगे और मर जायेंगे। सरकार को यह देखना चाहिये कि किसी उद्योग की दशा क्या है। अगर मशीन से कोई चीज़ बन रही है और हाथ से भी वह चीज़ बन रही है, तो मशीन की चीज़ से हाथ की चीज़ मुकाबला नहीं कर सकेगी, इसलिये उसको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। इसलिये इस विषय में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये कि जिन कांच के बर्तन बनाने वालों की पूंजी ५ लाख से कम हैं, वे उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जो मशीन से काम करते हैं और जिन की पूंजी पांच लाख से ज्यादा है। अगर उनको जिन्दा रहना है, अगर उनका अस्तित्व नहीं मिटाना है, तो इस बारे में कदम उठाना होगा। अगर कर लगाना ही है, तो उन पर टैक्स लगाया जाये, जो मशीनों से चीज़ बनाते हैं, और जिनकी पूंजी पांच लाख से ऊपर हो।

श्री त्यागी (देहरादून) : छोटे उद्योगों को छोड़ देने से क्या माननीय सदस्य की तसल्ली हो जायगी ?

श्री ब्रजराज सिंह : मेरा कहना यह है कि कहीं उत्पादन-शुल्क लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी और इतना रुपया दूसरे उपायों से बचाया जा सकता था, लेकिन सरकार को यह बुद्धि नहीं आई कि बिना टैक्स लगाये भी काम चल सकता है। अगर सरकार की यह नीति है कि छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा सुविधा दी जा तो फिर वह कुछ उद्योगों को मारने की कोशिश क्यों करती है ?

प्रश्न यह है कि अगर कर लगाने की आवश्यकता भी हो, तो क्या कोई और क्षेत्र नहीं हैं, जिनमें कर लगाये जा सकते हैं ? और भी क्षेत्र हैं, जिनमें हम कर लगा सकते हैं और जिनसे सरकारी खज़ाने में पया आ सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, वज़ीगापट्टम और कोचीन बड़े बन्दरगाह हैं, जहां पर माल ढोने और चढ़ाने का काम सरकार ने लिया हुआ है। वहां पर ढाई करोड़ टन माल हर साल उठाया जाता है। ज्यों-ज्यों हमारी योजनायें आगे बढ़ेंगी. हमारे देश का विकास होगा और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, तो उसकी मा ा और बढ़ेगी। १९५७ में वशिष्ठ कमेटी बनी जिसने यह सिफारिश की कि स्टीवडोर सिस्टम ख़त्म कर दिया जाये ; ये स्टीवडोर कलकत्ता में एक रुपया साढे पन्द्रह आने और बम्बई में एक रुपया साढ़े तेरह आने प्रति टन के हिसाब से मुनाफा उठाते हैं, जब उनका उसमें कुछ काम नहीं होता है। अगर स्टीवडोर सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाये, ो इस समय साढ़े चार, पांच करोड़ रुपया और अगले प्लान के अन्त में आठ क ोड़ रुपया प्रति वर्ष हम ले सकते हैं। लेकिन सरकार उधर क्यों नहीं जाती है कारण यह है कि अगर वह उधर जायगी, तो बंगाल की कांग्रेस कमेटी के लोग, जिनसे स्टीवडोर्ज़ का काफ़ी सम्पर्क रहता है, और बम्बई कांग्रेस कमेटी के लोग हो हल्ला करेंगे और इसके खिलाफ़ आवाज़ उठायें । मैं कहना चाहता हूं कि आपकी कर-निर्धारण की सारी जो नीति है वह इस तरह की हो गई है कि जो आम जनता के खिलाफ जाती है। कुछ लोग हैं जिनके नाम पर आप बोल सकते हैं, प्रचार के साधन आपके पास हैं उनका सहारा लेकर आप लोगों को मन्त्रमुग्ध कर सकतेहैं। हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री जिनके नाम पर आज आप हिन्दुस्तान की जनता को मन्त्रमुग्ध कर सकते हैं, उसको अपने साथ रख सकते हैं और उस आधार पर आप इन करों को पास करवाने में और इनको लागू करने में समर्थ हो सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि आम जनता चाहे भी तो भी वह जब इस तरह के टैक्स लगाये जाते हैं, आह नहीं कर सकती है, चीख नहीं सकती है। जो कुछ हमारी परम्परायें हैं, बड़ों की प्रतिष्ठा करने की उन परम्पराओं को आप जीवित रखे हुए हैं, कुछ नाम हैं जिनसे लाभ उठा कर

[श्री ब्रजराज सिंह]

आप इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि चार पांच करोड़ रुपया आपको इस तरह से मिल सकता है और आगे चल कर आपको आठ करोड़ भी मिल सकता है।

यहां पर हमारे देश में चोरी छिपे सोना भी हर साल आता है। एक पत्र ने पिछले दिनों यह अन्दाज़ा लगाया था कि १०० करोड़ रुपये से ऊपर का सोना पिछले कुछ सालों में हिन्दुस्तान में चोरी छिप आ चुका है, स्मगल होकर आ चुका है, स्मगल्ड गोल्ड जिसे कहते हैं, वह आ चुका है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह की नाजायज़ कार्रवाइयों को रोकने के लिए क्यों सरकार की तरफ से कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाये जाते हैं ताकि इस तरह से अवैध रूप से सोने को आने से रोका जा सके। अभी पिछले दिनों एक जहाज़ पर कलकत्ता में ३४ लाख का सोना हमारी सरकार ने पकड़ा था और वह सारा हमारे खजाने में गया। यह बहुत खुशी की बात है। और जगहों पर भी करोड़ों रुपये का सोना इस तरह से हर साल आता है, चोरी छिपे आता है। क्यों नहीं आप इस तरह से आने वाले सोने को पकड़ते हैं ? क्यों नहीं आप इस मामले में सख्त कदम उठाते हैं। हमें अगर अपने साधन बढ़ाने हैं तो इस ओर हमें ध्यान देना होगा वे इस तरह से भी बढ़ाये जा सकते हैं।

बार-बार यहां बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात कही जाती है। इसके उत्तर में सरकार की ओर से हमेशा कहा जाता रहा है कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी हमने पिलाई बैंक और लक्ष्मी बैंक को असफल होते देखा है। इस तरह के फेल्योर्ज़ से पता चलता है कि जो डिपोजिटर्ज़ हैं, उनका जो रुपया होता है वह भी खतरे में रहता है। मैं चाहता हूं कि सरकार विचार करे कि क्या अब समय नहीं आ गया है जब हम देखें कि इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। अगर सरकार बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं करती है तो अवश्य ही वह उनको अपने प्रबन्ध में ले सकती हैं। जब सरकार रिजर्व बैंक से ४२ करोड़ रुपया मुनाफा कर सकती है तो इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके भी वह इतना नहीं तो इससे कुछ कम या कुछ अधिक मुनाफा जरूर कर सकती है। जो भी फायदा इससे सरकार को होगा वह उसके खज़ाने में जायेगा और उस हद तक उसको टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी।

जीवन बीमे का आपने राष्ट्रीयकरण किया है और उससे भी आपको कुछ धन प्राप्त हुआ है। आपको इस व्यवसाय से और भी धन प्राप्त हो सकता है अगर आप जनरल एश्योरेंस को भी अपने हाथ में ले लें। क्या कारण है कि उसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता है ? अभी तक सरकार की ओर से इन कारणों पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। जिस तरह से जीवन बीमा से आपको लाभ हुआ है उसी तरह से जनरल एश्योरेंस से भी आपको लाभ होगा, इसको चेलेंज नहीं किया जा सकता है। जब हमको अपनी योजना को सफल बनाना है और जब हम यह भी जानते हैं कि आम जनता में अप्रत्यक्ष करों को देने की क्षमता नहीं है, तब इन साधनों का हमको सहारा लेना ही पड़ेगा। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि जनरल बीमे का भी राष्ट्रीयकरण हो, इसको सरकार अपने कब्ज़े में ले।

आज हम देखते हैं कि हमारे देश में एक धारा चल रही है। हमारे कांग्रेस वाले कहते हैं कि स्वतन्त्र पार्टी मुल्क को पीछे खदेड़ ले जाएगी, उसकी जो नीतियां हैं उनसे मुल्क पीछे जायेगा, आगे नहीं और हमारे मसानी साहब कांग्रेस को चैलेंज करते हैं। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम समझते हैं कि कांग्रेस और स्वतन्त्र पार्टी में कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री बार-बार समाजवाद का नाम लेते रहते हैं लेकिन जो अमल होता है वह एक ही होता है। अगर देश को पीछे खदेड़ने की बात है तो मैं पूछना चाहता हूं कि किसी तरह से प्रतिक्रियावादी शक्तियां आगे न बढ़ें, इसके लिए आप कौन से कदम उठा रहे हैं, आप कौनसा उपाय कर रहे हैं जिससे कि राजा महाराजाओं को जो २०-२५ करोड़ रुपया प्रिवी

पर्स के रूप में मिलता है, वह बन्द हो । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या समय नहीं आ गया है कि हम संविधान में संशोधन कर और उनके जो प्रिवी पर्स हैं उनको जब्त करें ।

अभी हाल ही में हमने देखा कि एक राजा ने हिन्दुस्तान में ही अपने इलाके को स्वतन्त्र बनाने की कोशिश की । इस तरह की बातें आगे न होने पायें, उसके लिए क्या अब वक्त नहीं है कि हम उनके प्रिवी पर्सिस को खत्म कर दें और उन से कहें कि उनके पास जो अरबों रुपया पड़ा है उसी से कमा कर वे खायें या फिर थोड़ा खायें ।

बार-बार यहां कुर्बानी की बात कही जाती है । क्या कभी यह सोचा जाता है कि अगर मुल्क का ढांचा समाजवाद पर आधारित होना है तो आय की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाए । क्या यह कभी सोचा जाता है कि बड़े से बड़े और छोटे से छोटे की आमदनी के बीच में अधिक से अधिक अन्तर कितना हो ? यह जो काम है इसे सब से पहले सरकार के यहां से शुरू होना चाहिये । सरकार अगर अपने यहां जिन को एक हजार से ऊपर वेतन मिलता है तथा दूसरी सुविधायें मिलती हैं उनका वेतन एक हजार पर ला सकें और दूसरी सुविधाओं को खत्म कर सकें तो दसि ों करोड़ रुपये इसी से बच सकते हैं । लेकिन सरकार की दूसरी ही नीति है । वह कहती है कि उसे नीचे वालों को ऊपर लाना है, ऊपर वालों को नीचे नहीं लाना है । आजकल जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं । मुझे लगता है कि हिन्दुस्तान के आयोजकों ने जो यह अनुमान किया था कि हिन्दुस्तान की जनसंख्या ४१–४२ करोड़ होगी, वह १९६१ में ४५ करोड़ के करीब होने जा रही है । अब इस ४५ क ोड़ जनसंख्या को आप नीचे से ऊपर उठाने की बात ही क्या करते रहेंगे ? और योजना का जो प्रभाव पड़ रहा है, वह किन लोगों पर पड़ रहा है । ऐसा लगता है कि उनका जीवन स्तर हमेशा नीचा ही बना रहेगा, उसको आप ऊपर नहीं उठा सकेंगे । ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि कुछ समय के लिये दस बीस साल के लिये ऐसी नीति निर्धारित हो जिससे कि जो बहुत ऊपर हैं उनको कुछ कानून के द्वारा नीचे लाया जा सके और जो नीचे हैं, उनको ऊपर उठाने की कोशिश की जा सके । यह योजना चल रही है यह क्या कुछ पढ़े लिखे लोगों के लिये ही चल रही है, सफेद पोशों के लिये ही चल रही है, नेताओं के लिये ही चल रही है, कुछ एक अफसरों के लिये ही चल रही है ? हो सकता है कि उनको इससे कुछ फायदा होता हो लेकिन जहां तक आम जनता का सम्बन्ध है, उसे कोई फायदा नहीं हुआ है । किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचा है, मजदूरों को कोई फायदा नहीं पहुंचा है, गरीब आदमियों को कोई फायदा नहीं पहुंचा है, खेतीहर मजदूरों को कोई फायदा नहीं पहुंचा है । जो अनार्थिक जोतें हैं उनको आर्थिक जोतें बनाने के लिये आपने कुछ नहीं किया है । खेतीहर मजदूरों को जो बहुत ही कम पैसा मिलता है, उसको ज्यादा दिलाने का आपकी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं किया गया है, उनको ऊंचा उठाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है । इन सब मामलों में सरकार की तरफ से कौनसी कार्रवाई की गई है या की जा रही है । मैं समझता हूं कुछ भी नहीं किया जा रहा है । नारा दे दिया जाता है कि हम समाजवाद बनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या उस नारे के फलस्वरूप समाजवाद की स्थापना हो सकती हैं ।

सरकारी खर्च में मितव्ययिता करने की बात मैं कह चुका हूं । अब मैं विदेशी पूंजी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । विदेशी पूंजी जितनी कि वह लगाई गई थी उस से कहीं अधिक रुपया कमाया जा चुका है, क्यों उसे अपने कब्जे में नहीं लिया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी रुकावटें इस सिलसिले में आप के मार्ग में हैं । हमारे वित्त मंत्री महोदय कहते हैं कि वह एक इंडिया इनवैस्टमेंट सेंटर कायम करने जा रहे हैं यह नई ल्दिल्ली में स्थापित किया जायगा और इस का उद्देश्य यह होगा कि विदेशी पूंजी को अधिक से अधिक हिन्दुस्तान में लगाने के काम को प्रोत्साहन दिया जाय । जब हम उस विदेशी पूंजी को अपने कब्जे में करने की बात कहते हैं जोकि दुगुना और तिगुना मुनाफा

[श्री ब्रजराज सिंह]

कमा चुकी है तो वित्त मंत्री महोदय डरते हैं और कहते हैं कि यदि ऐसा किया गया तो विदेशी पूंजी यहां नहीं आयगी । हमारी सरकार बार-बार यह कहा करती है कि विदेशी पूंजी के यहां लगने के कारण हमारे देश की अन्तरिक या विदेश नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । लेकिन मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल मिथ है, यह एक धोखा है। विदेशी पूंजी को जो हम निमंत्रण दे रहे हैं, ऐसा करके क्या हम अपने देश को गिरवी नहीं रख रहे हैं । मैं इस के विरुद्ध नहीं हूं कि विदेशी पूंजी यहां न लगे लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि जो विदेशी पूंजी लगे वह हमेशा ही सरकारी स्तर पर लगे जिस से कभी भी जो दूसरे प्राइवेट लोग हैं वे मुनाफे के लिये कुछ न कर सकें ।

अभी आज ही क्वेश्चन आवर में माइनिंग के सम्बन्ध में एक सवाल पूछा गया जिस के जवाब में बताया गया था कि इस पर विचार हो रहा है कि उनके लाइसेंस रिन्यू किये जायें या न किये जायें । मैं पूछना चाहता हूं कि लाइसेंस रिन्यू करने की बात ही क्यों उठती है जब हमारा १९५६ का इंडस्ट्रियल पालिसी रेज़ोल्यूशन मौजूद है । पोलिटिकल साइड कुछ भी हो, तेल कम्पनियां हों या इस तरह की दूसरी चीजें हों, जिन से करोड़ों रुपया हर साल कमाया जा सकता है, क्यों न हम कमाने की कोशिश करें । लेकिन हम देखते हैं कि उन को बराबर सुविधायें दी जा रही हैं । यदि सरकार उन को अपने अधिकार में कर ले तो सरकार को बहुत से साधन प्राप्त हो सकते हैं ।

अब मैं आयात निर्यात के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । एक तरह से कुछ लोग हैं जिनको आयात-निर्यात करने का अधिकार मिला हुआ है, खास तौर से आयात करने का और यह उन की एक तरह से जमींदारी सी बनी हुई है । हम ने ज़मींदारियों को खत्म करके अच्छा ही किया । आयात के व्यापार में भी जो कुछ लोगों का आधिपत्य बना हुआ है, उसे भी हम को खत्म करना चाहिये । इस काम को अगर सरकार अपने हाथ में ले ले तो करोड़ों रुपया क्या वह इकट्ठा नहीं कर सकती है ? इस सदन में बार-बार सवाल उठता रहा है और मांग की जाती रही है कि इस काम को सरकार अपने हाथ में ले और कहा जाता रहा है कि इने गिने लोग हैं जिनको आयात के लाइसेंस दिये जाते हैं वे उन करोड़ों रुपयों का मुनाफा कमाते हैं । अगर सरकार के पास साधनों की कमी है तो वह इस बात पर विचार करे कि क्यों न अब आयात व्यापार को कम से कम वह अपने कब्जे में ले ले ।

मैं मूल्य नीति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । सरकार चाहे तो वह सही मूल्य नीति निर्धारित कर के देश की जनता का कुछ लाभ कर सकती है । लेकिन सरकार की तो कोई मूल्य नीति ही नहीं है, न पब्लिक सैक्टर में और न ही प्राइवेट सैक्टर में । इस तरह की मूल्य नीति होनी चाहिये कि किसी चीज़ की जो कास्ट प्राइस है, उस का उत्पादन का जो खर्चा है, उस से कितने अधिक परसेंट मूल्य पर वह उपभोक्ता के पास बेची जायगी । हम देखते हैं कि चीनी हमारे कारखानों में आठ आने प्रति सेर के हिसाब से उत्पादित होती है लेकिन उपभोक्ता के पास जब वह जाती है तो एक रुपये या एक रुपये एक आने प्रति सेर के हिसाब से बिकती है । अब चूंकि पांच लाख टन चीनी को हमें विदेशों में भेजना है और विदेशी मुद्रा अर्जित करनी है, इसलिये उस के भाव को शायद आठ आना या एक रुपया मन और तेज़ कर दिया जाय उत्पादन शुल्क लगा कर । आप इस सदन की मंजूरी ले कर ही चीज़ों के दाम नहीं बढ़ाते हैं बल्कि और भी अप्रत्यक्ष तरीकों से भी चीज़ों की कीमतें बढ़ा रहे हैं । एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिये आन्तरिक भावों को जो आप बढ़ा देते हैं ताकि उस की खपत कम हो सके, तो वह भी एक तरह से टैक्स बढ़ाने वाली बात हो जाती है । मैं चाहता हूं कि सही मूल्य नीति आप निर्धारित करें । कारखानों में बनी हुई चीज़ों के बारे में तो आप ने नियम बनाया हुआ है कि टरिफ कमिशन उन चीज़ों की कास्ट प्राइस को तय करता है मगर मैं पूछता हूं कि हिन्दुस्तान के जो किसान हैं, जो खेती की चीजें पैदा करते हैं, उन के ज़रिये पैदा की गई चीज़ों की कास्ट प्राइस का

पता लगाने के लिये भी सरकार की तरफ से क्या कोई कोशिश की गई है ? जब जब इस सदन में इस तरह की चर्चा होती है, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि यह बहुत विस्तृत समस्या है और इस काम के लिये हमारे पास इतने कर्मचारी नहीं हैं कि इस बात का पता लगा सकें कि कितनी लागत आती है, गेहूं, जवार, बाजरा, चना आदि पैदा करने में। जब आप यह भी नहीं जानते तो यह किस तरह निश्चित करेंगे कि आखिर इन चीजों की कीमत क्या होनी चाहिये । आप जिस समाजवादी समाज की बात करते हैं वह तो दूर रहा वेलफेअर स्टेट की स्थापना के लिये भी तमाम खेती की चीजों का मूल्य उसी तरह निर्धारित किया जाना चाहिये जिस तरह कारखाने की चीजों का किया जाता है ।

और चीजों को छोड़ते हुए मैं कहूंगा कि सरकार की तरफ से विदेशी पूंजी को जो विशेष रियायतें देने की बजट में कोशिश की गई है, उन को वित्त मंत्री फिर वापस लेने की कोशिश करें । विदेशी जो पूंजी है उस पर रायल्टी की दर बढ़ाने जा रहे हैं, बोनस टैक्स को हम कम करने जा रहे हैं । जहां पर भी पूंजी का सवाल आता है वहां आप विशेष सुविधायें देने की बात सोचते हैं लेकिन जब सवाल बेकार जनता का आता है तब आप कहते हैं कि बिना पैसे के काम नहीं चल सकता है । मैं मानता हूं कि बिना पैसे के काम नहीं हो सकता, लेकिन बिना टैक्स लगाये हुए लोगों पर काम चल सकता है, और अगर टैक्स लगाना जरूरी ही हो तो फिर उस तरह से लगाइये जिस तरह मैं ने सुझाव दिया है । जिन टैक्सों से आप को मुश्किल से चार पांच लाख रुपया मिलेगा लेकिन दसियों लाख मजदूर बेकार हो जायेंगे उन पर टैक्स न लगाइये । जैसे तांबे के बरतन का काम है, कांच के सामान की बात है, यह ऐसे छोटे-छोटे काम हैं जिन से मुश्किल से आप को पांच या दस लाख रुपये मिलेंगे, लेकिन लाखों आदमी उन में बेकार हो जायेंगे । मुल्क की आबादी को देखते हुए आप के पास सुनिश्चित योजना नहीं है कि आप सारे बेकारों को काम दिलायेंगे, लेकिन जिन को आज काम मिला हुआ है, कम से कम उन को तो बेकार न बनायें ।

श्रीमती सहोदरा बाई राय (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो दिन से प्रतीक्षा कर रही हूं कि अब आप मुझ को वक्त दें । बहरहाल आप ने महिलाओं को बोलने का मौका दिया, इस के लिये मैं आप की आभारी हूं ।

हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वह बड़े अच्छे और सुन्दर ढंग से किया है, साथ ही बड़े दिमाग और बुद्धिमानी से किया है । जो भी कर लगाय गये हैं वे भी बड़े अच्छे ढंग से लगाये गये हैं और वह भी इसलिये कि बिना कर लगाये काम नहीं चल सकता । इस वक्त हमारा देश विकास की ओर बढ़ रहा है, दिनों दिन तरक्की की तरफ जा रहा है । ऐसा नहीं है कि हमारे देश की तरक्की नहीं हुई, काफी तरक्की हुई है । सिर्फ इस बात का सवाल आ गया है कि कर लगाने से पहले ही हमारी जनता में असन्तोष फैल गया है । उस का कारण यह है कि जिस चीज पर कर नहीं है उस के लिये भी जब हम दुकानदारों और व्यापारियों के पास जाते हैं तो वे उन को मेंहगी देते हैं । वे उन पर भी कर लगा देते हैं । खाने पीने आदि की ऐसी चीजें हैं जिन पर टैक्स नहीं लगा है, लेकिन वे उन पर भी मनमाना दाम लेते हैं । हमारे वित्त मंत्रालय को गुप्तचरों को भेज कर इस बात का पता लगाना चाहिये कि किस जगह पर ज्यादती हो रही है, किस चीज पर ज्यादा दाम लिये जा रहे हैं और हमारे गुप्तचर विभाग को समय समय पर वित्त मंत्रालय को इस के बारे में खबर देना चाहिये ।

हमारे मिनिस्टर साहब ने शहरों की ओर ज्यादा ध्यान दिया है, इस पर हमारे बहुत से भाई बोल चुके, श्रीमती उमा नेहरू भी बोलीं, इसलिय मैं इस बात को अधिक क्या दोहराऊं ? हमें साफ दिखाई पड़ता है कि हमारे शहरों की बहुत तरक्की हुई है और दिनों दिन होती जा रही है । बिजली है, पुल हैं, बांध हैं, कारखाने हैं, सब कुछ है, लेकिन देहातों की तरफ इस ओर ध्यान नहीं गया है । देहात के हमारे भाइयों ने हमें चुन कर भेजा है और कहा है कि संसद् में जा कर जो हमारा दुःख है

[श्रीमती सहोदरा बाई राय]

उस को कहना। लेकिन उन की यहां पर कोई सुनवाई नहीं होती। अगर हम रिपोर्ट भी करें तो वह रिपोर्ट भी आप के पास कागज पर पेंडिंग पड़ी रहती है, उस की कोई सुनवाई नहीं होती और न हमें जवाब ही मिलता है। किसान लोग आज बड़ी तकलीफ में हैं। यह सच है कि अब की फसल अच्छी आई है, गेहूं सब जगह अच्छा है, इसलिये किसानों को जरा तसल्ली है। लेकिन उन को जो तकलीफ है, उस को मैं आप के सामने पूरी तरह से रख नहीं सकती। चारों तरफ गुंडागर्दी का जोर है, घूसखोरी इतनी बढ़ गई है कि कर्मचारी लोग जिम्मेदारी से काम नहीं करते, लापरवाही से काम करते हैं, जब तक उन के पास १०० रु० का हरियल नोट नहीं पहुंचेगा तब तक वे काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन की आदत पड़ गई है। आप उस को साबित भी नहीं कर सकते क्योंकि बारह बजे किसी के बंगले में दे आते हैं। आखिर उस को कैसे साबित किया जाय? इन्हीं सब कारणों से जनता में असन्तोष ज्यादा फैल गया है, इस पर हमारे मिनिस्टर साहब को ध्यान देने की जरूरत है।

शराबबन्दी के सम्बन्ध में आप कहते हैं कि शराब पर जो कर लगाया गया है वह बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे जिलों में आप शराब को चालू किये हैं। कहीं पर आप ने उस को बन्द किया है और कहीं पर आप उस को रक्खे हुए हैं, इस से भ्रष्टाचार फैलता है। यहां के लोग मनों शराब, मनों अफीम और मनों गांजा ले जाते हैं। उन जगहों में पकड़े जाते हैं जहां शराबबन्दी है और उन पर मुकदमे सालों तक चलते हैं। इस से भी जनता परेशान होती है। इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि या तो मद्य निषेध बिल्कुल हिन्दुस्तान से खत्म कर दिया जाय या फिर उस को आल इंडिया में लागू कर दिया जाय, जिस में कि सचमुच उस की खपत बन्द हो। आज तो यह होता है कि लोग उसे ले जाते हैं और पकड़े जाते हैं। वकील, पुलिस इन्स्पैक्टर उन को परेशान करते हैं और दो दो सौ और चार चार सौ रुपये ले कर उन को छोड़ देते हैं और जनता की परेशानी बढ़ जाती है। इसलिये अगर कोई कानून इस सम्बन्ध में हो तो वह सब के लिये हो। आज कहीं पर तो वह लगा हुआ है और कहीं पर नहीं लगा हुआ है। जैसे हमारा सागर, विंध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य भारत है, वहां पर कितनी गड़बड़ी होती है यह मैं आप को गिना नहीं सकती। लोग जनता का खून चूस रहे हैं और आप की नीति ऐसी है कि दिल्ली में तो शराब खुली है और मध्य प्रदेश में बन्द है। इसलिये एकसां कानून जल्दी से जल्दी बनना चाहिये। आप को इस बारे में यह नहीं सोचना चाहिये कि इस से आप के पास पैसा आता है। ऐसा नहीं है कि शराबबन्दी नहीं होगी तो आप को पैसा नहीं मिलेगा और आप का काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो हम कुछ और सोचेंगे। अमरीका से डालर लायेंगे, जापान से लायेंगे और उस से अपना काम चलायेंगे, और जब हमारी जरूरत पूरी हो जायेगी और तरक्की हो जायेगी तो उस को वापस दे देंगे।

तो हमारी नीति इस ढंग की है कि हमारा ध्यान देहातों की तरफ कम जा रहा है। आप जानते हैं कि देहातों में दिन दहाड़े कत्ल होने लगे हैं, दिन दहाड़े डकैतियां पड़ती हैं, जनता परेशान है। अगर किसी आदमी के पास पैसा है तो आमने सामने आ कर उस का कत्ल हो जाता है, लेकिन कत्ल करने वाले का कुछ नहीं होता, वह छूट जाता है। मैं यहां पर ज्यादा नहीं कहना चाहती थोड़ा ही बोलूंगी क्योंकि मैं कोई एम० ए० या बी० ए० पास नही हूं, सिर्फ मैट्रिक पास हूं। मैं सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर से यह प्रार्थना करती हूं कि काश्तकारों के लिये नये औजार मिलें, समय समय पर उन को ताकवी ग्रांट दिलायें, खाई बन्दी हो, अच्छे बीज मिलें। यह सब चीजें समय पर नहीं मिलती हैं। मान लीजिये हमारे यहां बीज बोया आज जाता है तो वह हमें नवम्बर या दिसम्बर में जा कर मिलता है और इसीलिये हमारे यहां पैदावार पूरी नहीं होती। हम को चार या छः महीने पहले से ग्रांट मिल जानी चाहिये।

हमारे हरिजनों की हालत देहातों में बहुत खराब है। पिछली दो ोजनाओं के पहले जैसी उन की हालत थी वैसी ही आज भी है। उनको जो जमीन और जो सहूलियतें पहले दी जाती थीं वही अब भी दी गई हैं; लेकिन उतनी नहीं मिली हैं जितनी कि मिलनी चाहिये। सा ी दिक्कतें हैं। छुआछूत का भाव भी फैला हुआ है, उस को दूर करने की ओर भी जरा हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिये जिस में कि हमारे देश के सारे काम सुचारु रूप से चल सकें।

हमारे पास एक ज्योतिषी जी आये थे घर पर। उन्हों ने मेरा हाथ देखा और कहा कि बाई, मैं आप को बतलाऊं? मैं ने कहा कि बतलाइये। उन्हों ने कहा कि भारतवर्ष पर नवग्रह पड़े हैं सन् १९६२ में। मैं ने कहा कैसे? तो उन्हों ने कहा कि जब यहां पर महाभारत हुआ था द्वापर में तो सात ग्रह थे, लेकिन अब नवग्रह हैं। मैं ने पूछा कि हिन्दुओं पर होगा या मुसलमानों पर, तो कहा कि उन की तो चौदहवीं सदी है ही। अब हम को सन् १९६२ के आने वाले साल में बड़े विचार से चलने की जरूरत है। दिनों दिन लड़ाईझगड़ा बढ़ रहा है। अभी जबलपुर में और सागर में गुंडागर्दी के कारण झगड़े हुए। इस गुंडागर्दी को रोकने के लिये हमारे मिनिस्टर साहब को शान्ति से कदम उठाना चाहिये वह राजनीति को चलाने में बहुत प्रवीण हैं, वह गुजरात से आते हैं, इसलिये उन को शांति ज्यादा है। वह सुनते सब की हैं पर करते मन की हैं। भोंकने वाले भोंकते रहते हैं। वह सब की सुनते हैं पर अपनी राजनीति को सावधानी से चलाते हैं। हम बोलने वाले गुस्सा होते हैं, खड़े होते हैं, ब ते हैं और इस तरह कसरत करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि हमें राजनीति को चलाने के लिये सावधानी से कदम उठाना चाहिये।

आप के जो कर्मचारी हैं वे सब जिम्मेदारी से काम नहीं करते। जो भी विभाग उन को सौंपा जाता है उस का काम वह ठीक से नहीं करते। जीपें उन को मिलती हैं, उन में वे जा कर शिकार खेलते हैं और इस तरह से पट्रोल को बरबाद करते हैं और काम नहीं करते। आप के ंजीनियर जो बांध बनाते हैं वे इतने कमजोर होते हैं कि बरसात में उन में दरार पड़ जाती है लेकिन उन का कुछ नहीं होता। वित्त मंत्री के सामने वे अपनी रिपोर्ट रख देते हैं, उन को अमरीका जाना है, तो वे कहते हैं कि चलो दस्तखत कर दें। तो इस तरह कर्मचारी लोग लाखों रुपया खा जाते हैं और उसका पता भी नहीं लगता। तो इस तरफ आप को ध्यान देना चाहिये। मैं यह नहीं कहती कि आप के सारे कर्मचारी ऐसे ही हैं। कुछ बड़ी ईमानदा ी से काम करते हैं और रात दिन काम में लगे रहते हैं। लेकिन सब इस तरह काम नहीं करते।

इस के अतिरिक्त मेरी प्रार्थाना है कि जो लड़कियां पढ़ कर निकलें उन को बराबर नौकरियां मिलनी चाहियें। वे बी०ए० एम० ए० करके निकलती हैं लेकिन उन को नौकरियां नहीं मिल पातीं। क्योंकि पुरुषों का बोल बाला है। इस मामले में आप को हरिजनों का भी ध्यान रखना चाहिये। वैसे तो तीसरी योजना में सौ करोड़ रुपया लड़कियों की पढाई लिखाई के लिये रखा गया है। मैंने देखा कि केरल में लड़कियों की शिक्षा की दिशा में अच्छी उन्नति हुई है लेकिन पिछड़े हुए एरिया में बहुत कम काम हुआ है। उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? इस का कारण यह है उस रिया के लोगों से अंग्रेज नाराज थे क्योंकि रानी लक्ष्मी बाई अग्रेजों से लड़ी थी और ुंदेले लड़े थे। लेकिन अभी भी वहां की वही हालत है, मालूम होता है कि मंत्री जी भी उनसे नाराज हैं क्योंकि उन की तरफ उन का ध्यान नहीं जाता। इस लिये मे ी प्रार्थना है कि जो पिछड़े इलाके हैं उन की तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

अब अस्पतालों की ओर चलिये। अस्पतालों में बड़ा अंधाधुंध काम होता है। गरीबों को दवा नहीं मिलती, डाक्टर लोग दवा प्राइवेट में बेच खाते हैं। हम दरवाजे पर खड़े रहते हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती। महिला ें रात दिन बीमार पड़ी रहती हैं और हरिजनों की बात भी, चाहे वे बड़े

[श्रीमती सहोदरा बाई राय]

आदमी हों, डाक्टर लोग नहीं सुनते। उन से कहा जाये तो गालियां देते हैं और उन की रिपोर्ट की जाये तो बड़े लोगों को मना लेते हैं और छोटे लोगों की सुनवाई नहीं होती। लेकिन राजनीति में तो छोटे और बड़े सब बराबर होने चाहियें, किसी के साथ भेद भाव नहीं बरता जाना चाहिये। तो आप को अस्पतालों की ओर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि जगह जगह बीमारियां हो रही हैं। लोगों की सुनवाई नहीं होती।

यही थोड़ी सी बातें मुझे कहनी थीं, जो मैं ने आप से कह ीं। राजनीति में बहुत देख कर चलना चाहिये। इस वक्त बहुत सोच समझ कर कदम उठाने की जरूरत है। लोग चाहे कुछ कहें आप को अपनी राजनीति सोच समझ कर चलानी चाहिये। जिस से कि कोई गलती न हो। आप तो स्वयं बड़े चतुर हैं, मैं आप को क्या बतलाऊं। आप राजनीति को इस तरह चलायेंगे कि जिस से देश आगे बढ़ता जाये।

अंत में मैं इतना और कहना चाहती हूं कि स्त्रियों को उन का उचित हिस्सा दिया जाये। मैं तो कहूंगी कि उन को ५० प्रतिशत मौका मिलना चाहिये जिस से कि वे मरदों के कंधे से कंधा मिला कर काम कर सकें। महिलायें राजनीति को अच्छी तरह समझती हैं क्योंकि उन की गृहस्थी भी एक राजनीति है।

मेरी प्रार्थना है कि मैंने जो बातें कही हैं उन पर आप ध्यान दें, जो मुझ से टूटा फूटा बन पड़ा वह मैंने आप के सामने रख दिया। मैं तो केवल मैट्रिक पास हूं, एम० ए० बी० ए० पास नहीं हूं। आप ने जो मूझे समय दिया उस के लिये धन्यवाद।

श्रीमती कृष्णा मेहता (जम्मू तथा काश्मीर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सन् १९६१-६२ का बजट सदन में प्रस्तुत किया है उस का मैं स्वागत करती हूं। उन्हों ने बड़े सुदर ढंग से और दृढ़ता से भारत की उन्नति का चित्र सामने रख कर बजट सदन में प्रस्तुत किया है।

इस में तिल भर भी शंका नहीं है कि नया कर लगाने से जनता के मन को चोट पहुंचती है, परन्तु कर के बिना दूसरा रास्ता भी नहीं है जिस से कि देश की जनता उठ सके। अगर जनता को उठाना है, भख और दरिद्रता को दूर करना है तो उस के लिये जनता को ऐसी चोटें सहन करनी पड़ेंगी। किन्तु भारत की जनता खास कर गांवों की जनता तथा श्रमिकों या उन के उद्योगों पर कर का असर नहीं पड़ना चाहिये इस की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दो चीजों पर लगाये ग े करों की ओर दिलाना चाहती हूं। उन का असर गरीब मजदूरों पर सीधा पड़ा है। मझे डर है कि इस से उन के उद्योगों को हानि पहुंचेगी।

गत वर्ष पावर लूम के रेशम पर कर लगाया गया जिस से काश्मीर में जो पावर लूम चलते थे उन पर बहुत ही असर पड़ा। अब सन् १९६१-६२ के बजट में पावर लूम के रेशम पर जो कर लगा है उस से वह भार दुगना हो गया है। काश्मीर में शिल्प कला बहुत प्रचलित है। उस पर भी इस का असर पड़ेगा। गत वर्ष जो पावर लूम के रेशम पर कर लगाया गया था और जो इस वर्ष लगाया जा रहा है इस से लगभग १३ आने गज वहां का रेशम महंगा हो गया है। पावर लूम हिन्दुस्तान में दो तीन जगह ही हैं जैस काश्मीर में, देहरादून में और मैसूर में। इसके अलावा शायद एक आध जगह और होंगे। काश्मीर में सरकार का एक कारखाना है और कुछ जनता के भी कारखाने हैं। सैकड़ों मजदूर उन कारखानों में काम करते हैं वह रेशम जो पावर लूम से तैयार किया जाता है वह सस्ता ही है, कोई खास मंहगा नहीं है कम से कम चार पये गज है, और उस की जो चौड़ाई होती है वह सवा गज है। जो पावर लूम से रेशम बनता है वह बहुत नरम होता है और उस के अक्सर स्कार्फ बनाये जाते हैं जो विदेशों में बहुत जाते हैं

क्योंकि वे विदेशों में बहुत प्रिय हैं और उन से हमें फारिन एक्सचेंज की आमदनी होती है। ये चीजें सिंगापूर, सीलोन, अमरीका, और यूरोप के कई देशों में ली जाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि काश्मीर के इस छोटे उद्योग को ध्यान में रखकर इस की तरफ जरा विचार करें।

आप ने कहा कि उस पर सेल्स टैक्स नहीं होगा। मैं आप का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि काश्मीर में तो सेल्स टैक्स है ही नहीं, तो फिर उस के लिये आप विचार करें, वहां का जो रेशम उद्योग है उस को आप के इस कर से बड़ा धक्का लगेगा। इस पर विचार करने की जरूरत है।

आप ने एक लूम पर खुजा टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। मेरे ख्याल में शायद ढाई सौ गज एक महीने में एक लूम पर कपड़ा बनता हो। लेकिन काश्मीर में तो इतना भी नहीं बनता होगा क्योंकि वहां सर्दियों में बहुत थोड़ा काम होता है। इस पर विचार करना चाहिये। अगर वहां के लूम पर महीने का कर लगाया गया तो उन को कठिनाई होगी। मेरी प्रार्थना है कि जो वहां का सरकारी कारखाना है उस से आप आंकड़े ले सकते हैं कि एक मजदूर एक महीने में कितना बना सकता है। उस से आप को पूरा पता लग जायेगा।

दूसरे मैं आप का ध्यान ऊनी धागे की पाटन की तरफ दिलाना चाहती हूं जिस पर कि टैक्स लगाया गया है। अब इस ऊन पर टैक्स लगने का असर सीधे हमारे जम्मू और काश्मीर पर पड़ा है। जहां कि इस वूल इन्डस्ट्री में हमारे बहुत से लोग मजदूरी कमा रहे हैं और अपना पालन पोषण कर रहे हैं। कालीन उनके उद्योग में हमारे प्रदेश में छोटे छोटे बच्चे दस दस और बारह बारह साल के बच्चे लगे हुए हैं उन को कालीन बुनने की शिक्षा दी जाती है और कालीन जो कि ९५ प्रतिशत बाहर निर्यात होते हैं उन पर इस टैक्स का असर काफी पड़ेगा क्योंकि काश्मीर का कालीन पहले ही बहुत मंहगा पड़ता है और वहां का बना कालीन अपने सुन्दर रूप और बुनाई के लिये सारी दुनिया में विख्यात है। लेकिन अगर वह इस टैक्स के फलस्वरूप इतना मंहगा हो गया कि उस की मांग पर असर पड़े और उस की खपत कम हो जाये तो वह सैंकड़ों मजदूर जो उसमें लगे हैं खास कर १२, १३ और १४ साल की उम्र के बच्चे उन की रोजी का क्या बनेगा। चूंकि हमारा प्रदेश गरीब है इसलिये जब वह बच्चा ही होता है तो उस को कालीन बनाने की शिक्षा दी जाती है और जो बचपन से ही इस कालीन बनाने के धंधे में लगे वह एक बहुत कुशल का ीगर होते हैं, और उन पर इस का बहुत प्रतिकूल असर पड़ेगा।

तीसरी चीज काश्मीर के शाल के बारे में है। वहां के बने शालों की सारी दुनिया में मशहूरी है। अब शाल दो किस्म के होते हैं एक पशमीने पर और दूसरा रफल। अब रफल के शाल पर भी यह कर लगेगा ऊनी धागे के कारण। इस समय रफल के शाल की कीमत १५ रुपये से ले कर १०० रुपये तक है और इस का बाहर के मुल्कों को बहुत निर्यात किया जाता है और अगर इस पर कर लगाया गया तो यह हलकी फुल्की चीज भी बहुत मंहगी होने वाली है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाते हुए कहना चाहूंगी कि हमारे उस ठंडे प्रदेश में जो यह ग ीबों के लिये एक सस्ती चीज थी उस को उन की पहुंच के बाहर न होने दें और इस दिशा में आवश्यक सुधार कर दें।

मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगी कि देश में ऐसी चीज़े हैं जिन चीजों पर कि कर लगाया जा सकता है। अब विलासता सम्बन्धी चीजों पर कर लगाना चाहिए चाहे वह सोने के रूप में हो या चांदी के रूप में। अब सोना, चांदी कोई चल सम्पत्ति नहीं है, एक जगह पर टिकी रहती है। करोड़ों रुपया आज भी इस सोने, चांदी के रूप में रुका हुआ है? क्या उन पर हम कर नहीं लगा सकते? मुझे इस बात का दुःख है कि हमारा ध्यान छोटी छोटी चीजों की ओर जाता है और जिन पर कि कर लगाने के परिणामस्वरूप गरीब मजदू ों या गांवों की जनता पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

[श्रीमती कृष्ण मेहता]

अब यह नशीली वस्तुएं तम्बाकू, बीड़ी, सिग्रेट या मद्यपान इनका सेवन एक बुरी चीज है। मैं अमीर आदमियों का जिक्र नहीं करती बल्कि मैं उस मजदूर वर्ग का जिक्र करती हूं जो कि इस धंधे में फंस जाता है। उनकी बहुत थोड़ी ही आमदनी होती है लेकिन वह इन नशीली चीजों पर अपना १०, २० रुपया प्रति माह बिगाड़ ही लेते हैं और जब उनकी और उनके परिवार की दुर्दशा होती है और वह रोते रहते हैं और दूसरों के सामने झोली पसारते हैं कि हमारा गुजर नहीं चलता है तो मुझे उन पर तरस नहीं आता है क्योंकि वे अपना रुपया उन बुरी आदतों पर खर्च करते हैं और वे खुद ही अपनी तबाही के लिए जिम्मेदार होते हैं।

श्रीमन्, हमारा जम्मू व काश्मीर प्रदेश उद्योगों के सम्बन्ध में अन्य रियासतों से पिछड़ा हुआ है। मैं मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से उस ओर दिलाना चाहती हूं। अभी तक वहां कोई भी इतना बड़ा उद्योग नहीं है जहां कि वहां के लोग काम करके अपनी जिंदगी बसर कर सकें। आज भी वहां के सैंकड़ों और हजारों मजदूर यहां इतनी दूर आकर के गरमी में मजदूरी पेशा करते हैं और जो कुछ कमाते हैं वहां जाकर खर्च कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वहां की सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ किया हैं मगर जब तक कि केन्द्रीय सरकार का हाथ न हो और कोई नये कारखाने खोलने का इंतजाम न हो तब तक वहां का मजदूर वर्ग ऊपर नहीं उठ सकता।

हमारे काश्मीर की आबहवा घड़ियों के निर्माण के लिए स्विटजरलैंड की तरह अनकूल है। क्या वहां पर घड़ियों का एक कारखाना नहीं लगाया जा सकता? वहां पर अनमोल घड़ियां हम बना सकते मगर मझे अफसोस है कि इस दिशा में कोई आवश्यक कदम अभी तक नहीं उठाया गया है।

इस के अलावा हमारे प्रदेश में जड़ी बूटियां भी काफी पाई जाती हैं। रूस से आये कुछ विशेषज्ञों ने प्रदेश का दौरा करने के बाद अपनी यह राय प्रकट की थी कि काश्मीर में काफी मात्रा में जड़ी बुटियां होती हैं। यद्यपि वहां की सरकार ने एक फार्म बनाया है जहां पर कि उन्होंने बहुत सी जड़ी बूटियों के बारे में एक्सपेरीमेंट किया वह तो सब ठीक है लेकिन जैसा कि रूसी विशेषज्ञों ने कहा था कि इस काम को आगे बढ़ाया जाये और बड़े पैमाने पर शुरू किया जाये वह नहीं किया गया।

जम्मू तथा काश्मीर प्रदेश में रेलों की सुविधा देने और बढ़ाने के बारे में मैं हमेशा कहती रहती हूं लेकिन उसकी ओर अभी तक सरकार का ध्यान नहीं गया है। हमें पाकिस्तान और चीन के खतरे को देखते हुए और सुरक्षा की दृष्टि से अपने को तैयार करना है और दूसरे इंतजामात करने हैं लेकिन रेल वहां आज नहीं है। हमें स्वतंत्र हुए करीब १४ साल हो गये लेकिन वहां पर अभी तक रेलों की व्यवस्था नहीं हो पायी है। अक्सर माननीय सदस्य मेरे से मजाक में कह देते हैं कि आप हमेशा रेल के लिए क्यों कहती रहती हैं तो मेरा उनको कहना यह है कि चूंकि रेल के बिना वहां की जनता को तक्लीफ है और कष्ट है और उनका प्रतिनिधित्व करने के नाते उनकी आवाज मेरे दिल में आती है और मैं मजबूर हो जाती हूं कि उनकी इस लौंग स्टैंडिंग डिमांड को मैं जब भी मौका मिले आपके सामने लाऊं। आपको मेरे प्रदेश में शीघ्र से शीघ्र रेलों की व्यवस्था कर देनी चाहिए। रेलें वहां पर स्थापित होने से हम बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर ले जायेंगे और वहां नये नये उद्योग खोलेंगे और जाहिर है कि उससे वहां की जनता को फायदा पहुंचेगा।

सन् १९६१-६२ के बजट को गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने से एक अति सुन्दर चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाता है कि हमारा भारतवर्ष चारों ओर कैसी उन्नति कर रहा है। कुछ भाइयों ने कहा है कि गांवों में कोई सुधार और विकास कार्य नहीं हुआ तो में उसको नहीं मान

सकती क्योंकि यह हकीकत है कि गांवों में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है और उन्नति हुई है अब यह बात दूसरी है कि जितना सुधार होना चाहिए था उतना सुधार अभी न हो पाया है । अब एकदम ४० करोड़ जनता को ऊपर उठाना बहुत मुश्किल है और उसमें समय लगेगा । अब गांव वालों की जितनी जरूरत थी वह एकदम से तो पूरी नहीं हो सकती और उनकी उन्नति के लिए जो कार्य हुआ है वह यह तो हो सकता है कि अपर्याप्त हुआ हो लेकिन कोई भी शख्स अपने दिल पर हाथ रख कर यह नहीं कह सकता कि गांवों में कोई सुधार कार्य नहीं हुआ । इसमें कोई शक नहीं है कि गांवों में प्राइमरी स्कूल और औषधालय खुले हैं, सिंचाई की व्यवस्था की गई है, नहरों और नलकूपों की व्यवस्था की गई है । जंगली रास्तों में सड़क बनी है । यह सब चीज़ें वहां पर हुई हैं और उन में हम आगे बढ़ रहे हैं । अपनी विकास योजनाओं द्वारा गांवों में उन्नति के काम हो रहे हैं ।

खादी और ग्रामोद्योग का जहां तक सम्बन्ध है उसमें साफ दिखाई है कि आज उसमें कितनी तरक्की हो रही है । इस वक्त लगभग १५, १६ लाख आदमी उसमें काम करते हैं और जो कि सब गांवों के रहने वाले हैं । जो उन्होंने कर्मचारी रक्खे वह भी ग्रामीण लोग हैं और कातनियां भी गांव की हैं । आज हम करोड़ों रुपया उस पर खर्च कर रहे हैं और निश्चित रूप से गांव वालों को उसका लाभ मिल रहा है ।

अम्बर चर्खे में जैसा कि आज से दो, तीन वर्ष पहले था उसमें अब सुधार हुआ है । अभी कुछ महीने पहले जब मैं जयपुर में खादी कान्फ्रेंस में गई थी तो मैं ने अम्बर चर्खे में काफी सुधार पाया था और मुझे विश्वास और पूरी आशा है कि उसमें अभी और अधिक सुधार होगा और आगे चल कर गांवों को इतना फायदा होगा जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक बात का मुझे हर वक्त भय रहता है और वह यह कि जब हमारी खादी की पैदावार इतनी बढ़ जायेगी तो उसको हम कहां छोड़ेंगे क्योंकि आज हम देखते हैं कि खादी बहुत प्रिय हो गई है, देश विदेश के लोग उसको लेते हैं लेकिन जब हमारे देश में बहुत अधिक खादी बनने लगेगी तो उसकी खपत की क्या व्यवस्था होगी । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करती हूं कि खादी के लिए हाट की व्यवस्था करने के हेतु वे आवश्यक कदम उठायें और इस बात का प्रबन्ध करें कि जितनी भी खादी पैदा हो वह हमारी खप जाय और पड़ी न रह जाय । क्यों नहीं हमारी सरकार तमाम सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों के वास्ते देश भर में खादी पहनने का नियम बनाती ? सरकार को इसको देखना चाहिए कि जो हमारे गरीब मजदूर और कातनियों द्वारा कपड़ा बनाया जाए वह कपड़ा हमारे यहां इस्तेमाल हो । इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए । जो मुझे समय दिया गया उसके लिए धन्यवाद ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** (करीमनगर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : सरकार ने देश की कोई ऐसी वस्तु नहीं छोड़ी जिस पर कर नहीं लगाया गया । देश के हित को दृष्टि में रखते हुए लोगों ने कर देने से इंकार भी नहीं किया । परन्तु जब सदन में फजूलखर्ची की बातें सुनते हैं तो अपार कष्ट होता है । मेरा निवेदन है कि सरकार द्वारा किसी प्रकार की फिजूलखर्ची नहीं की जानी चाहिये । साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि गैर-सरकारी क्षेत्र के कार्य की प्रशस्ति करते समय सरकार को श्रमजीवी वर्गों के अंशदान को कम महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिये । श्रमिकों को प्रोत्साहन देना भी तो बड़ा जरूरी है । यह बड़ी दुःख की बात है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के कई उद्योग अपने श्रमिकों के कल्याण की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं । सरकार को इस विषय की ओर ध्यान देकर आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मं० रं० कृष्णा]

देश के विकास के लिये यह आवश्यक है कि पिछड़े क्षेत्रों का समुचित विकास किया जाय। हम विदेशों से कर्जा भी ले रहे हैं और कर भी लगा रहे हैं, अतः पिछड़े क्षेत्रों को उपेक्षित नहीं रहना चाहिये। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख नीय है कि आन्ध्र में औद्योगिक विकास रुक गया है। वहां न तो वर्तमान उद्योगों का विकास हो रहा है और न ही नये उद्योग ही स्थापित किये जा रहे हैं। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का कोई आधार निर्धारित किया जाना चाहिये वहां बेकारों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि कुटीर उद्योगों की स्थापना में भी अर्ध विकसित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अच्छे, अनुभवी और योग्य लोगो के कार्य और ज्ञाद का उचित लाभ नहीं उठाया जा रहा है। सरकार को कोई योजना बनानी चाहिये ताकि सेना से निवृत्त लोगों के अनुभवो और योग्यता से लाभ उठाया जा सके। ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिये।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा मन्त्री द्वारा यह बताया जाना चाहिये कि सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति के लिए क्या व्यवस्था की गयी है। इस धारणा को दूर करना आवश्यक है कि हमारी सेना के अधिकारी सन्तुष्ट नहीं है। भारतीय सेना के सभी अंगों ने आशातीत प्रगति की है और अमेरिका जसे उन्नति शील देश ने भी इसकी प्रशंसा की है।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद): पदारूढ़ दल जो कि सरकार चला रहा है देश के समक्ष एक योजना प्रस्तुत कर रहा है। वह है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी योजना के आकार को देखते हुए वित्त मन्त्री द्वारा कराधान के ये प्रस्ताव लाये जाना नितान्त स्वाभाविक ही है। योजना के अन्तर्गत ही यह कहा गया है कि कराधान को ८.५ प्रतिशत से बढ़ा कर ११ प्रतिशत कर दिया जाय। आने वाले चुनाव भी हम इसी योजना के आधार पर ही लड़ रहे हैं। इस लक्ष्य को समक्ष रखते हुए जिस प्रकार के साहसी वित्त मन्त्री की अपेक्षा थी हमारे वित्त मन्त्री ठीक वसे ही सिद्ध हुए हैं। उन्होंने वही कार्य कर दिखाया है जिसकी समयानुसार आवश्यकता थी।

अब मैं श्री सोमानी की बात की ओर आता हूं। यह सच है कि भारत में बड़ी बड़ी औद्योगिक और व्यापारिक संस्थाओं की संख्या अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है, किन्तु हमारे यहां एक आम व्यक्ति और ऐसी संस्थाओं को चलाने वाले लोगों के बीच काफी अन्तर है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।)

हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जब बैंकिंग और वित्तीय हितों का उद्योगों पर नियन्त्रण हो जाता है तो स्थिति ठीक नहीं रहती। अनः मेरा निवेदन है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि आर्थिक और बैंकिंग के सटटे इत्यादि को औद्योगिक विकाससे अधिक महत्व न दिया जाय। क्योंकि हमारे उद्योगों पर काफी समय से सटटेबाजों का नियन्त्रण रहा है। यह राष्ट्र हित की बात नहीं है।

हमारी कराधान की नीति काफी ठोस है। यद्यपि गरीब लोगों ने इसको कुछ महसूस किया है तथापि यह तथ्य है कि योजना को चलाने के लिए ६० करोड़ की आवश्यकता है। इस दिशा में मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि खुदरा और थोक का व्यापार सरकार को सहयोग नहीं दे रहा है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये कि ये लोग मुनाफाखोरी जसे राष्ट्र विरोधी कार्य न करने लगे। ऐसे कार्यों को रोकने के लिये दण्ड आदि दिया जाना चाहिये। क्या हम निवारक निरोध अधिनियम को इस दिशा में प्रयोग नहीं कर सकते। मेरा मत है कि यदि आवश्यक हो तो उसमें अपेक्षित संशोधन करके इस मामले में उसका प्रयोग होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी सहायता के सम्बन्ध में मेरी धारणा यह है कि इस सहायता और सहयोग का हमेशा स्वागत किया जाना चाहिये परन्तु निवेदन है कि यदि हमारे पास किसी कार्य विशेष के लिये अपेक्षित अनुभव और योग्यता हो, और साथ ही इस उद्देश्य के लिये सरकारी संसाधन जुटाये जा सकें तो हमें विदेशी सहायता के स्थान पर ऋण ही लेना चाहिये। साथ ही मैं चीनी मिटटी से तैयार की जाने वाली वस्तुओं पर जो शुल्क लगाया गया है उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये। उसका कुटीर उद्योग पर विशेष कर खुर्जा के चीनी मिटटी के उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : तीन दिन से जो वाद-विवाद हो रहा है उसे मैंने ध्यान-पूर्वक सुना है। देश के सामने जो बुनियादी आर्थिक समस्याय हैं उनके बारे में जो कुछ कहा गया है उससे मैं काफी प्रभावित हुआ हूं।

श्री डांगे ने अपने सामान्य ढंग से और अपने सामान्य ढंग से एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया मानो देश का झुकाव निहित हितों की ओर ही हो रहा हो। सामान्य रीति से उन्होंने अति-शयोक्ति का आश्रय लिया। जब उन्होंने मूल्यों की वृद्धि के बारे में तर्क प्रस्तुत किये ऐसा लगता था कि वे निस्सार बातें कह रहे हैं। वित्त मन्त्री की धारणा से कि विकासोन्मुख राष्ट्र में मूल्य थोड़े बहुत बढ़ते ही हैं, उन्होंने कहा कि एकाधिपत्यों से परिपूर्ण पूंजीवादी समाज में ही ऐसा सम्भव है। उनके अनुसार समाजवादी प्रणाली में मूल्य वृद्धि नहीं होती। इसके पश्चात श्री अशोक मेहता ने भाषण दिया; उनका भाषण इस सभा में बड़े आदर से सुना जाता है क्योंकि वे व्यापक अध्ययन करके सारी स्थिति की व्याख्या करते हैं। उन्होंने इस बात का निराकरण किया। श्री अ० प्र० जन ने अपने अनुभव से बताया कि रूस में दैनिक प्रयोग की चीजें कितनी महंगी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि श्री डांगे के तर्कों के अनुसार रूस या चीन में भी समाजवाद नहीं है। यदि इसी तर्क के आधार पर इंग्लेंण्ड की स्थिति को आंका जाय तो कहना न होगा कि आज से १०० वर्ष पहले वहां पैदावार अधिक हो जाने के कारण, चीजों के दाम सस्ते हो गये थे, इस कारण वहां समाजवाद ही समझना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का तर्क स्वस्थ तर्क नहीं हो सकता।

इसके पश्चात एक नये दल के प्रतिनिधि बोले। उनका भाषण सुन कर मुझे उन वक्तव्यों की याद आ गयी जो उन्नीसवीं शताब्दी में हाउस आफ कामन्स में व्याख्यान दिया करते थे जो भी सामाजिक प्रगति की चीज सभा के सामने हुआ करती थी वे उसी का विरोध करते थे चाहे वह चीज उद्योगों की प्रगति से सम्बन्धित हो या फिर काम का समय कम करने के बारे में हो। वह यही कहा करते कि इस तरह से देश बर्बाद हो जायगा और इसकी रक्षा तभी हो सकती है जब आर्थिक क्रियाकलाप स्वतन्त्र रूप से चलने दिया जाय। उन्होंने भी यही चित्र हमारे सामने रखा है और जो कुछ पिछले दस सालों में हमने किया है उसका विरोध किया है। उनका कहना है कि इस तरह से देश को आगे नहीं ले जाया जा सकता। वह चाहते हैं कि यथास्थिति बनी रहे। उन्नीसवीं शताब्दी के इंग्लण्ड के डयूकों तथा सामन्तों की भाति उन्हें भी सरकारी गतिविधि हानिकारक प्रतीत होती है।

कुछ सदस्यों ने व्यय की वृद्धि की आलोचना की विशेषकर विकास से भिन्न व्यय की। किन्तु हमें स्थिति को समझना चाहिये। प्रशासनिक सेवाओं के व्यय में वृद्धि हुई है। यह सत्य है। मेरे पास पिछले दस साल के आंकड़े मौजूद हैं।

पिछले वर्षों में प्रशासनिक व्यय में २१.३ करोड़ रुपये से ५२.०४ करोड़ रुपया तक की वृद्धि हुई है। ३१ करोड़ रु० की यह वृद्धि आदिम जाति क्षेत्रों, सामान्य प्रशासन तथा पुलिस के कारण है। आदिम जाति क्षेत्रों के व्यय में सामाजिक तथा पिछड़े वर्गों से सम्बद्ध अन्य व्यय भी शामिल हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री व० रा० भगत]

इन क्षेत्रों के विकास पर भी व्यय किया गया है। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में प्रशासन को भी दृढ़ बनाया गया है। सामान्य प्रशासन पर जो व्यय हुआ है, उसमें सचिवालय संसद तथा संघोय क्षेत्रों का बढ़ा हुआ व्यय शामिल है। यह सारा खर्च कर्मचारियों की वृद्धि के कारण नहीं हुआ यद्यपि योजनाओं की आवश्यकताओं के कारण सरकार का काम बहुत बढ़ा है। ऐसी हालत में कहीं कहीं सरकारी कर्मचारियों की वृद्धि अपरिहार्य है। कुछ वृद्धि इस कारण भी हुई है कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया है। पुलिस के व्यय में इस कारण वृद्धि हुई है ताकि राज्य अपनी सीमाओ पर पुलिस को और दृढ़ रूप में रख सकें। विदेशों में भारतीय शिष्टमण्डलों पर भी काफी व्यय हुआ है और तिब्बती विस्थापितों पर व्यय हुआ है। लेखों के परीक्षण आदि के कारण, लेखा परीक्षा का महत्व भी काफी बढ़ा है और उस पर भी व्यय की वृद्धि हुई है।

इससे ज्ञात हो जायेगा कि जो भी वृद्धि हुई है वह अत्यधिक नही और दूसरे काम में भी तो बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। यह कहना कि खर्च अनुमानतः ज्यादा बढ़ा है गलत है। इस वृद्धि को बता कर यह कहा जाता है कि यह कराधान की नीति गलत है क्योंकि इन करों से प्राप्त रकमों को विकास से भिन्न मदों पर खर्च किया जाता है। किन्तु यह चीज गलत है।

हम ने बजट के पुनर्वर्गीकरण की व्यवस्था की है। इस टेक्नीकल पुस्तिका को पढ़ने से ज्ञात हो जायगा कि अतिरिक्त करों से प्राप्त बहुत ही कम रकम विकासेतर मदों पर खर्च की जाती है। दूसरी आयोजना के दौरान केन्द्र तथा राज्यों ने क ों से १०४० करोड़ रुपया प्राप्त किया जिस में से ९६० करोड़ रुपया विकास के कामों पर लगाया गया। इस के अतिरिक्त और भी रुपया विकास कार्यों पर लगाया गया। इसलिये यह कहना गलत है कि ज्यादा रुपया विकाससेतर मदों पर खर्चा गया। योजना से भिन्न व्यय भी बढ़ा क्योंकि योजना बनाते समय उन चीजों का पता ही न था जो बाद में पदा हुई। उदाहरणार्थ प्रतिरक्षा संबंधी जरूरत ही बढ़ गई; १५५ करोड़ अधिक की आवश्यकता उधार पड़ी। 'यह व्यय अनावश्यक न था। हमें पहले इस का अनुमान तक न था। इसी प्रकार उ ार रुपये के व्याज की वापसी भी करनी थी। दूसरी योजना में सार्वजनिक ऋणों की मात्रा प्रत्याशित से अधिक बढ़ गई। ब्याज आदि की रकम ही लगभग ५० क ोड़ पये हो गई। राज्यों को ही ८० करोड़ से अधिक के संविहित अनुदान देने पड़े। छोटे कर्मकारियों के वेतन बढ़ाने के लिये ही उन्हें ५० करोड़ पये के अनुदान देने पड़े और प्राकृतिक संकटों की क्षतिपूर्ति के लिये ही राज्यों को २० करोड़ रुपया देना पड़ा। यह व्यय आवश्यक था। परन्तु इस का यह मतलब नहीं कि मैं यह कहता हूं कि असैनिक प्रशासन संबंधी व्यय पर रोक लगाने की आवश्यकता नहीं। हमारे वित्त मंत्री स्वयं इस बारे में बड़े सख्त हैं। वह नाजायज खर्च कभी बर्दाश्त ही नहीं करते। ऐसे व्यय की वृद्धि की रोकथाम के लिये हम ने अनेक प्रकार के संस्थानगत प्रबंध कर रखे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इस प्रकार का व्यय सामान्यतः बढ़ जाया करता है। सब से ऊपर बचत बोर्ड है। प्रत्येक मंत्रालय में बचत समितियां हैं। फिर केबिनेट के अधीन संगठन तथा प्रणाली विभाजन है। इस के बाद परियोजनाओं सम्बन्धी समिति है और फिर सचिवालय पुनर्गठन एकक भी है। इन सब के काम की रिपोर्टें समय समय पर सभा के आगे रखी जाती हैं। इस के अलावा भी सरकार सदा बचत के अन्य उपाय भी काम में लाती रहती है।

अतः सभा को इन सब बातों पर विचार करना चाहिये। माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत तसवीर गलत थी। तथ्य यह है कि विकास कार्य के बढ़ जाने से खर्च बढ़ा है और वह भी उसी के अनुपात से ही बढ़ा है।

श्री जैन ने शुल्कों की बात कही । उन्हों ने कहा कि हम जब उत्पादन शुल्क लगाते हैं तब कुछ मामलों में प्रतिसंतुलक सीमा शुल्क में भी फेरबदल करते हैं । इसी प्रकार उन्होंने सुझाव दिया कि जब हम कुछ चीजों पर सीमा शल्क लगायें तो मशीनरी आदि पर उत्पादन शुल्क भी लगा देना चाहिये । सैद्धान्तिक रूप से दोनों चीज एक समान नहीं हैं । उत्पादन शुल्क लगाते समय, सीमा शुल्क हम इस कारण कम करते हैं कि चीजों का मुल्य अत्यधिक न बढ़ जाय । परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता कि हम उत्पादन शुल्क के क्षेत्र में भी ऐसा ही करें । जहां तक मशीनों के निर्माण का सम्बन्ध है, उस बारे में हमें देश की वास्तविक स्थिति का अवलोकन करना चाहिये । यदि हम सीमा शुल्क लगा देंगे तो देश के लोग भीतर ही अधिक मशीन बनाने के लिये प्रयासशील होंगे । जहां तक देश में बनने वाली मशीनों की किस्मों का सम्बन्ध है, निर्माताओं द्वारा अतिरिक्त लाभोपार्जन का प्रश्न तभी आ सकता है जबकि देश की चीज सस्ती हों और आयात की मुफत । आज ऐसी हालत ही नहीं है । बाहर से आई हुई मशीनों का निरीक्षण हम बड़ी सावधानी से करते हैं परन्तु हमारा उद्देश्य देसी निर्माताओं को बढ़ावा देना होता है । इस प्रकार हमारी नीति से देशी निर्माताओं को बढ़ावा मिलेगा और अत्यधिक लाभोपार्जन का अवसर भी किसी को प्राप्त न हो सकेगा ।

कुछ माननीय सदस्यों ने सरकारी उपक्रमों के विनियोजनों से कम लाभ की प्राप्ति का जिक्र किया । दूसरी सभा में वित्त मंत्री ने इस प्रश्न का पूरा उत्तर दिया है । यह आलोचना वास्तव में व्याख्यात्मक ज्ञापन के इस टिप्पण पर आधारित है कि १९५९-६० में .२ प्रतिशत की लाभ की प्रतिशत दर १९६१-६२ में बढ़ कर .५१ % हो जायगी । इसे कम समझा गया । परन्तु यह अनुमान वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर लगाया गया है । सभा को यह भी स्मरण रखना चाहिये कि ६०५ करोड़ रुपये के कुल विनियोजन में से ४०० करोड़ रुपया तो ऐसे ही उपक्रमों पर लगा है जो हाल ही में बने हैं और अभी पूरे भी नहीं हुए । माननीय सदस्य ने विनियोजन की रकम ७०० करोड़ रुपया बताई जिस में रेलवे और जीवन बीमा निगम में लगी रकम भी शामिल है । ३०० करोड़ रुपया तो हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड पर लगा है अभी जिस से उत्पादन पूरी तरह से शुरू होना है । इस के बाद बहुत सा रुपया हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रोनिक्स, नौवहन तथा उड्डयन निगमों तथा तेल और प्राकृतिक गैस आदि विभागों पर भी लगा है । आमदनी से ही इन सब कम्पनियों की उपयोगिता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता । जो कारखाने पूरी तरह से चालू हैं, उन की आमदनी उन्हीं में फिर से लगाई जाती है इसलिये यह नहीं समझना चाहिये कि वे सब घाटे में चल रहे हैं । इन के वास्तविक लाभ इतने कम नहीं हैं । सिंदरी उर्वरक कारखाने ने १.५९ करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त किया अर्थात् ७ प्रतिशत लाभ कोई कम नहीं है । हिन्दुस्तान एंटी बायोटिक्स लिमिटेड पिम्परी की पेंसिलिन फैक्टरी ने १९५८-५९ में ७८ लाख रुपया और १९५९-६० में ७७ लाख रुपया लाभ के रूप में प्राप्त किया । यह सारी रकम वहीं लगा दी गई । हिन्दुस्तान केबल ने भी पूंजी के ग्यारह प्रतिशत का लाभ प्राप्त किया है । भारतीय टेलीफोन उद्योगों ने १९५८-५९ तथा १९५९-६० में ६ प्रतिशत लाभार्जन किया और सरकार को केवल २॥ प्रतिशत लाभांश के रूप में दिया । किन्तु वास्तविक लाभ थोड़े नहीं हैं । यह ठीक है कि इन्हें वाणिज्यिक आधार पर चलाया जाना है और काल्पनिक समाजवादी ढंग से अधिक कुछ नहीं बन सकता ।

जहां तक तीसरी योजना का सम्बन्ध है उस के अनुसार सरकारी उपक्रमों तथा रेलवे से ५५० करोड़ रुपये का अंशदान प्राप्त किया जायगा । रेलवे को छोड़ कर उपक्रमों से ३०० करोड़ रुपया लिया जायगा जिस में से १११ करोड़ रुपया इस्पात कारखानों से प्राप्त किया जायगा ; ३३ करोड़ रुपया उर्वरक कारखाने से और २८ करोड़ रुपया डाक व तार से । यह अंशदान, लाभांश तथा मल्य ह्रास आदि की व्यवस्थाओं की व्यवस्था करने के बाद निर्धारित किया गया है ।

[श्री ब० रा० भगत]

आचार्य कृपालानी ने अनेक प्रश्न उठाये हैं। उन्होंने कृषि सम्बन्धी मजरी का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि एक सामान्य कृषि मजदूर का वेतन १९५०–५१ में १०९ नये पैसे था पर १९५६-५७ में यह घट कर ९६ नये पैसे रह गया है। अर्थात् १२ प्रतिशत की कमी हुई है। किन्तु दूसरी कृषि जांच श्रमिक समिति के परिणामों की तुलना पहली समिति के परिणामों से नहीं की जा सकती। क्योंकि मूल्यांकन की प्रणाली दोनों की अलग अलग थी। दूसरी समिति की रिपोर्ट में जो कमी दिखाई गई है उस का कारण यह है कि पहली समिति ने श्रमिकों के जिन्सी पारिश्रमिक को परचून के मूल्यों के आधार पर गिना था और दूसरी समिति ने थोक के मूल्यों का हिसाब लगाया है। इस कारण इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वेतन कम हुए हैं।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : जब जांच की प्रणालियों में ही अंतर हो तो ऐसे तुलनात्मक निष्कर्षों पर वाद-विवाद से क्या लाभ होगा। इतना रुपया खर्च किया जाता है तो फिर क्यों एकरूपता से काम नहीं लिया जाता।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं किन्तु कई बार हमारे सांख्यकी विशेषज्ञ नये तरीकों को काम में लाते हैं। परन्तु भविष्य में जांचें इसी रीति से की जायेंगी कि सांख्यकी की पारिवारिक तुलना संभव होगी।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि यदि कर वसूल करने की व्यवस्था कड़ी कर दी जाये तो अतिरिक्त कर लगाने की जरूरत न रह जायगी। माननीय मंत्री ने बताया है कि कराधान करना आर्थिक नीति का साधन है। निस्संदेह लोगों को कर की रकम ईमानदारी से अदा करनी चाहिये और सरकार को भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। परन्तु यह समझना गलत है कि कर वसूल करने की व्यवस्था में सुधार मात्र करने से ही सारी समस्यायें हल हो जायेंगी। कराधान के और उद्देश्य भी तो होते हैं। वित्त मंत्री ने बताया है कि विकासोन्मुख राष्ट्र में उपभोग को संयत्त करना पड़ता है और हमें रुपया ऐसी चीजों पर लगाना पड़ता है जहां उसका उचित्त लाभ हो। इस समय की अर्थ-व्यवस्था में कराधान का महत्व और ही है। केवल राजस्व प्राप्ति के लिये ही कर लगाये जाते हों ऐसी बात नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि हम आवश्यक चीजों और विलास की चीजों में भी किसी प्रकार का अंतर नहीं करते। मैं यह सिद्ध कर सकता हूं कि हम देश में विलास वस्तुओं की पैदावार नहीं कर रहे और न ही उन्हीं के कर से हमारा काम चल सकता है। किन्तु हम कर जाल को इतना फैला रहे हैं कि किसी पर भी ज्यादा भार न पड़े। हमारे प्रयास जारी रहेंगे। यद्यपि हम कर लगाते ही रहेंगे परन्तु इनका भार ज्यादा न होगा।

श्री अशोक मेहता ने कहा कि हमारी अधिकांश पूंजी की व्यवस्था या तो विदेशी ऋणों से हो रही है या फिर देश के ऋणों के आधार पर ही हमारा काम चल रहा है। किन्तु यह चीज स्पष्ट नहीं कि इस से मूल्यों में वृद्धि कैसे होगी? केन्द्र ने घाटे की बजट व्यवस्था पर प्रभावपूर्ण ढंग से काबू पाया है; १९५७–५८ में ४७५ करोड़ रुपये के घाटे की बजट व्यवस्था की गयी थी—पर १९५८–५९ में १४९ करोड़ रुपये की ही ऐसी व्यवस्था की गयी है।

†**श्री अशोक मेहता** : मुझे खुशी है कि आप इस चीज पर बोल रहे हैं परन्तु मैंने ऐसी बात नहीं कही।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० रा० भगत : उसके बाद उन्होंने केन्द्रीय सरकार द्वारा की गयी अदायगी के अंतरण का जिक्र किया । यह ठीक है कि अंतरण संबंधी आदायगियां १९६१-६२ के लिये ५४५ करोड़ रुपये की हैं जबकि अंतिम व्यय ९३५ करोड़ रुपये का था। ५४५ करोड़ रुपये में से २३ प्रतिशत रकम अर्थात ११७ करोड़ रुपया अनुदानों, सहायताओं, छात्रवृत्तियों तथा मुआवजों आदि के रूप में चला जाता है । इस से सार्वजनिक संसाधन दृढ़ होते हैं । "उपभोग व्यय" का काफी बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर खर्च हो जाता है जिस से गरीबों ही को लाभ पहुंचता है ।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम ने मौजूदा नीतियों को न अपनाया होता तो हमें और ज्यादा घाटे की बजट व्यवस्था करनी पड़ती । अब तो यह धीरे धीरे कम होती जा रही है । १९५९–६० में केवल ९९ करोड़ रुपये की घाटे की बजट व्यवस्था की गयी थी और १९६०–६१ में केवल ३४ करोड़ रुपये ही की गयी हैं । हरेक आदमी जानता है कि यदि घाटे की अर्थ-व्यवस्था ज्यादा होती तो उसके सामाजिक परिणाम क्या निकलते ।

अब पूरी अर्थ-व्यवस्था का प्रश्न लीजिये । आचार्य कृपलानी ने उसे बड़ा निराशाजनक बताया है। मैं उनसे उम्र में छोटा हूं, और शायद इसीलिये अधिक आशावादी हूं । श्री अशोक मेहता ने हमारी अर्थ-व्यवस्था का ज्यादा सही चित्रण किया है—कि हमें समय की, परिस्थितियों की चुनौती स्वीकार करनी है ।

आचार्य कृपलानी को मानवीय सम्बन्धों, कार्यक्षमता, अनुशासन और नतिक मूल्यों—सभी का ह्रास दिखाई देता है । लेकिन स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं है । १९५१ से १९६१ तक राष्ट्रीय आय ४० प्रतिशत, प्रति व्यक्ति आय २० प्रतिशत और प्रति व्यक्ति उपभोग १६ प्रतिशत होगया है । कृषीय उत्पादन का देशनांक ९६ से बढ़कर १३५ हो गया है । खाद्यान्नों का उत्पादन ५२० लाख टन से ७५० लाख टन हो गया है। अब कृषीय उत्पादन के लिये दृढ़ आधार बन चुका है। औद्योगिक क्षेत्र में भी हमारा उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। यह सभी बताता है कि तृतीय योजना काल में हमारा विकास कितनी तेजी से होगा । सिंचाई का कुल क्षेत्र ५१० लाख से एकड़ से बढ़कर ७०० लाख एकड़ हो गया है । नाइट्रोजनीय उर्वरकों की खपत ५५,००० टन से बढ़कर ३६०,००० टन हो गई है । औद्योगिक क्षेत्र में जो उत्पादन १९५१ में १०० था, वह १९६० में १७० हो गया है। इस्पात का उत्पादन १३ लाख टन से ४५ लाख टन हो गया है। इस प्रकार सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है । हम आगे ही बढ़े हैं हर क्षेत्र में और अब तृतीय योजना को प्रारम्भ करने के लिये पूर्णतः तैयार हैं ।

†आचार्य कृपालानी : और मूल्यों का क्या हुआ है ?

†श्री बी० रा० भगत : संसार के अन्य देशों की तुलना में हमारे यहां उतनी मूल्य-वृद्धि भी नहीं हुई है। हमारे यहां मूल्यों की वृद्धि अर्थ-व्यवस्था की प्रगति के अनुरूप, उसी अनुपात में हुई है । हमें निराशावादी नहीं बनना चाहिये। हमें समय और परिस्थितियों की चुनौती स्वीकार करनी चाहिये । इतनी भारी सफलता प्राप्त करने के बाद हम पीछे कैसे हट सकते हैं ? देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से तृतीय योजना के पांच वर्ष का काल बड़ा नाजुक है। इसी काल की सफलता पर सारा दारोमदार है। अब हम आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था के निर्माण की ओर अग्रसर हो रहे हैं और अन्त में हम जन-उपभोग की अर्थ व्यवस्था का उद्देश्य पूरा करने में समर्थ होंगे । हमें अभी काफी चलना है। इस लिये हमें आज निराशा की नहीं, आशावादिता, दृढ़ता और अडिग निश्चय की आवश्यकता है। मुझे यही कहना था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†श्री सम्पत (नामक्कल) : बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे माननीय वित्त उपमंत्री के बाद बोलने का अवसर मिल रहा है । उन्होंने विरोधी दल के सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया है, शायद इसलिये कि विरोधी दल के सदस्यों ने सरकार के ऐसे हर गलत प्रस्ताव का समर्थन किया है ।

यह आय-व्ययक जन-विरोधी है । इसका उद्देश्य आम जनता और मध्यवर्गीय जनता का और अधिक शोषण करना है । लोगों का ख्याल था कि सरकार आगामी चुनावों के कारण जनता पर और अधिक करों का बोझ नहीं डालेगी इस से कांग्रेस के बारे में जमने वाले समाज वाद के भ्रम की धज्जियां उड़ जाती हैं ।

सरकार ने आम जनता पर करों का बोझ बढ़ा दिया है । इससे निश्चय ही मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होगी । वित्त मंत्री चाहते हैं कि आम जनता त्याग और बलिदान करे । प्रश्न यह है कि किसके लिये ? दो योजनाओं के काल में राष्ट्रीय आय ४२ प्रतिशत बढ़ी है, लेकिन उसका लाभ किसे हुआ ? जितनी भी समृद्धि की बातें की जाती हैं, वह केवल आंकड़ों में दिखाई पड़ती है ।

अखबारी कागज पर शुल्क लगा दिया गया है, इससे उन छोटे अखबारों को ही हानि होगी जिनको ज्यादा विज्ञापन नहीं मिलते ।

सुपारी पर अतिरिक्त कर लगा दिया गया है । नतीजा यह होगा कि जो सुपारी तामिलनाद में पहले एक पैसे में मिलती थी, अब एक आने में मिलेगी ।

सिगार-निर्माण पर जो नया कर लगाया गया है, उस से अच्छा तो यही रहेगा कि सिगार पर कर न लगाने की सीमा २५ रुपये तक कर दी जाये । तामिलनाद की सिगार निर्माण संस्था का यही सुझाव है ।

श्री हेडा ने बताया है कि मिट्टी के तेल पर नया कर लगने से घटिया और बढ़िया दोनों प्रकार के मिट्टी के तेल का मूल्य बढ़ गया है । वित्त मंत्री कहते हैं कि गांवों में घटिया किस्म का तेल ही प्रयुक्त होता है । यह गलत है, भारत के सात राज्यों को सिर्फ बढ़िया किस्म का तेल मिलता है । तेल मंहगा हो जाने के कारण, अब मध्य वर्ग के लोग कोयला और लकड़ी का उपयोग करने लगे हैं ।

डीजल तेल पर शुल्क लगने से मोटर परिवहन उद्योग पर काफी बोझ बढ़ जायेगा ।

बेतार के तार के सैटों पर ३०० रुपये तक कर नहीं लगाना चाहिये ।

शक्ति-चालित करघों पर शुल्क बढ़ाने से छोटे कारखानेदारों को बड़ी मुश्किल हो जायेगी । नये प्रस्तावों के अनुसार, दो पाली काम करने वाले चार करघों के कारखानों को प्रति वर्ष ३,०७२ रुपये देने पड़ेंगे । जो बहुत ज्यादा हैं ।

आश्चर्य की बात है कि काफी और चाय पर भी कर बढ़ाया गया है । उसके लिये वित्त मंत्री ने बड़ी गलत दलील दी है । उनका कहना है कि चाय और काफी की आन्तरिक खपत कम करने और निर्यात में वृद्धि करने के लिये नये कर लगाये गये हैं । बात गलत है, क्योंकि संसार में इन दोनों का उत्पादन काफी बढ़ गया है ।

हमारे देश में १९५० में २२,००० टन और १९६० में ४७,००० टन काफी हुई थी । इस साल वह ६०,००० टन हो जायेगी । लेकिन काफी का निर्यात केवल २,४०० टन हुआ । फरवरी १९६१ में २,४७६ टन काफी का निर्यात हुआ था । निर्यात के लिये काफी की कभी कमी नहीं पड़ी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसलिये यदि काफी के आन्तरिक उपभोग पर कर लगाया जायेगा, तो खपत कम होने के बाद उसकी अतिरिक्त मात्रा बढ़ जायेगी, लेकिन उसका होगा क्या ? निर्यात तो इतना है नहीं। बढ़िया और घटिया दोनों किस्म की काफी पर समान रूप से कर लगाया गया है।

आज एक दिलचस्प बात यह है कि संसार के बाजारों में निर्यात के लिये इस वर्ष ४४ लाख टन काफी उपलब्ध है, लेकिन निर्यात के काम केवल २४ लाख टन आई है, शेष बेकार पड़ी है। इस लिये वित्त मंत्री को इस पर पुनर्विचार करना चाहिये।

कराधान के मामले में भी दक्षिण भारत के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। उन पर कस कर करारोपण किया जाता है, और योजना के लिये निधियों की व्यवस्था नहीं की जाती। तामिलनाद और मैसूर में एक भी नई रेलवे लाइन की व्यवस्था नहीं की गई है। रेलवे मंत्री ने इसके बारे में चुप्पी साध ली है।

रेलवे ही नहीं, नये इस्पात कारखानों के बारे में भी दक्षिण भारत की जनता को कोरे आश्वासन ही मिले हैं। अब सलेम में भी इस्पात कारखाना बनने की पूरी आशा नहीं रह गई है।

बरमा और लंका में रहने वाले भारतीयों को बहुत कष्ट है। सरकार को इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिये।

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : वित्त मंत्री की स्थिति बड़ी विचित्र सी रहती है। वह ज्यादा कर लगाये, तो आलोचना होगी ही। और यदि कर न लगाये जायें, तो यह दोष उनके सिर मढ़ा जायेगा कि उनको योजना और देश के हितों का ध्यान नहीं।

वित्त मंत्री को दो परस्पर विरोधी उद्देश्य पूरे करने पड़ते हैं। करारोपण करना पर साथ ही मूल्यों में स्थायित्व लाना, सम्पदा कर लगाना पर साथ ही बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना; और उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण करना, पर साथ ही अधिक वैज्ञानिक प्रगति की व्यवस्था करना।

आचार्य कृपालानी ने कल यह आपत्ति की थी कि वित्त मंत्री ने केवल ६१ करोड़ रुपये के कर क्यों लगाये, जबकि उनको ११०० करोड़ रुपये के एक पांचवे भाग के बराबर कर लगाने चाहिये थे। ६१ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के कर लगाये गये हैं, जो पांच वर्ष में ३०० करोड़ से अधिक राजस्व जुटायेंगे। आचार्य जी का हिसाब गलत था।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढी) : मैं मानता हूं कि मेरा हिसाब गलत था। पर इससे तो आय-व्ययक और भी बुरा सिद्ध होता है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह कोई सफाई नहीं।

†**श्री मुरारका** : मैं अपना भाषण दो भागों में विभाजित करूंगा। पहले मैं आलोचनाओं का उत्तर दूंगा, और फिर खुद सरकार की आलोचना करूंगा।

यह आलोचना ठीक है कि अप्रत्यक्ष करों का परिमाण प्रत्यक्ष करों से ज्यादा है। यह भी ठीक है कि आगामी पांच वर्ष तक यही ढांचा रहेगा, शायद यही रहेगा। लेकिन सारे संसार में अप्रत्यक्ष कर ही अधिक लगाये जा रहे हैं।

यदि आप आंकड़े देखें तो अगले पांच साल में १५० करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर वसूल होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारका]

यदि वित्त मंत्री प्रत्यक्ष कर द्वारा इस वर्ष ३० करोड़ के करों का प्रस्ताव रखते, तो उनकी इतनी आलोचना न होती ।

अप्रत्यक्ष करों का सारा भार उपभोक्ताओं के सिर नहीं पड़ता । यह जरूरी नहीं है कि सारा उत्पादन शुल्क उपभोक्ताओं को ही देना पड़े । निर्माता भी उसका कुछ अंश देते हैं ।

इसके अतिरिक्त हमारी अर्थ-व्यवस्था एक ऐसी अवस्था में है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सीधा-सीधा कोई विभेद नहीं किया जा सकता । कागज, सूती कपड़े, रेयन और कुछ ऐसी ही वस्तुओं पर लगने वाले कर निर्माता और उपभोक्ता दोनों पर पड़ते हैं ।

मशीनों के आयात पर लगने वाले कर को अप्रत्यक्ष कर नहीं कहा जा सकता ।

रेफ्रीजेरेटर्स का उत्पादन शुल्क, और कार का आयात-शुल्क असल में प्रत्यक्ष कर हैं ।

एक बात और है । आचार्य कृपालानी, इत्यादि आलोचकों में से किसी ने भी यह सुझाव नहीं दिया कि किया क्या जाये ?

कर के संबंध में जो छूट दी गई है, वह कुछ मामलों में अनुचित है । निगमों के विनियोजनों को विमुक्ति नहीं दी जानी चाहिये ।

व्यवहारिक आर्थिक गवेषणा राष्ट्रीय परिषद ने निष्कर्ष निकाला है कि ७०,००० रुपये की आय के बाद यदि अतिरिक्त आय हो तो बचत का अनुपात घटता जाता है, बढ़ता नहीं । इसलिये माननीय सदस्यों को बताना चाहिये कि अतिरिक्त प्रत्यक्ष कर लगाने की स्पष्टतया क्या गुंजाइश है ।

मैं मानता हूं कि समवाय कर के बारे में खंड-पद्धति अपनानी पड़ेगी । एक सीमा के बाद, ५०–६० प्रतिशत कर लगाना पड़ेगा ।

अब विदेशी सहायता का प्रश्न लीजिये । भारत को विदेशी सहायता ऋणों और अनुदानों के रूप में मिली है । १६६० के अन्त तक कुल २७०० करोड़ रुपये की सहायता विदेशों से मिली है । हमें तृतीय योजना काल में पहले के विदेशी ऋणों की अदायगी के लिये ५०० करोड़ रुपये चाहियें । कुल मिलाकर २६०० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ेगी तृतीय योजना काल में । लेकिन विदेशी मुद्रा तभी मिल सकती है जब हमारा निर्यात व्यापार बढ़े । लेकिन निर्यात संवर्धन विभाग को इसमें कोई खास सफलता नहीं मिल सकी है ।

१६५६ में विदेशी मुद्रा का रक्षित कोष ७४६ करोड़ रुपये से घटकर ५४३ करोड़ रुपये का रह गया था । उससे काफी खलबली मच गई थी । तब भूतपूर्व वित्त मंत्री ने कहा था कि उसकी पूर्ति के लिये निर्यात संवर्धन हमारा एक मुख्य स्तम्भ है । लेकिन अब वह हमारी अर्थ-व्यवस्था का केन्द्रीय स्तम्भ बन गया है ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री शतीश चन्द्र)** : मैं बता दूं कि मार्च, १६६१ तक पांच वर्षों में हमने १६५६ के निर्यात-लक्ष्य से कहीं अधिक निर्यात किया है । मूल्य के हिसाब से हम अपने निर्धारित लक्ष्य से कहीं आगे बढ़ गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका** : माननीय मंत्री को इसकी पूरी जानकारी नहीं। हम १६५०–५१ में जितना निर्यात करते थे, आज उतना नहीं करते।

हमारे चाय के निर्यात में ८ करोड़, वनस्पति तेलों के निर्यात में २२ करोड़ रुपये की कमी हुई है।

मूल्यों की वृद्धि के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन उससे बचा भी नहीं जा सकता। जिस काम को यूरोप ने आधी शताब्दी से भी अधिक काल में पूरा किया था, उसे हम दस वर्ष में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।

इस मूल्य-वृद्धि के तीन कारण हैं।

पहला तो यह कि हमारा व्यय अत्यधिक बढ़ गया है, दूसरा यह कि उत्पादन-शुल्क लगाये गये हैं, और तीसरा यह कि जनसंख्या में हर साल दो प्रतिशत वृद्धि होती जा रही है।

और एक अन्तिम कारण यह है कि दशमिक सिक्कों तथा नाप व तोल की दशमिक प्रणाली को लागू करने से, मूल्य कुछ बढ़ गये हैं।

†**श्री सतीश चन्द्र** : दशमिक प्रणाली से मूल्य बढ़े नहीं हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : व्यापारियों ने एक नया पैसा बढ़ा लिया है। माननीय सदस्य का शायद यही आशय है।

†**श्री मुरारका** : डाक तथा तार विभाग ने भी यह किया है। अब दो आने के स्थान पर १५ नये पैसे लिये जाते हैं।

†**श्री सतीश चन्द्र** : डाक विभाग कोई पण्य तो नहीं। उस पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया है।

†**श्री मुरारका** : व्यापारियों को रास्ता तो सरकारी विभाग ने ही दिखाया है।

आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि सभी सरकारें १६५१–५२ में गैर-रचनात्मक कार्यों पर प्रतिवर्ष ५१८ करोड़ रुपये व्यय करती थीं। प्रथम योजना के अन्त तक वह ५८६ करोड़ हो गया था, और द्वितीय योजना काल में वह ८८४ करोड़ तक पहुंच गया है।

वित्त मंत्री को जांच करनी चाहिये कि गैर रचनात्मक कार्यों पर व्यय में इतनी वृद्धि क्यों होती जा रही है।

द्वितीय योजना अब समाप्ति पर है, पर उसके भौतिक लक्ष्य पूरे नहीं हुये हैं।

सिंचाई का निर्धारित लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सका है।

बिजली उत्पादन का लक्ष्य भी २४ लाख किलोवाट की जगह १३ लाख किलोवाट ही हो पाया है।

बिना समझे बूझे भी खर्च किया गया है। भारतीय सांख्यकीय संस्था का काम बिलकुल अच्छा नहीं है, फिर भी उस पर एक करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च किये जाते हैं। आप उसके वार्षिक प्रतिवेदनों को तो देखिये। कृषि के बारे में संस्था ने बड़े भ्रामक आंकड़े दिये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारका]

लोक लेखा समिति ने इस प्रकार के कई उदाहरणों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है ।

प्रतिरक्षा विभाग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के हितों को धता बताकर कुछ भ्रष्ट अधिकारी लाभ उठा रहे हैं । इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये । इसकी जांच होनी चाहिये ।

मुझे इतना ही कहना है ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : जो आय-व्ययक प्रस्तुत हुआ है वह संसदीय लोकतंत्र की भावनाओं के बिलकुल ही विपरीत है । वित्त मंत्री ने जो कुछ कहा वह ठीक है कि आय-व्ययक आर्थिक नीति का एक माध्यम मात्र ही नहीं है प्रत्युत सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है । परन्तु खेद की बात तो यह ही है कि सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा रहा । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उत्पादन तथा आर्थिक गतिविधियों में काफी वृद्धि हुई है, परन्तु उसका लाभ केवल थोड़े से लोगों को ही मिला है । छोटे छोटे व्यापारी मर रहे हैं और बड़े बड़े व्यापारों में लाभ बहुत अधिक हो गया है । लोगों में सामूहिक भावनाओं का नितांत अभाव हो रहा है । जनता में यह भावना नहीं कि जो कष्ट हम सहन कर रहे हैं इससे अन्ततोगत्वा हमारा ही भला होगा । मेरा मत यह है कि जब तक जनता में यह विश्वास पैदा नहीं किया जायेगा कि उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं जायेगा, तब तक हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती और तब तक वास्तविक प्रगति असम्भव है । सरकार के प्रयत्नों के बावजूद भी यदि स्थिति न सुधर पाई तो इसे सरकार की ही असफलता समझा जायेगा ।

मेरा निवेदन है कि प्राक्कलनों को तैयार करने में कोई सावधानी नहीं बरती गयी है । इस संबंध में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि सरकार योजना के व्यय की अत्यधिक वृद्धि पर नियंत्रण रखने में सफल नहीं हो पायी है और उसने इस व्यय की इतनी अत्यधिक वृद्धि के कारणों का पता भी नहीं लगाया है, जैसे कि प्राक्कलन समिति ने इस बारे में स्पष्ट सिफारिश भी की है । इस पर भी माननीय वित्त उपमंत्री श्री भगत कह रहे हैं कि कोई फजूल खर्ची नहीं की गयी । वह उस बात की वकालत कर रहे हैं जिसकी पुष्टि कहीं नहीं हो सकती ।

सरकारी उपक्रमों में १/२ प्रतिशत से अधिक लाभ नहीं हुआ है । सदन के समक्ष इस बारे में स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी । मैं इस बात की मांग करता हूं कि सरकारी उपक्रमों के संबंध में अलग से एक आय व्ययक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये । जिस प्रकार कि रेलवे का आय-व्ययक अलग से प्रस्तुत किया जाता है । इससे हमें समस्त बड़ी बड़ी सरकारी परियोजनाओं के संबंध में जानकारी रहेगी । हम अनुमान लगा सकेंगे कि वे कारण क्या हो सकते हैं जिससे कि ७०० करोड़ रुपये के विनियोग से हम केवल १/२ प्रतिशत मुनाफा ही कमा रहे हैं ।

मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि रोजगार की सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिये अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । आर्थिक विकास की गति को बढ़ाया जाना चाहिये । इस संबंध में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि करों की वसूली की व्यवस्था में भी सुधार किया जाय । मेरा यह निश्चित मत है कि यदि ऐसा किया गया, तो और नये करों को लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी । ठीक प्रकार से व्यापारियों तथा व्यापारी उपक्रमों से कर वसूल कर लेना बड़ी महत्वपूर्ण बात है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भगवती** (डारंग) : इस वर्ष का आय-व्ययक बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम तीसरी योजना को आरम्भ करने वाले हैं। कोई सन्देह नहीं कि हम बहुत सी दिशाओं में आगे बढ़े हैं। उत्पादन भी बढ़ा है और राष्ट्रीय आय में भी प्रगति हुई है। मेरा यह मत है कि जब तक सरकारी और गैर-सरकारी इन दोनों क्षेत्रों में नये संसाधनों का निर्माण नहीं किया जाता तब तक हमारे देश में संसाधनों के निर्माण की स्वयंस्फूर्त प्रक्रिया आरम्भ नहीं हो सकती। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि इस दिशा में जनसाधारण में कोई हरकत हो।

सरकारी उपक्रम उचित ढंग से नहीं चल रहे। इन उपक्रमों का संचालन अधिक प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए। यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि उनसे होने वाला लाभ फिर उन्हीं में लगा लिया जाये। गैर-सरकारी क्षेत्रों में भी यही किया जाना चाहिए। यह बात भी ठीक ही है कि हमें उत्पादन बढ़ाना चाहिये और जनसाधारण में इसके लिये वातावरण निर्माण करना चाहिए परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्पादन पर जोर देते हुए हम कहीं सम्पत्ति के बंटवारे की नित्तान्त उपेक्षा ही कर जाये। मेरा यह भी निवेदन है कि कई वस्तुओं पर लगे करों को थोड़ा थोड़ा बढ़ाने से अधिक लाभ नहीं होगा। खुली चाय पर शुल्क से छोटे उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मिट्टी के तेल और सुपारी पर जो कर लगाया जा रहा है वह उठा लिया जाना चाहिए।

[**श्री मूलचन्द दुबे** पीठासीन हुए]

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि लोगों को रोजगार बीमारी आदि की अनिश्चितताओं के खतरों से बचाने के लिए एक राष्ट्रीय बीमा योजना चालू की जानी चाहिये। कृषि बीमे की भी एक योजना चालू की जानी चाहिए। प्रादेशिक असमानतायें दूर की जानी चाहिएं। असम, जो अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ है, की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। राज्य को बड़े सहायता अनुदान और केन्द्रीय करों की आय में से और धन दे कर ही उसकी कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। पुरानी बातों को भूल कर राज्य में नया जीवन निर्माण करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

राजा महेन्द्र प्रताप : श्रीमान् जी, जहां तक कि इस बजट का सम्बन्ध है, मैं यह कहूंगा कि बजट बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है और विदेशी देशों की खब नकल की गयी है, मगर इसमें हमारे देश की कुछ विशेषता नहीं है। मेरा यह कहना है कि जब हम गर्व करते हैं कि हमारा देश धार्मिक है, हमारा देश सदाचार के सिद्धांत को माननेवाला है, तो यह इस तरह की नकल करना कुछ शोभा नहीं देता।

मेरा यह कहना है, और कहा है मैंने एक आध दफा कि अंग्रेज ने जो हमको सब से बुरी बात सिखाई है वह है गद्दे की पूजा। गद्दे की पूजा से यह मतलब है कि किसी को भी बड़ी कुरसी पर बिठा दिया और उसके सामने नाक रकड़ो। तो मेरा कहना है कि यह नहीं होना चाहिए। हमको कुछ विशेषता दिखानी चाहिए। मैं यह कहूंगा कि इस तरह से बजट बनाना चाहिए कि लोगों को सुभीता मिले। अब तो बजट को देखने के बाद ऐसा मालूम है कि हमारी सरकार सिर्फ यह समझती है कि जनता भेड़ है। उसकी ऊन भी उतार लो, फिर उसकी खाल भी उतार लो और फिर उसका मांस भी खा लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।

हमको यह दिखला देना चाहिए जितने कि हम जनता के रक्षक और सेवक हैं। मेरा यह कहना है कि इस तरीके की समाज बानानी चाहिए जिसमें कि एक आदमी भी भूखा न रहे। मगर हम क्या देखते हैं? हमारी सरकार नकल करती है उन देशों की जिनमें प्रकार

†मूल अंग्रेजी में

[राजा महेन्द्र प्रताप]

प्रकार के रोब पड़ गये हैं। वहां यह जरूर है कि बड़े-बड़े मकानात बन जाते हैं, हम भी बड़े-बड़े मकानात बनाना चाहते हैं मगर हम कहने को कह देते हैं कि हम समाजवादी हैं मगर हम नीचे नहीं देखते कि लोगों को कैसे कष्ट हैं। अब आज के ही अखबार में एक बात छपी है कि कुछ इस किस्म के कोढ़ी हैं जिनको कि अब भीख मांगने की इजाजत नहीं है और वह भूखे पड़े हैं। अखबार में आज उनकी तस्वीर भी निकली है लेकिन उसकी हम कोई पर्वाह नहीं कर रहे हैं। ऐसी हालत अपने यहां होते हुए भी हम विदेशों की नकल करते हैं और होड़ करते हैं कि हम भी उनकी तरह से अपने यहां आलीशान मकान बनायें।

जहां तक कर लगाने का सम्बन्ध है मेरा तो कहना है कि हम इस तरीके से हर एक चीज पर कर न बढ़ायें बल्कि हम जनता पर छोड़ें कि जनता अपना बजट आप बनाये। अंग्रेजों ने हमको इस लायक नहीं बनाया कि हम अपने पैरों पर खड़े हो कर अपना काम करें। हमको बिल्कुल गुलाम बना दिया; हमको मानसिक दास बना दिया। हमें इस तरीके से सोचना चाहिए कि प्रत्येक ग्राम वाले अपने-अपने ग्राम का प्रबन्ध स्वयं करें और प्रत्येक ग्राम को वह ग्राम का कुटुम्ब मान लें, बड़ों का आदर हो और बच्चों से प्यार हो। हट्टे कट्टे काम करें इस तरह का प्रबन्ध होना चाहिए। मैं गांवों में जाता हूं, गांव वालों को कहता हूं कि अरे भाई गांव वालों आप वह को जो एक दफे महात्मा गांधी ने १९४२ में कहा था कि हे अंग्रेजों भारत छोड़ो। सन् १९४२ में गांधी जी ने "कुइट इंडिया" का स्लोगन दिया था और वह नारा बड़ा मशहूर नारा अपने समय का था। उसी तरह से मैं गांव वालों को कहता हूं कि वे गांव वाले सरकार को कहें कि वह मेहरबानी करके उनके गांवों को छोड़ दे। गांव वालों का नारा कुइट विलेज होना चाहिए। हम अपने गांवों में स्वयं आप इंतजाम करेंगे, अपने पटवारी रक्खेंगे, पटवारी हमारा होगा और चौकीदार भी हमारा होगा। हम यहां पर न्यायालय भी कायम करेंगे। हम ऐसे न्यायालयों में नहीं जाना चाहते जहां पर कि ३, ३, ४, ४ और ५, ५ वर्ष तक कोई फैसला ही नहीं होता लोगों को कहता हूं, कि सरकार से लड़ें डरें मत। सरकार को हम कहें कि अगर आपको हमारे गांवों से १०० रुपया चाहिए तो हम आपको १०१ रुपया देंगे मगर हमारे गांवों में आप तशरीफ मत लाइये। ऐसा होने से आप देखेंगे कि कि आपका कितना नफा होगा। आपको बहुत सारे आदमी नहीं रखने पड़ेंगे कि यह कर जमा करें और वह कर जमा करें। हम आप ही आप जो हमसे चाहेंगे हम खुशी-खुशी दे देंगे। अगर इस तरीके से हम समाज का प्रबन्ध करें तो दर असल में यह कुछ हमारी विशेषता होगी।

साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि हमको बहुत जोर इस बात पर देना चाहिये कि हम आदमी को धार्मिक बनायें, आदमी को सदाचारी बनायें। आज हम बहुत जोर दे रहे हैं कि कानून बनायें, कानून एक-एक करके लादते चले जा रहे हैं। यह चीज मैंने पहले भी एक मौके पर कही था और आज फिर उसको दुहराना चाहता हूं कि यह जो आप इतने ढेर सारे कानून बनाते चले जा रहे हैं तो उनसे तो हमारे वकीलों के दिमाग खराब हो जायेंगे। और यह सब उन बेचारों को याद कैसे रहेंगे। इसलिए ज्यादा अच्छा तो यह है कि आप अधिक कानून न बनायें। आप हम मिल कर कोशिश करें कि हम अच्छे आदमी बनें। यह कैसे होगा, उसके लिए इंतजाम करना होगा। इसके लिए मैं कहता हूं कि हम सदाचार गुट्ट बनाये। वह सदाचार गुट्ट क्या हो। प्रत्येक मुहल्ले में और गांव में कुछ नौजवान हों वह देखें कि उनके इधर उधर कोई बुरी बात तो नहीं हो रही है और अगर हो रही हो तो वह उसे रोकें।

अगर बुराई उस पर भी न रुके तो फिर हम उसके लिए पुलिस की भी मदद लेंगे और बुराई को रोकेंगे । अगर इस तरीके से हम कोशिश करेंगे तो आदमी आदमी बनेगा ।

अफगानिस्तान के एक वजीर ने फारसी में एक शेर बनाया है । उसने कहा है :—

"हर चीज शुद इबनुलबशर अम्मा चिदम आदम शबद"

आदमी हिन्दु हुआ, मुसलमान हुआ, ईसाई भी हुआ ।

यह सब तो हुआ मगर मैं पूछता हूं कि आदमी आदमी कब बनेगा । दर असल हमको आदमी बनने की जरूरत है ।

मेरे पास जो कुछ शिकायतें आई हैं वह भी मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं । कुछ आदमियों ने मुझ से यह कहा कि साहब जो भ्रष्टाचारी अहलकार हैं उनके खिलाफ बहुत सारी अर्जियां दी गई हैं मगर उनका कोई नतीजा नहीं निकलता हालांकि वह शिकायतें सच हैं । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उसकी पूछगछ की जाये ।

एक और इत्तिला मुझे मिली है और वह यह है कि सोने का भाव आज १४० या १४५ रुपये तोला हो गया है । मेरे पुराने जमाने में तो सोने का भाव २५ रुपया तोला था । इसके मानी यह हुए कि सोने की कीमत पहले की उपेक्षा इस वक्त ५ या ६ गुना बढ़ गयी है । इसके एक मानी यह भी है कि उतनी ही हमारे रुपये की कीमत कम हो गई । अगर यह बात सच है और जो मुझे यकीनी तौर से मालूम है कि सच है तो इसका बजट पर बड़ा असर पड़ेगा । अब आप यह देख लीजिये कि कहीं ऐसा हाल न हो जैसे कि जापान से मुझे एक खत से पता चला । वहां मेरा आश्रम है । वर्ल्ड फेडरेशन सेंटर उसका नाम है । उसके पांच छोटे मकान हैं और थोड़ा सी जमीन भी वहां है....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें ।

राजा महेन्द्र प्रताप : मुझे आप खत्म कर देने के लिए कह रहे हैं जब कि आपने दूसरों को आध-आध घंटे का समय दिया है ।

सभापति महोदय : अब दस मिनट का समय मुकर्रर हो गया है....

राजा महेन्द्र प्रताप : यह दस मिनट की कैद क्या मेरे से शुरू की जा रही है ?

सभापति महोदय : आपके पहले से शुरु हो गयी है ।

राजा महेन्द्र प्रताप : अभी मेरे से पहले जो भाई बोले हैं वह कोई २० मिनट बोले हैं ।

सभापति महोदय : जी नहीं दस मिनट ही बोले हैं ।

राजा महेन्द्र प्रताप : जैसी आपकी आज्ञा । मैं जल्दी ही समाप्त किये देता हूं । मैं यह अर्ज कर रहा था कि जापान में यह हालत है कि वह छोटी सी जो मेरी जमीन है जिसमें वह छोटा सा जो मेरा वर्ल्ड फेडरेशन सेंटर है जिसके कि ५ छोटे-छोटे मकान हैं, उनकी बाबत मेरे एक मित्र ने यह खबर दी है कि आजकल उसकी कीमत साढ़े १३ लाख यैन है जो कि हमारे सिक्कों में १६००० रुपये होगी । ७० यैन का एक रुपया होता । अब अगर उस तरह की हालत हमारे मुल्क में हो जाती है तो आपका यह बजट बिलकुल

[राजा महेन्द्र प्रताप]

बेकार हो जायेगा । मैं चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय इधर ध्यान दें और देखें कि ऐसी कोई बात यहां पर न होने पावे ।

मुझे अभी एक आदमी ने यहां आते-आते फोन किया था कि हमारी सरकार आयुर्वेदिक के बारे में कुछ नहीं कर रही है। अब यहां नार्थ ऐवन्यू में एक औषधालय खोला गया है। मैं तो खुद बहुत दफे वैद्यक दवाए खाता हूं और बहुत सी आयुर्वेदिक दवाओं की प्रशंसा भी किया करता हूं जैसे कि च्यवनप्राश है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इधर भी अगर सरकार ध्यान दे तो बहुत अच्छा होगा। समय आगया है जब सरकार को आयुर्वेदिक के प्रति उपेक्षा का भाव छोड़ देना चाहिए और उसको अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। यह पद्धति बहुत सस्ती पड़ेगी और इसके जरिए गांवों में मामूली वैद्य दवा दारू कर सकेंगे और उसमें ज्यादा खर्च भी नहीं होगा ।

एक बात जो मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं वह यह है कि समय और शक्ति का दुरुपयोग न हो। तीन चीजें मेरे नजदीक सबसे अहम हैं जिनकी कि हमें रक्षा करनी चाहिए। हमारा समय ठीक खर्च हो, हमारी शक्ति ठीक खर्च हो और देश में अधिक से अधिक उत्पादन हो।

आप यह देख लीजिए कि पंजाब का आन्दोलन हुआ था, जिसमें ४५ हजार आदमी जेल में चले गए। कितनी शक्ति का दुरुपयोग हुआ। यह हमारी गलती है। मैं उनकी गलती नहीं बताता। यह सरकार की गलती है। उसको चाहिए था कि जब उसने देखा कि उनमें इस तरह की तबियत है, तो फौरन पंजाबी सूबा बना देती इससे सब झगड़ा खत्म हो जाता। उधर पंजाबी सूबा बन जाता और इधर हमारा महादिल्ली बन जाता। आसानी से तमाम झगड़े खत्म हो जाते। इस पर ज्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए कि आप अपना सूबा क्यों बनाते हैं। सख्ती इस पर करनी चाहिए कि सूबे का अधिक खर्च नहीं होना चाहिए। अगर मिनिस्टरों की रेजिमेंट की रेजिमेंट न हो, तो ज्यादा अच्छा है। मैं समझता हूं कि चार पांच मिनिस्टर बहुत काफी हैं। दो-दो सभायें भी बेकार हैं। मैं खुद बहुत दफा सोचता हूं कि मैं थोड़ासा रुपया ले रहा हूं, क्या दरअस्ल मैं कुछ काम करता हूं। मैं रोज यहां आता हूं। रोज बोलता तो नहीं हूं। अपने ख्यालात भी नहीं सुना सकता हूं। कभी कुछ कह लिया। मैं सोचता हूं कि मैं अपने भाइयों का रुपया ले रहा हूं, वह ठीक ले रहा हूं, या नहीं। हमको यह सोचना चाहिए। हमने यह जो अंग्रेजों की सरकार की नकल उतारी है कि यहां पर पांच सौ बैठ गए हैं और उधर तीन हजार एम० एल० ए० और विधान परिषद् के मेम्बर बैठ गये, इसकी जरूरत नहीं है। हम सबको काम पर लगा दीजिये। अगर मुझे मथुरा जिला दे दिया जाये और मैं अपने ब्रज में काम करूं, वहां कलेक्टर, न हो कप्तान न हो, तरह-तरह के अफसर न हों, तो सिर्फ अकेला मैं मथुरा को चन्द दिनों में एक नमूने का जिला बना सकता हूं। यह हम, आप सब कर सकते हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ये चुनाव न हों। अगर हम यहां पंद्रह साल जम कर, बैठें, तो हम मुल्क में इस तरह का इन्तजाम ला सकेंगे कि जो बजट बना है, उसकी जरूरत नहीं रहेगी। हम इस तरह के इन्तजाम ला सकेंगे कि लोग अपने घर में आराम से रहेंगे और उनको तक्लीफ देने वाला कोई नहीं रहेगा।

मैं दो बारा यह कहूंगा कि हमारा उसूल यह होना चाहिए कि सबको सबके लाभ में लग कर सबको सुखी बनाना चाहिए और हमारी लड़ाई लड़ाने वाले विचारों से हो, चाहे वे विचार हीन के हों, कांग्रेस के हों या कम्युनिस्ट पार्टी के हों, जो विचार हम को लड़ाये, वह बुरा और जो विचार मिलाये हमको, वह अच्छा।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : वित्त मंत्री महोदय ने अपने आय-व्ययक में देश का सुन्दर और ठोस सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रथम आय-व्ययक है। यह इस बात का द्योतक है कि आने वाले तीन वर्षों में सरकार की नीति क्या होगी। आय-व्ययक की जो विभिन्न आलोचनायें हुई हैं उस सम्बन्ध में मैं कुछ अपने विचार व्यक्त करूंगा।

मेरा निवेदन है कि यह आलोचना युक्ति संगत नहीं है कि अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्षकों से अधिक हैं, क्योंकि अर्द्ध विकसित देशों में आय का मुख्य साधन अप्रत्यक्ष कर ही होते हैं। ध्यान रहे कि हमें अपनी योजनाओं की जरूरतों के लिए धन की आवश्यकता है। ऐसा भी समय आयेगा, जब भारी प्रत्यक्ष कर लगाये जायेंगे पर इस समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उत्पादन के लिए बढ़ावा मिलता रहे और उसमें कोई रुकावट न आने पाये।

इस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं कि ऊन की लच्छियों पर जो शुल्क है, वह कम किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे मोजे, बुनियान इत्यादि के उद्योग पर बरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि भारी उद्योग में सामान के उत्पादन के मामले में क्या हम संसार के अन्य देशों से मुकाबला कर सकेंगे अथवा नहीं, यदि हम मुकाबला नहीं कर सकते तो हमें उपभोक्ता उद्योगों की ओर ध्यान देने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

अब मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। एक यह है कि दस वर्ष की दो योजनायें समाप्त हो जाने के बाद भी हमें कुछ ऐसा मालूम होता है कि हमारी प्रशासनिक सेवायें जनता से अपना सम्पर्क सुन्दर नहीं बना पाई हैं और उनकी प्रतिष्ठा, महत्व आदि कुछ इस प्रकार का है कि वह अब भी अलग अल्पाही नजर आ रही हैं। मैं समझता हूं कि यदि हम इतना महत्व और प्रतिष्ठा जितना प्रशासनिक सेवाओं को प्राप्त है, यदि इंजीयरिंग, चिकित्सा तथा अध्यापन सेवाओं को देते तो कहीं अच्छा होता क्योंकि यह उपयोगी सेवायें हैं। मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मेरी अन्तिम बात यह है कि आज १३ वर्ष के बाद भी हमें आसाम, जबलपुर और पंजाब में जो गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं उनसे हमें शर्म आनी चाहिए। ऐसा मालूम होता है कि जनता में आपस में विश्वास नहीं है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह देश के लिए बहुत हानिकारक है। समस्त भारतवासियों को जाति पांति, साम्प्रदायिकता का परित्याग करके देश की उन्नति के लिए जुटना है और यह तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक अपने को भारतीय पहले समझगा। मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की गड़बड़ियों को रोकने के लिए जो भी कठोर कदम हों वह उठाये जाने चाहिएं।

मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री ने स्वयं पंजाब की भाषा समस्या हल करने का बीड़ा उठा लिया है और मुझे आशा है कि वह इस समस्या को यथासंभव शीघ्र सफलतापूर्वक हल कर सकेंगे।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पांगरकर** (परभणी) : मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने तीसरी योजना का पहला आय-व्ययक इतने साहस से प्रस्तुत किया। १९६१–६२ के आय-व्ययक के ६०.६० करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है जिसको ६०.८७ करोड़ रुपये के कर लगाकर पूरा करने का प्रस्ताव है।

यह नये कर चाय, काफी, मिट्टी के तेल, दियासलाई, सुपारी और तम्बाकू पर लगाये गये हैं। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री ने यह ठीक नहीं किया है क्योंकि जो धन वह इन करों के द्वारा वसूल करेंगे उससे कहीं अधिक धन वह कर अपवंचन रोक कर कर सकते थे। मैं आशा करता हूं कि इन वस्तुओं पर कर लगाने का प्रस्ताव वापस ले लिया जायेगा।

मेरा सुझाव है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में छोटे पैमाने के उद्योगों को सर्व प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारत देश गांवों का देश है और इसकी ८० प्रतिशत जनता गांवों में रहती है इसलिए आवश्यक हो जाता है कि इन ग्राम वासियों को ऊपर उठाया जाये। मैं समझता हूं कि इनको शिक्षित बनाकर ही ऊपर उठाया जा सकता है।

आज सबको दिखाई देता है कि भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और कृषि उत्पादन कम होता जा रहा है। इसलिए आवश्यक है कि कृषि उत्पादन बढ़ाया जाये। परन्तु कृषि उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब हम उसको व्यापारिक रूप दे देंगे अर्थात् किसान को उसकी मेहनत का पूरा-पूरा मुआवजा दिलाने का प्रयत्न करेंगे।

सभी राज्यों में जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। मेरा सुझाव है कि नगर सम्पत्ति की भी अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

जापान में चावल की उपज प्रति एकड़ ३,७५० पौंड, अमरीका में ३००० पौंड है, परन्तु भारत में केवल ८०० पौंड है। जापान में गेहूं की उपज १,८०० पौंड है परन्तु भारत में केवल ७०० पौंड है। इसलिए प्रयत्न यह करना चाहिए कि किसान फसल के बारे में नये तरीकों को समझें जिससे वह उत्पादन बढ़ा सकें। मैं समझता हूं कि पश्चिमी देशों के समान ही हमें भी बड़े बड़े फार्म बनाकर उर्वरक तथा उत्तम बीज का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए।

अब मैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की कृषि स्थिति बताऊंगा। मराठवाड़ा क्षेत्र बड़ा ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसमें रेल आदि का समुचित प्रबन्ध नहीं है। इसकी जनसंख्या लगभग ६० लाख है। इसमें १.२० लाख एकड़ सी उर्वर भूमि बेकार पड़ी है। केवल २.९ प्रतिशत भूमि में सिंचाई व्यवस्था है। मैं समझता हूं कि यदि खेती के अच्छे तरीके इस्तेमाल में लाकर इन क्षेत्रों में खेती की जायें तो पर्याप्त पैदावार हो सकती है। यदि तथा उस्मानाबाद जिलों में अकाल आदि की घटनायें बारबार होती हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सिंचाई व्यवस्था नहीं है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पूरना परियोजना बनाई जा रही है। इससे जिन्तूर, हिंगोली, तथा बासकट तहसीलों की ऊसर भूमि में भी हरियाली आ जायेगी। इसी प्रकार

---

†मूल अंग्रेजी में

भालेगांव के निकट गोदावरी पर बांध बना देने पर भी ४५०,००० एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी और लाखों मन अनाज पैदा हो सकेगा ।

सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि मराठवाड़ा को पर्याप्त पानी देने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए जिसमें इस क्षेत्र में जो बार-बार अकाल आदि हो जाता है वह न हो पाये ।

श्री भ० दी० मिश्र : (केसरगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण के दो भाग किये हैं। एक भाग में देश में अब तक क्या क्या उन्नति हो सकी है, और द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की पूर्ति तक क्या क्या हम कर सकेंगे इसका दिग्दर्शन कराया है । और दूसरे भाग में तृतीय पंचवर्षीय योजना को लागू करने के लिये हमें आवश्यकता है कुछ धन की इसलिये बहुत सावधानी के साथ अपनी तरफ से कुछ टैक्स लगाने की चेष्ठा की है ।

मैं समझता हूं कि इस देश में इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमें यह देखना चाहिये कि इस देश के रहने वालों की आर्थिक अवस्था क्या है । देश के रहने वालों की आर्थिक स्थिति सरकार के आंकड़ों के अनुसार यह है कि उनकी वार्षिक औसत आय २६० रुपये से लगाकर ३०० रुपये से अधिक नहीं है । और ऐसी अवस्था में अर्थ की व्यवस्था करने में इस बात को भी देखना चाहिये कि हम जनता से किस प्रकार से क्या ले करके अपना काम चला सकेंगे ।

प्रत्यक्ष कर के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का ध्यान है कि उधर तो इस समय हाथ नहीं बढ़ाया जा सकता । इसलिये आवश्यक चीजों पर भी अप्रत्यक्ष कर लगाना पड़ा है । यद्यपि आपने टैक्स तो नाम मात्र का लगाया है लेकिन उसका प्रतिफल क्या हुआ है यह अगर माननीय मंत्री जी जानने की चेष्ठा करेंगे तो उनको मालूम होगा कि इन चीजों पर कहीं २५ प्रतिशत और कहीं ५० प्रतिशत टैक्स लग गया है, यानी इन चीजों का इतना दाम बढ़ गया है । अभी पहली अप्रैल से टैक्स लगने वाला है लेकिन इन छोटी छोटी चीजों का दाम, जो कि एक गरीब के घर में काम आती हैं, अभी से बढ़ गया है, जो दियासलाई चार पैसे की मिलती थी वह पांच और ६ पैसे की मिलने लगी है और जो मिट्टी का तेल पांच आने बोतल था वह ६ आने हो गया ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने दियासलाई पर कोई टैक्स नहीं लगाया है, हमने उसको प्रतिमानित करने का प्रयास किया है और ६० तीली के बजाये ५० तीली की दियासलाई करना चाहते हैं । लेकिन इस प्रतिमानित करने की अवधि में उस गरीब जनता पर ५० प्रतिशत टैक्स बढ़ गया जिसकी कि सालाना आमदनी ३०० रुपये से अधिक नहीं है । तो हमारे मंत्री जी को विचार करने की जरूरत है कि इतना टक्सेशन कहां तक गरीब जनता के लिये हितकारी और सुखकर सिद्ध होगा ।

मैं तो आपका ध्यान एक और तरफ दिलाना चाहता हूं । मेरा तो खयाल है यद्यपि प्रत्यक्ष कर में अधिक गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप यह ६० करोड़ का कर प्रत्यक्ष करों से प्राप्त कर लेते तो ज्यादा दिक्कत न होती । लेकिन मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मितव्ययता की तरफ हमारी सरकार का ध्यान नहीं है । अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां एक परम्परा चल गई है कि जब हम बजट पेश करना चाहते हैं और हम देखते हैं कि हमारे सामने कोई खर्चीली योजना है तो हम उसी समय टैक्स लगाने की बात सोचने लगते हैं । कभी भी हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि हम मितव्ययता भी कर सकते हैं । मैं कहता हूं कि हमारी योजनाओं में मितव्ययता की कितनी कमी है इसकी तरफ ध्यान दिया जाए तो पता चलेगा कि हमारा करोड़ों रुपया कहां जा रहा है और कैसे जा रहा है । इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो आज कर लगाने की आवश्यकता न हो । हम देखते हैं कि

[श्री भ० दीं० मिश्र]

एक इमारत का आज एस्टीमेट बनता है ७५ हजार का, तो कल वह एक लाख का हो जाता है, और अगर आज एक लाख का बनता है तो कल सवा लाख का हो जाता। कोई यह देखने वाला नहीं है कि क्या कारण है कि जो इमारत ७५ हजार में बन रही थी आज वह एक लाख की कैसे हो गई।

मैं देखता हूं कि गांवों में उन्नति का काम करने के लिये जो ग्राम सेवक नियुक्त किये गये हैं वे एम० ए० और बी० ए० पास हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब गांवों के ७५ प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं, अपना हस्ताक्षर तक नहीं कर सकते हैं तो फिर उन गरीबों की सेवा के लिये आप डेढ़ डेढ़ सौ और दो दो सौ रुपया दे कर एम० ए० और बी० ए० पास लोगों को क्यों रखते हैं। इसके मानी हैं कि आपका ध्यान इस तरफ नहीं है। जरूरत इस बात की है उनके समकक्ष ज्ञान के लोग जो कि उनसे थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान रखते हों वे वहां रखे जांय और वे काम चला सकेंगे। इसमें खर्च भी कम होगा और वे लोग गांव वालों से मिल जुल कर और उनके साथ बैठ कर उनकी सहायता भी कर सकेंगे।

इसी तरह से आप और बातों के बारे में भी देख सकते हैं। मैं तो समझता हूं कि अगर इस समय हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों को न लगा कर मितव्ययता की तरफ ध्यान देते तो हमारा काम चल जाता।

मैं देखता हूं कि जिन फ्लैटों में हम रहते हैं उनकी मरम्मत का यह हाल है कि आज एक मजदूर आता है तो कहता है कि हम बाहर की सफाई करने आए हैं, एक आता है वह कहता है कि हम केवल खिड़की साफ करने आए हैं, तीसरा आता है वह कहता है मैं अन्दर की सफाई करने आया हूं। तो यह आपकी मितव्ययता का नमूना है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि आप पुरानी परम्परा को छोड़ें। इस देश के रहने वाले गरीब हैं, नंगे हैं, भूखे हैं, अगर इस तरह से बजट को पेश करके आपने उनके ऊपर अप्रत्यक्ष कर लगाए और उनकी जेब को छूआ तो मैं समझता हूं कि जो हमारी पापुलर गवर्नमेंट, या जो डिमाक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके लिये यह कुछ उचित साधन नहीं समझा जा सकता।

इसके साथ ही साथ आपसे मैं यह भी कहूंगा कि हमें अपने सीमा प्रदेश की ओर ध्यान देने की जरूरत है जहां से रोज घटनाओं के समाचार आते रहते हैं। अभी कल के अखबार में मैं ने देखा कि सिक्किम में चार मील तक वह लोग बढ़ आए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि सीमा प्रदेश में इतनी सावधानी बरतते हुए ऐसा कैसे हो रहा है। वह १२००० वर्ग मील क्षेत्र की बात तो पीछे रह गई, लेकिन अब भी और बढ़ने की आशंका कैसे बनी हुई है। आवश्यकता इस बात की है कि एक सीमा प्रदेश बनाया जाए। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सीमा प्रदेश बना कर केन्द्रीय सरकार के तत्वावधान में फौजी शासन में उसको रखा जाए। तभी हमारी सीमा की रक्षा हो सकेगी। हम नहीं चाहते कि लड़ाई की जाए, लेकिन यह देखने की भी आवश्यकता है कि अब हम किसी प्रकार से भी किसी को अपनी सीमा में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। हमको इसका प्रबन्ध करना चाहिये।

एक बात मुझे और कहनी है कि यह जो पहली अप्रैल से आपका टैक्स लगने वाला है, इसका आम लोगों पर क्या असर होगा यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन मैं इतना निवेदन करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी कहते हैं कि कुछ चीजों पर उन्होंने टैक्स नहीं लगाया है जैसे दियासलाई पर, लेकिन उसका दाम २५ प्रतिशत बढ़ गया है। इसी तरह से मिट्टी के तेल का दाम बढ़ गया

है । ऐसी चीजों पर आप पुनः विचार करें और अगर इस धन को आप मितव्ययता से पूरा करने की चेष्ठा करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी । मैं चाहूंगा कि अगर सरकार इन टैक्सों को लगाना ही चाहती है, तो वह हर एक स्टेट में पूरी शक्ति के साथ इन चीजों की कीमतें फ़िक्स करें और साफ तौर पर यह व्यवस्था कर दें कि जो भी इस से अधिक कीमत लेगा, वह दंड का पात्र होगा । अगर ऐसा प्रबन्ध किया जायगा, तभी यह नामिनल टैक्स वास्तव में नामिनल रह सकेगा, अन्यथा जनता को इस से चार, आठ, दस गुना कीमत देनी पड़ेगी ।

यह कहा गया है कि ये कर बहुत विचार कर के और सोच समझ कर लगाये गये हैं । मैं समझता हूं कि इस में कोई सन्देह नहीं है कि बहुत कुछ इस प्रकार से कर लगाने की कोशिश की गई है कि ग़रीब आदमियों को कष्ट न हो और वे सताए न जा सकें । लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये कर उन लोगों पर लगाये गये हैं जो इन बारीकियों को समझ नहीं सकते हैं । और न ही कोई उन को समझा सकता है । हम देखते हैं कि बाज़ार में, हर जगह यह कहा जा रहा है, दुकानदार यह प्रचार कर रहे हैं कि सरकार ने ये कर लगा दिये हैं, मैं क्या करूं ? जो चीज हर व्यक्ति के लिये ज़रूरी हैं, उन पर ही ये हमारे टैक्स लगे हैं ।

आप को सम्भवतः यह मालूम न हो कि फ़िलेरिया और मलेरिया को मिटाने के लिये डाक्टर्ज़ लगाये गये हैं और इस काम पर लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है । जब वे देहात में जाते हैं—मुझे लेकर वे कई जगह गये हैं—तो वहां के लोग यह भय करते हैं कि ये डाक्टर परिवारनियोजन के लिये, बच्चों की पैदाइश रोकने के लिये, दवाई बांटने के लिये आये हैं । इस कारण वे इन से भागते हैं और लड़ाई करने के लिये तैयार रहते हैं । जिस देश के साधारण लोगों के ज्ञान का स्तर इस प्रकार का हो कि उन को मालूम न हो कि कौन सी चीज़ उनके लिये हितकर है और कौन सी अहितकर है, उस देश में इतनी बारीकी के साथ सोच कर उन चीजों पर टैक्स लगाना हमारी सरकार के लिये उचित मालूम नहीं होता है, जिन का हमारी आम जनता से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है ।

मितव्ययता के सम्बन्ध में मैंने आप से निवेदन किया है । अगर हो सके, तो उसे करने का प्रयत्न करना चाहिये । इस के साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं (जिस का जिक्र कुछ माननीय सदस्यों ने किया भी है) कि हमारे देश में क्या क्या चल रहा है और अनैतिकता का कितना बड़ा ज़ोर है । यह ठीक है कि पिछले दस वर्षों में हम ने काफी भौतिक उन्नति कर ली है, बहुत उद्योगों-धंधे चलाये हैं, उत्पादन भी बढ़ा लिया है, लेकिन यह तथ्य है कि अनैतिकता में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है, बल्कि वह बढ़ रही है । मैंने देखने का प्रयत्न किया है, लेकिन मुझे इस बजट में ऐसे किसी साधन या उपाय का उल्लेख नहीं मिला है, जिससे अनैतिकता को दूर करने की चेष्ठा की जा सके, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे किसी और प्रकार से हो । इन्टैग्रिटी के सर्टिफिकेट देने का अधिकार बराबर हमारे अधिकारियों के पास है, लेकिन वे बेकार से बन गये हैं । सिवाये इसके कि दस्तखत कर दिये जाते हैं, और कुछ नहीं होता है । अगर गवर्नमेंट की तरफ से इंटेग्रिटी को प्राथमिकता दी जाये, अगर उस की तरफ से ईमानदार, परिश्रमी और चरित्रवान् व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाये, तो अनैतिकता को मिटाने में कठिनाई नहीं होगी । इसलिये इस बात की बहुत आवश्यकता है कि चरित्र सम्बन्धी शिक्षा देने की तरफ ध्यान दिया जाये और जो अनैतिकता के कार्य बढ़ रहे हैं, उन को हर प्रकार रोकने के उपाय किये जायें । तभी हम अपने देश का उत्थान कर सकेंगे ।

आयुर्वेद के सम्बन्ध में हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा है । मैं देखता हूं कि हम, आप और हमारी गवर्नमेंट माड्रन सिस्टम से इतनी प्रभावित है कि यह देखते हुए भी कि देहातों

[श्री भ० दी मिश्र]

में डाक्टर और लेडी डाक्टर कितने प्रतिशत जाते हैं, यह सिस्टम कितना मंहगा है और इस से कितने कम लोग फायदा उठा पाते हैं, बराबर ऐलोपैथी के औषधालय देहातों में खोले जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक खर्च किया जा रहा है। अगर सरकार यह योजना बना ले कि वह आयुर्वेद, यूनानी या होमियोपैथी—जिन को वह मान चुकी है। उन के ही देहात में औषधालय खोले, तो वह कम खर्च में ज्यादा सेवा कर सकेगी। ऐलोपैथी पर इतना खर्च किया जा रहा है, लेकिन सम्भवत: दस प्रतिशत आदमियों से ज्यादा को उस से लाभ नहीं पहुंच रहा है। जो अन्वेषण और खोजें (साइंटिफिक रिसर्च) देश में हो रहे हैं, पैसे के अभाव से गरीब आदमी उन से लाभ नहीं उठा सकते हैं। इस के साथ ही यहां की गरीबी को मद्देनजर रख कर लोगों के कर-भार को और कम करने की भी आवश्यकता है, जिस से गरीब आदमी भी, जो स्वयं परेशान है, नंगा है, भूखा है, कुछ सुखी जीवन व्यतीत कर सके।

मैं तो चाहता था कि मोटे कपड़े, मोटे अन्न और ऐसी चीजों पर, जो गरीब आदमी के लिए जरूरी हैं, (इस देश की अस्सी प्रतिशत आबादी के लिये), नियंत्रण कर दिया जाये, ताकि वे सही भाव पर मिल सकें। जहां तक लक्जरी और फैंसी चीजों पर कर बढ़ाने का प्रश्न है, मैं उस का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री और सरकार हर तरह से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

†**श्री बालकृष्णन** (डिंडीगल–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे सामने पिछले दस वर्षों के कार्यकलापों का स्पष्ट चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया। हमने पिछले दस वर्षों में बहुत से विकास कार्य आरम्भ किए हैं और इन विकास कार्यों के लिए आवश्यक है कि बहुत धन की आवश्यकता हो। इसको पूरा करने के लिए केवल करारोपण का ही सहारा लिया जा सकता है। इसलिए यह कहना कि गरीबों पर अधिक कर लगाये हैं मैं ठीक नहीं समझता हूं। मेरे विचार से केवल मिट्टी का तेल और तम्बाकू दो ही वस्तुयें ऐसी हैं जो गरीबों के उपयोग की हैं। कुछ गांववासी तो तम्बाकू मिलने पर अपना भोजन भी त्याग सकते हैं। इस लिए मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री तम्बाकू और मिट्टी के तेल पर कर नहीं लगायेंगे।

सभा में सुपारी के बारे में बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। मैं बताना चाहता हूं कि हाल में ही मेरी एक सुपारी व्यापारी से भेंट हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनको वास्तविक मूल्य से पांच से दस गुना अधिक लाभ मिल जाता है। मैं समझता हूं कि यदि इस लाभ का कुछ अंश यह व्यापारी सरकार को दें तो कोई हानि नहीं होती है।

मेरा सुझाव है कि जीवन बीमा के समान ही सरकार को मोटर बीमा तथा सामान्य बीमा का राष्ट्रीय करण कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम देख रहे हैं कि एक के एक बैंक फेल होते जा रहें हैं इसलिए इनका भी राष्ट्रीयकरण करना अब जरूरी है।

मेरा सुझाव है कि इनामी बौंडों को १ रुपये का भी चलाना चाहिए जिससे गरीब जनता भी इनको खरीद सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

हाल में ही डा० कृष्णस्वामी ने बताया था कि मद्य निषेध हटा दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि डा० कृष्णस्वाभी अधिकांशतः नगर में रहते हैं। यदि वह गांवों में जायें तो उन्हें मालूम होगा कि हरिजन कितनी अधिक मात्रा में शराब पीते हैं। शराब पी कर हत्यायें की जाती हैं। परिवारों में दुश्मनी फैलती है। मेरे विचार से मद्य निषेध से बड़ा उत्तम काम हुआ है और ग्रामीण जनता अब ठोस काम में लग गई है।

मेरा सुझाव है कि छोटे पैमाने के उद्योगों के निगम का विकेन्द्रीकरण कर देना चाहिए। आज हालत यह है कि छोटे छोटे ऋणों के लिए भी लोगों को मद्रास, बम्बई, केरल और अन्य स्थानों से दिल्ली आना पड़ता है। इसलिए इस निगम का प्रादेशिक आधार पर विकेन्द्रीकरण कर देना चाहिए। राज्य व्यापार निगम के विभिन्न विभागों में भी समन्वय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।

मुझे पता लगा है कि सामुदायिक विकास क्षेत्रों में विकास व्यय से प्रशासनिक व्यय बहुत ज्यादा है। इसको कम किया जाना चाहिए। सरकार ने गांवों में कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को आरम्भ करने के लिए कुछ करोड़ रुपये दिए हैं। परन्तु अनुभव यह कहता है कि इस से गांववासियों को कोई लाभ नहीं हुआ है। मेरा सुझाव है कि बी डी ओ, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों को गांवों में जाकर इन उद्योगों का संगठन करना चाहिए और गरीबों को शक्ति देनी चाहिए।

सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास कार्य किए जाने चाहिए। दूसरी योजना में मद्रास राज्य को पर्याप्त मात्रा में तकुवे और करघे नहीं दिए गए हैं। मेरा सुझाव है कि यदि तीसरी योजना में मद्रास राज्य को पर्याप्त मात्रा में तकुवे और करघे दिए गए तो उस राज्य की बेकारी की समस्या बहुत कुछ दूर हो जायेगी। मद्रास राज्य में एक आधुनिक तथा नवीनतम मशीनों का एकक भी लगाया जाना चाहिए।

श्री गणपति राम : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि हमारे वित्त मंत्री अपने देश में समाजवादी ढंग के समाज को वास्तविक रूप देने के लिये प्रयत्नशील हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए ही उन का बजट बनाया गया है। वैसे तो जिन लोगों के ऊपर टैक्स लगता है उन में से कोई भी खुशी से टैक्स देना नहीं चाहता। लेकिन यह भी सत्य बात है कि जिन लोगों के ऊपर टैक्स का जितना वितरण होना चाहिये उन से ज्यादा हो जाता है। मैं इन बातों को मद्दे नजर रखते हुए वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जैसा कि हमारे और साथियों ने भी आप से कहा है कि हालांकि आप के मन में यह भावनायें नहीं थीं कि टैक्सेज का दुरुपयोग हमारे व्यापारी या और लोग करें, लेकिन हुआ है वैसा ही। हमारी साधारण जनता पर, जो कि आज भी रोटी के लिये, कपड़े के लिये, मकान के लिये तरसती है, जिन की शिक्षा के लिये, जिन के और साधनों के लिये उपयुक्त साधन मुहैया नही किये जा सके, उन पर इस इन्डाइरेक्ट टैक्सों का जितना भार पड़ा है, उस से वह कराह रही है। यहां कहा जाता है कि हर हिन्दुस्तानी की ऐवरेज इनकम जो है वह २७० रु० प्रति वर्ष की है। यह बात मेरी समझ में नही आती है। एक बार हिसाब लगाया गया तो एक दरिया की गहराई कहीं तो २५ फीट थी, कहीं पर आधा फुट थी और कहीं पर ३ इंच थी, कही पर इसी तरह और कुछ थी। उसका ऐवरेज आया २ फीट। लेकिन उस में ३ फीट का लड़का डूब कर मर गया। ठीक वही हालत हमारे ऐवरेज की है। ऐवरेज निकालने वाले यह सोचते हैं कि उस से साधारण जनता पर असर नहीं आयेगा। लेकिन आप जरा देहात की जनता की

[श्री गणपति राम]

ओर ध्यान लगा कर देखिये, जिन की आमदनी कहीं कहीं पर ४ आ० रोज है, कही २ आ० रोज है, कहीं २ रु० में महीना भर उन से मेहनत करवाई जाती है और बाद में उन को पूरी मजदूरी नहीं दी जाती। आज इन मजदूरों की तरफ भी हम को ध्यान देना चाहिए। आज भी हिन्दुस्तान में लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिन के न घर है न द्वार है, कहीं पर अपने गधे ले कर सड़कों पर लेट गये, कही दरख्तों के साये में लेट गये। एसे लोगों की तादाद भले ही लाखों की सख्या में है लेकिन उन को भोजन देने के लिये, उन को आराम देने के लिये, उन के जीवन स्तर में उभार लाने के लिये हमारी प्रथम और द्वितीय पंच वर्षीय योजनाओं में क्या किया गया ? हम ने इस की तरफ ध्यान देने की कोई कोशिश नही की। मैं वित्त मंत्री से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप के बजट की यह मंशा है कि हम अपने देश में समाजवादी ढंग के समाज के ढांचे की व्यवस्था करें, लेकिन क्या आप ने यह भी सोचा कि हिन्दुस्तान की आबादी का चौथाई हिस्सा, जो कि हरिजन कहलाने वाला है, पिछड़ा वर्ग कहलाने वाला है, शेडयूल्ड ट्राइब कहलाने वाला है, ऐसा है जिस के लिये कहा जाता है कि संविधान ने अस्पृश्यता निवारण का हक दिया गया। हमारे बजट में उन के लिये प्राविजन कर दिया जाता है, लेकिन जब कभी हम, लोक-सभा के सदस्य, प्रश्न पूछते हैं तो यही सुनने में आता है कि बजट के प्राविजन का पैसा स्टेट गवर्नमेंट खर्च नहीं कर पातीं और सेंट्रल गवर्नमेंट में जितना पैसा है वह भी खर्च नहीं हो पाता, वह लैप्स हो जाता है। मेरे सुनने में यही आता है कि जो नौकरियां हैं उनके लिये हमारे संविधान में दिखा दिया गया कि इतने परसेन्ट रिजर्व कोटा हरिजन वर्ग, पिछड़े वर्ग आदि को मिलेगा, लेकिन क्या मैं नम्रतापूर्वक वित्त मंत्री जी से या उन की सरकार से पूछ सकता हूं कि क्या उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में कभी इस तरह की कोशिश की कि वे देखें कि हरिजन जो कि क्वालिफाइड हैं, जो योग्य हैं, वे क्यों नहीं लिये जाते ? क्या कभी भी उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से यह पूछने की कोशिश की। मैं आप से दरख्वास्त करूंगा, जितनी हमारी सेक्रेटेरियट है, जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, मैं उन के पास अपनी आवाज आप के द्वारा पहुंचाना चाहता हूं, कि जब आप ने संविधान बनाया और गरीबों को उठाने के लिये कानून बना दिया है और अगर उस का इम्प्लिमेंटेशन नहीं होता तो इस में दोषी कौन है ? सारे का सारा देश और सारा समाज आज हमारे और आप के ऊपर यह लाछन लगायेगा कि आप ने कानून बना कर, नियम बना कर उस का पालन नहीं किया। आज हरिजनों को उठाने की जिम्मेदारी, अस्पृश्यता निवारण की जिम्मेदारी हरिजनों के ऊपर नहीं है। बल्कि उस के लिये यह देश और यह राष्ट्र जिम्मेदार है। आज हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट बनाया है उस में इस को एक राष्ट्रीय समस्या समझ कर, एक कठिन समस्या समझ कर, जितना पैसा रखना चाहिये था उस का प्राविजन नहीं किया है। मुझे प्रथम पंचवर्षीय योजना के बजट को देखने का मौका मिला, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बजट को देखने का मौका मिला, और यह बजट भी आया है, लेकिन आज देश के हरिजन कहे जाने वाले वर्ग में, बैकवर्ड कहे जाने वाले वर्ग में जो कि शिक्षा के लिये चिल्ला रहे हैं, उत्थान चाहते हैं, असंतोष पैदा होता है कि उन को आदमी बनाने के लिये कहा तो जाता है, लेकिन किया कुछ नहीं जाता। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप उन की भावनाओं का आदर करने के लिये ऐसे कदम उठायें जिस से उन की भावनाओं को प्रोत्साहन मिले।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हरिजनों को तमाम चीजें नहीं दे सकते तो न दें, मैं नहीं चाहता कि उन को आप उद्योग धन्धे दें, आप उन में पैसा बांटें, आप यह कुछ न

करें, लेकिन आप उन को शिक्षित तो कर ही सकते हैं। आप सब लोगों को फ़्री एजुकेशन और कम्पल्सरी एजुकेशन भले ही नहीं दे सकते हों, लेकिन क्या आप हरिजनों की, जिन के लिये कह दिया जाता है कि वे नौकरियों के लिये ड्यूली क्वालिफाइड नहीं हैं, फ़्री और कम्पल्सरी एजुकेशन की व्यवस्था नहीं कर सकते ? अगर आप उन को क्वालिफाइड करना चाहते हैं, योग्य बनाना चाहते हैं, तो क्या आप उन को फ़्री और कम्पल्सरी एजुकेशन नहीं दे सकते ? आज देश के और राष्ट्र के ऊपर यह बहुत बड़ा कर्ज है क्योकि सदियों से समाज ने और देश ने उन के ऊपर कोई तवज्जह नहीं दी है। जब कि वे हिन्दुस्तान के लिये टैक्स देते रहे हैं, जब कि वे देश की सेवा करते रहे हैं, तब भी देश ने और समाज ने उनको उचित स्थान नहीं दिया। इस के लिये देश और समाज का फर्ज है कि उन लोगो की स्थिति को बदले। इस बजट में जो कि हमारी योजना का आभास दे रहा है, इस के लिये स्पेशल प्राविजन क्यों नहीं किया गया ?

आज मैं खास तौर से खेतिहर मजदूरों की तरफ से अर्ज करना चाहता हूं कि भले ही आज कानून बने हुए हैं, मिनिमम वेजेज ऐक्ट बना हुआ है, लेकिन वह इम्प्लिमेंट नहीं होते। आपके बजट में उन के लिये घर बनाने के जिये, उन को रोटी देने के लिये, अच्छी शिक्षा देने के लिये, उन की औरतों को खाना और कपड़ा देने के लिये, कोई प्राविजन नहीं किया गया। आज हमारे कानून केवल किताब के पन्नों पर रह जाते हैं, उनका इम्प्लिमेंटेशन नहीं होता। हमने अपने उत्तर प्रदेश में देखा कि हमारी कचहरियों की दशा बड़ी दयनीय होती चली जा रही है। लोक सभा के अन्य सदस्यों ने भी शायद मंत्री महोदय के सामने इस तरह की बहुत सी बातें रक्खी हैं। आज इसकी तरफ तवज्जह क्यों नहीं दी जाती है। अगर आज कचहरियों पर से जनता का विश्वास उठ जाता है तो वे सरकार के पास नहीं जायेंगे, सरकारी अधिकारियों के पास नहीं जायेंगे। इस नाते हमारा और आपका कर्त्तव्य है कि जनता के दिल में, जिस जनता से हम टैक्स लेते हैं, यह भावना पैदा हो कि जो कुछ हम करते हैं वह उन के लिये ही करते हैं, हमारी जुडीशियरी, हमारी एग्जिक्यूटिव, हमारी कचहरियों जो हैं वे उन के लिये हैं। अगर हम उन को न्याय दे दें लेकिन इतनी देर से दें कि न्याय का परपज ही खत्म हो जाय, तो उस न्याय को न्याय नहीं कहा जा सकता। आज हम ने यह भी देखा कि हमारे तहसीलहेडक्वार्टर्स की कचेहरियों में घूसखोरी का बाजार इतना गर्म है कि जनता त्राहि त्राहि करती रहती है। आज इस के लिये भी हमारे बजट में प्राविजन नहीं है और न ही उन के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये, शिक्षा का स्तर उठाने के लिये कोई उचित कदम उठाये जा रहे हैं। जहां मैं साधारण जनता की तरफ से यह आवाज बुलन्द करता हूं कि आप टैक्स बड़े शौक से लीजिये, हम अपने देश के लिये त्याग करने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम उन की ओर से यह आवाज भी उठाना चाहते हैं कि आप हमें और कुछ न दीजिये, लेकिन जो हमारी साधारण जरूरत की चीजें हैं वह तो दें, जिन को हर एक साधारण सरकार देती है, हम आप से और कुछ नहीं मांगते, लेकिन जो साधारण जनता के उपयोग की चीजें हैं, जैसे केरोसीन आयल है, मोटा कपड़ा है, वह तो दें। आप लग्जरीज पर जितना चाहें टैक्स बढ़ा लें, हम इस में आप को हमेशा सपोर्ट करेंगे लेकिन जो साधारण जनता के उपयोग की चीजें हैं उन पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिये। हमारे कुछ दूसरे साथियों ने आंकड़े पेश किये कि आज हर एक वर्ग के व्यक्ति पर प्रति दिन ७ नये पैसे के हिसाब से टैक्स लगाया गया है। आप उन की गरीबी का खयाल रखते हुए उन को थोड़ा सा रिलीफ दें।

हम यह भी देखते हैं कि हमारे बजट के प्रोपोज़ल्ज़ से जो फ़ायदा देश के ग़रीबों को पहुंचना चाहिये, वह नहीं पहुंच रहा है—चाहे इस में हमारे अधिकारियों का दोष रहा हो, चाहे बजट के

[श्री गणपति राम]

प्रोपोज़ल्ज़ का दोष रहा हो। मैं यहां पर किसी के दोष निकालने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं। टैक्सेशन के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि सात नये पैसे पर-यूनिट लगेगा, लेकिन जनता से यह चौबीस और तीस नये पैसे पर-यूनिट वसूल कर लिया जायगा। इसलिये इस सम्बन्ध में थोड़ी राहत देने की ग्रावश्यकता है।

जैसा कि कुछ साथियों ने कहा है, ग्राज उत्तर प्रदेश की सरकार, वहां के ग्रधिकारी ग्रौर वहां की जनता यह महसूस करते हैं कि प्रथम पंच-वर्षीय योजना ग्रौर द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की ग्रवधि में उत्तर प्रदेश का जितना इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, ग्रौद्योगीकरण, होना चाहिये था, वह नहीं हो पाया है। पता नहीं केन्द्रीय सरकार ग्रौर वित्त मंत्रालय ने उस ग्रोर ध्यान दिया है, या नहीं। ग्रन्य प्रदेशों को देखते हुये उत्तर प्रदेश का ग्रौद्योगिक विकास नहीं के बराबर हुग्रा है। इस विषय में कभी यह कहा जाता है कि वहां की ज़मीन नर्म है, वहां बड़े-बड़े उद्योग नहीं पनप सकते ग्रौर ग्रभी यह कहा जाता है कि वहां पर कच्चे माल की कमी है: मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को इतना इग्नोर न किया जाये ग्रौर वहां की जनता में यह भावना न पैदा होने दी जाये कि उस के साथ न्याय नहीं होता है। वह भी देश का एक हिस्सा है ग्रौर उसका भी देश के ग्रन्य हिस्सों के समान विकास होना चाहिये।

थोड़े दिन हिले मैं उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में गया। कोयले की कमी की बजह से वहां कई पावर हाउस, मिलें ग्रौर शूगर फ़ैक्ट्रियां बन्द पड़ने वाली हैं, साधारण कामों का तो कहना ही क्या। इस सम्बन्ध में रेलवे मंत्रालय यह कहता है कि हम वैगन तो दे रहे हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है। दूसरी तरफ स्टील एंड माइन्ज़ मिनिस्ट्री यह कहती है कि खान पर काफी कोयला पड़ा है, उसका ट्रांस्पोर्टेशन नहीं होता है। रेलवे मंत्रालय की ग्रोर से स्टील एंड माइन्ज़ मिनिस्ट्री पर यह ग्रारोप भी लगाया जाता है कि वैगन्ज़ के लिये स्टील नहीं मिलता है। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के परस्पर दोषारोपण से यह समस्या हल हो सकेगी। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इस पर ग़ौर करे ग्रौर इस समस्या के समाधान के लिये ग्रावश्यक कदम उठाये, ताकि उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के ग्रौर भागों की ज़रूरत को भी पूरा किया जा सके ग्रौर यह कठिनाई दूर हो सके। उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग, मिल वाले यह ग्रनुभव करने लगे हैं कि बिहार से कोयला पंजाब में चला जाता है, मध्य प्रदेश में चला जाता है, गुजरात में चला जाता है, लेकिन वह कोयला उत्तर प्रदेश को नहीं मिलता है, जिस में से हो कर वह दूसरे प्रदेशो को जाता है।

एक माननीय सदस्य : पंजाब को भी नहीं मिलता है।

श्री गणपति राम : मैं यह जानता हूं कि हज़ारों वैगन कोयला उत्तर प्रदेश को नहीं मिले ग्रौर वहां से होकर ग्रागे चले गये।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय ग्रौर स्टील एंड माइन्ज़ मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुला कर इस प्रश्न को हल करने की ग्रोर पग उठाया जाये। यदि रेलवे मंत्रालय यह कहता है कि चूंकि वैगन हमारे हैं, इस लिये कोल कंट्रोलर भी हमारा होना चाहिये, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि किसी ग्रन्य व्यवस्था से कोयले की समस्या हल नहीं की जा सकती, तो फिर पुरानी व्यवस्था को ही ग्रपना लिया जाये ग्रौर रेलवे के ग्रनुभवी ग्रफ़सरों को वहां बिठा दिया जाये। इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। यह राष्ट्र की ज़रूरत है —केवल उत्तर प्रदेश की ज़रूरत नहीं है ;।

जहां तक टैक्स लगाने का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश में जो इनफ्लेशन पैदा हो रहा है, रुपये की कीमत घटती जा रही है, उस ओर शासन का ध्यान जाना चाहिये। किसान ग़ल्ला पैदा करता है, परन्तु यदि उस को उस की कीमत कम मिले और वह कपड़ा और जीवन की अन्य आवश्यक चीजें भी न खरीद सके, तो शासन को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये।

मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार सी० आई० डी० या पुलिस के ज़रिये प्राइस कंट्रोल की व्यवस्था करें। वह प्राइस कंट्रोल करने के लिये गवर्नमेंट की मलशीनरी को एफ़िशेन्ट बनाये, ताकि साधारण जनता बढ़ते हुये करों के बोझ को महसूस न कर सके।

देश में बढ़ते हुये जातिवाद, वर्गवाद और पक्षपात की ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यदि नौकरियों में हरिजनों को, ग़ैर-वर्णों को, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को जातीयता और वर्गवाद के नाम पर छांट दिया जाता है, तो कल वह दिन आ सकता है जब उन में इस व्यवस्था के प्रति असन्तोष होगा। हमारे ज़िम्मेदार मिनिस्टरों और गवर्नमेंट के लोगों पर यह ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिये, जो काबिल हैं। मैं नम्रतापूर्वक यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे लोग साधारण चपरासी, कानूनगो और अन्य साधारण कार्यों के लिये भी अनफ़िट हैं। अंग्रेज़ कहा करते थे कि हैम स्वाराज्य के लायक नहीं हो। आज अगर हमारे अधिकारियों, चुनाव अफसरों और ज़िम्मेदार लोगो की ओर से यही बात कही गई, तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मैं देश के एक ज़िम्मेदार आदमी की हैसियत से यह कहता हूं कि देश में ऐसी भावना पैदा होने से रोका जाये।"

श्री साधू राम (जालन्धर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट सदन के सामने पेश है, उसके मुताल्लिक मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो टैक्स हैं, वे ठीक हैं। टैक्सों के वगैर कोई गवर्नमेंट चल नहीं सकती और टैक्स लोगों पर ही लगते हैं। लेकिन कुछ टैक्स ऐसे हैं, जिनका इनडायरेक्स असर इस देश की आम जनता पर पड़ता है, गरीब लोगों पर पड़ता है। इन हालात में जबकि हमारे देश में बहुत से लोगों पर बड़ी गरीबी है, जो खाने से भी बेजार हैं, जिनको पहनने के लिये कपड़े नहीं मिलते, रहने के लिये मकान नहीं मिलता, अगर उन पर टैक्स का बोझ पड़ता है, तो वे बहुत दुख महसूस करते हैं।

हमारे देश में जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लोग हैं, उनकी हालत बड़ी खराब है। यह ठीक है कि पिछले सालों में हमारी गवर्नमेंट और हमारे वित्त मंत्री साहब ने उन लोगों की तरक्की के लिये काफी रुपये रखे, लेकिन फिर भी उनकी हालत सुधर नहीं पाई है। इस साल के बजट में कोई नया प्राविजन नहीं है कि उस रकम को बढ़ाया जाये, या उन लोगों की ज्यादा सहायता की जाये। इस वक्त हमारे देश में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ की गिनती को देखा जाये, तो वह दस बारह करोड़ के लगभग बनती है। फर्स्ट फाइव यीअर पालन में उनकी भलाई और अपलिफ्ट के लिये ३३ करोड़ रुपया रखा गया, जिसमें से २६ करोड़ रुपया खर्च हुआ और ७, ८ करोड़ रुपया लैप्स हो गया। सैकेंड फाइव यीअर प्लान में ६१ करोड़ रुपये की रकम रखी गई, जिसमें से ३२ करोड़ रुपया सैंटर का है और ५६ करोड़ रुपया स्टेट सैक्टर का है। अगर इस रकम को पांच सालों में तक्सीम किया जाये, तो एक साल में १८ करोड़ रुपया हिस्से में आता है। यह रुपया बहुत कम है। अगर १२ करोड़ आदमियों में यह १८ करोड़ रुपया बांटा जाये, तो गवर्नमेंट की तरफ से डेढ़ रुपया फी आदमी के हिसाब से अपलिफ्ट के लिये खर्च किया जाता है। इस तरह हमारा समाजवाद का नारा कब पूरा होगा, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

[श्री साधू राम]

जहां तक नौकरियों का संबंध है, मिनिस्ट्री आफ होम एफेयर्ज की तरफ से जो रिपोर्ट शाया हुई है, उससे मालूम होता है कि १६६१ तक आई० सी० एस० और आई० ए० एस० में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के आदमी सिर्फ ४८ हैं, आई० पी० एस० और आई० पी० में सिर्फ २६ हैं, क्लास वन सर्विसिज में १४२, क्लास टू में ५६६, क्लास थ्री में ५८,०५१, और क्लास फोर में १,१६,६०५ आदमी हैं। इस हिसाब से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लगभग १,७५,००० आदमी गवर्नमेंट की सर्विस में हैं। पिछले दस बारह साल से हरिजनों, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लिये गवर्नमेंट सर्विसिज में जो रिजर्वेशन रखी गई है—और जिस की इतनी चर्चा की जाती है—उससे सिर्फ १,७५,००० आदमियों को गवर्नमेंट सर्विस मिल सकी। मेरा ख्याल है कि यह बहुत धीमी चाल है और इस धीमी चाल से उनका भला होता मुश्किल नजर आ रहा है। चूंकि उनकी आबादी सारे देश की आबादी का चौथा हिस्सा है, इस वास्ते उनको सर्विसिज़ में लेने का सवाल बड़ा अहम बन गया है। ज्यादातर उनको जो सर्विस में लिया जाता है वह फोर्थ क्लास में ही लिया जाता है और इस क्लास में उनकी संख्या एक लाख सोलह हजार के करीब है और बाकी क्लासिस में उनकी संख्या सौ है, छब्बीस है या बत्तीस है। इससे पता चलता है कि उनके अपलिफ्टमेंट की जो चाल है वह बहुत धीमी है। अगर समाजवाद लाने का गवर्नमेंट का ख्याल है तो हमारे वित्त मंत्री जी तथा हमारी सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। अगर ऐसा न किया गया तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में समाजवाद बड़ी मुश्किल से आयेगा और उसको लाने के लिये कई सौ साल लग जायेंगे।

होम मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है, उसमें लिखा हुआ है :—

"गृह-कार्य मंत्रालय पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति तथा पिछड़े वर्ग की उन्नति की योजनाओं के अधीकक्षण की जिम्मेदारी है। संविधान में भी इन वर्गों के विकास की जिम्मेदारी राज्य तथा केन्द्रीय सरकार पर डाली गई है।"

इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट इस बात की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का अपलिफ्ट हो। मैं समझता हूं कि बजट में बहुत से रुपये की इस काम के लिये जरूरत थी और उसका अलग रख कर इन पिछड़े हुये वीकर सैकसंश पर खर्च करना चाहिये था।

आज हम देखते हैं कि देश में अनाज की बड़ी किल्लत है और अनाज की कमी को पूरा करने के लिये हम विदेशों से उसे मंगा रहे हैं। लेकिन इस कमी को देश में ही अधिक अनाज पैदा करके कैसे दूर किया जा सकता है, इस ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। जो फालतू जमीन है, उसको आज तक हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सके हैं। ये जो शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के आदमी हैं ये ज्यादा इंटिरेस्ट खेती-बाड़ी में के काम में लेते हैं। ये लोग हर सूबे में हैं, हर प्रांत में हैं। ये जमींदारों के लिये काम करते हैं। इनके बीच में आज तक भी हम जमीन की तकसीम नहीं कर पाये हैं। इन बेचारों के पास जमीन नहीं है और ये चाहते हैं कि इनको जमीन मिले ताकि उसमें काश्त करके ये आगे बढ़ सकें। पिछले १३-१४ सालों में हम इस काम को नहीं कर सके हैं। चूंकि देश में अनाज की किल्लत है, इनके पास करने के लिये कोई काम भी नहीं है, अनएम्प्लायमेंट भी बढ़ रही है, उस किल्लत को दूर करने के लिये और इनमें फैली हुई बेरोजगारी का खात्मा करने के लिये यह जरूरी था कि इनको जमीन दी जाती। आज भी साढ़े तीन एकड़ जमीन पंजाब में मौजूद है लेकिन उसकी तकसीम नहीं हुई है। चाहिये यह था कि इस जमीन को कोओप्रेटिव सोसाइटीज़ को दे दिया जाता। हम साझी खेती का नारा लगाते हैं, सहकारी खेती का नारा लगाते हैं और समझते हैं कि इससे देश की

पैदावार बढ़ेगी, लेकिन कोआप्रेटिव सोसाइटीज़ को जो इस काम को करना चाहती हैं, हम जमीन नहीं देते हैं। क्या हम यह चाहते हैं कि वे मकानो की छतों पर खेती करके पैदावार को बढ़ायें? आखिरकार खेती तो जमीन पर ही हो सकती है। इस वास्ते जमीन की तकसीम हमें जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिये।

अब मैं स्कालरशिप्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जो स्कालरशिप्स शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के भाइयों को दिये जाते हैं वे साल के आखीर में दिये जाते हैं। अभी भी मेरे पास बहुत सी रिपोर्टें हैं जिनमें शिकायत की गई है कि मार्च में उनको स्कालरशिप्स मिलते हैं। जो लोग बेचारे अपनी हिम्मत से नहीं पढ़ सकते हैं, उनको अगर सरकार स्कालरशिप्स देना चाहती तो वक्त पर देने चाहियें। लेकिन वे टाइम पर नहीं दिये जाते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि उनको बीच में ही अपनी स्टडी को बन्द कर देना पड़ता है और वे बेचारे अनपढ़ के अनपढ़ रह जाते हैं। जो स्कालरशिप्स दिये जाते हैं, उनके लिये तो हम आपका धन्यवाद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे प्रार्थना करते हैं, कि उनको स्कालरशिप्स वक्त पर दे दिये जाया करें।

अब मैं रिफ्यूजीज़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जो हरिजन रिफ्यूजी पाकिस्तान से आये उनको मकान दिलवाने की हमने बड़ी कोशिश की है। लेकिन इसमें कई दिक्कतें पेश आ रही हैं। जो मुसलमान यहां से गये उनमें से जो कम्मियों के मकान थे, वे हमारे रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर श्री मेहरचन्द खन्ना साहब ने बड़ी मेहरबानी करके दस बीस रुपये में हरिजनों को जो उधर से आये थे देना मंजूर कर लिया। लेकिन उसमें एक झगड़े की बात रह गई थी। मुसलमान कम्मी जो यहां से गये उनके मकान जब एलाट हुये तो फर्स्ट प्रेफ्रेंस उनका था जो जमीन के एलाटी थे। लेकिन चूंकि हरिजन लैंड ओनर्स नहीं थे इस वास्ते रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर साहब ने आर्डर निकाला कि कम्मियों के मकान हरिजनों को दे दिये जायें जो पाकिस्तान से आये थे। अच्छे अच्छे मकान तो लैंड एलाटीज़ ने ले लिये लेकिन ये जो मकान थे, ये हरिजनों को दे दिये गये। इन मकानों के बारे में दस रुपये प्लाट की कीमत और दस बीस रुपया मकान की कीमत मुकर्रर कर दी गई। इसके अलावा जो जमींदारों के मकान थे जिनमें हरिजन आकर आबाद हुये उनका वैल्युएशन कराने के लिये रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री मजबूर कर रही है। चूंकि ये बेचारे गरीब हैं, किसानों का काम करते हैं, लैंड ओनर्स का काम करते हैं, दूसरो के लिये खेती-बाड़ी करते हैं, इस वास्ते वे बेचारे इतनी अधिक पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अब अगर वे पेमेंट नहीं करते हैं तो घरों से निकाले जा रहे हैं। अब उनको अगर मकानो से निकाला गया तो यह एक बहुत डिसटरबेंस की बात होगी। इसके बारे में कई बार रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री को दरख्वास्तें भेजी गई हैं और उससे प्रार्थना की गई है कि उनको दुबारा न उजाड़ा जाये और कंसैशनल रेट पर १०–२० रुपये जो वसूल करने हैं कर लो। लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। एक आजाद देश में लोगों को, गरीब लोगों को रहने के लिये मकान तो मिलना चाहिये। पाकिस्तान में भी आखिर वे मकानों में ही रहते थे, आसमान पर तो नहीं रहते थे। अगर मकानों में रहते थे तो क्या आप यहां पर उनको मकान नहीं दे सकते हैं। अगर मकान नहीं दे सकते हैं तो आजादी का क्या मतलब है। वे लोग समझते हैं कि जो वैल्युएशन उनके मकानों की पड़ी है वह बहुत ज्यादा पड़ी है और उसको वे अदा नहीं कर सकते हैं। अब अगर वे वल्युएशन के मुताबिक रुपया अदा नहीं करते हैं तो ये मकान आक्शन किये जाते हैं और उनको घरों से निकाला जाता है। इस तरह की जो हालत हो रही है, इसको सुधारा जाना चाहिये। हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हमारा देश आजाद है, हम यह भी चाहते हैं कि हमारा देश खुशहाल हो, समाजवाद का नारा भी हम लोग लगाते हैं, लेकिन अगर ऐसे देश में लोगों को रहने के लिये मकान नहीं मिल सकते हैं तो

[श्री साधु राम]

उनके लिये इस सोशलिस्टिक पैटर्न का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्या उनको आजादी का लाभ हुआ? इस वास्ते इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

मैं यह भी चाहता हूं कि बजट में उनके मकानों के लिये, उनकी मकानों की समस्या को हल करने के लिये कुछ न कुछ रकम अलग रखी जानी चाहिये।

इसके अलावा किसान जो चीजें पैदा करते हैं, मैं चाहता हूं कि वे महंगे भाव पर बिकनी चाहियें। इस कमर तोड़ महंगाई में जबकि अनएम्प्लायमेंट का भी बड़ा जोर है, सरकार को इस अनएम्प्लायमेंट को दूर करने के लिये कदम उठाने चाहियें। जिन लोगों को शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज कहा जाता है और उनकी बिरादरी में और भी बहुत से लोग आ जाते हैं, जो गरीब हैं, उनके लिये खास तौर से आपको नौकरियों का बन्दोबस्त करना चाहिये। उनके घरों में जाकर आप देखें कि उनकी कैसी हालत है। आपको हैरानी होगी यह देखकर कि वे कैसे अपनी जिन्दगी गुजारते हैं। व जब हमसे पूछते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने उनके लिये क्या काम किया है, तो इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं बन पड़ता है, हम कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। उनकी अनएम्प्लायमेंट को दूर करने के लिये जो फाल्तू जमीन है, वह उनके बीच तक्सीम की जानी चाहिये। गवर्नमेंट को जो खेती-बाड़ी में इंटिरेस्टिड हैं, उनको जमीन देनी चाहिये। आपने जमीन पर सीलिंग लगाई, लेकिन उसके बाद इस पर अमल नहीं हुआ। साढ़े तीन लाख एकड़ जो जमीन मैंने बताई है है फाल्तू पड़ी हुई है, उसमें काफी लोगों को बसाया जा सकता है, मुल्क की पैदावार बढ़ाई जा सकती है, अनएम्प्लायमेंट की समस्या को कुछ हद तक हल किया जा सकता है।

एक खादी बोर्ड भी सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है जिसके जरिये दो अरब रुपया सालाना उन लोगों के लिये खर्च किया जाता है जो लोग हाथ से काम करते हैं, जो दस्तकार लोग हैं। लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं, जो हाथ से काम करते हैं, उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता है। ऊपर जो महकमे बने हुये हैं वे सारे का सारा रुपया इधर उधर खर्च कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि खादी बोर्ड में भी शैड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं, जो दस्तकारी करने वाले लोग हैं, या दूसरे लोग हैं, उनको शामिल किया जाना चाहिये, उनको रिप्रिजेंटेशन उसमें मिलना चाहिये ताकि वे सही तौर पर रुपये को खर्च करवा सकें।

आज हमारी मिलिट्री में कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है। आजादी के बाद भी कई तरह के लोग हैं, जिनको मिलिट्री में भरती नही किया जाता है। अगर कोई यह कहदे कि वह हरिजन है तो उसको कोई भरती नहीं करता है। मेरे जैसा मोना हरिजन वहां भरती नहीं हो सकता है लेकिन अगर मैं उदासी या मजहवी सिख अपने को लिखा दूं तो मुझ को भी लिया जा सकता है। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन देश में नहीं होना चाहिये। अगर कोई मुल्क की रक्षा करने के काबिल है, फिट है, फौज में काम कर सकता है तो उसको फौज में भरती क्यों न किया जाये। मैं नहीं समझता हूं कि जातों के हिसाब से फौज में भरती होनी चाहिये। डा० अम्बेदकर साहब की मेहरबानी से एक महार रेजीमेंट भी बनी है, एक रेजीमेंट का नाम महार रेजीमेंट रख दिया गया, लेकिन देश में चमार भी बसते हैं, दूसरे शैड्यूल्ड कास्ट के लोग भी बसते हैं उनको भी तो फौज में भरती होने का मौका मिलना चाहिये। जो भी पाबन्दियां लगी हुई हैं, उनको हटा दिया जाना चाहिये।

इस कमर तोड़ महंगाई में किसानों की जो पैदावार है, उसकी कीमत बढ़नी चाहिये। लेकिन साथ ही साथ लोगों को खाने के लिये नहीं मिलता है, उनके लिये भी गवर्नमेंट को कुछ न कुछ बन्दोवस्त

करना चाहिये। आज १६ और १७ रु० मन गन्दम का भाव है। जिस गरीब के चार या पांच बच्चे हैं उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा है। मैं समझता हूं कि इस बजट में गवर्नमेंट को ऐसा प्राविजन रखना चाहिये था कि किसानों की पैदावार की कीमत भी न घटे, लेकिन गरीबों को सस्ते भाव पर अनाज, कपड़ा और जो दूसरी जिन्दगी को बचाने के लिये जरूरी चीजें हैं, उन्हें गवर्नमेंट मुहैया करे। मजदूरों और किसानों और गरीबों के लिये इस बजट में कुछ प्राविजन होना चाहिये था।

मैं आप से मजदूरों की बाबत अर्ज करूं। आप जानते हैं कि इस वक्त टैक्सटाइल मिलों में, शुगर मिलों में, जूट मिलों में जो मजदूर काम करते हैं उनके लिये एक वेज बोर्ड मुकर्रर किया गया लेकिन उस वेज बोर्ड की रिपोर्ट ही शाया नहीं हुई। पता नहीं कितने-कितने साल लग जाते हैं इस तरह के कामों में। शुगर वेज बोर्ड की रिपोर्ट पिछले नवम्बर की है लेकिन वह आज तक शाया नहीं हुई। मजदूर बेचारे रो रहे हैं कि उनको कोई मिल वाला वेतन नहीं देता है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये] :

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : रिपोर्ट शाया हो गई है, लागू नहीं हुई है।

श्री साधूराम : इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि जमीन की तकसीम, रिफ्यूजीज का मसला, हरिजनों का मसला, फौज में भरती, खादी बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन वगैरह बहुत से ऐसे मामले हैं जो गवर्नमेंट और वित्त मंत्री के देखने के काबिल हैं। नागपुर रेजोल्यूशन का इम्प्लिमेंटेशन तभी हो सकता है जब हमारी गवर्नमेंट उसको इम्प्लिमेंट करे।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मकान भी तो मिलने चाहियें ?

श्री साधू राम : मकान भी मिलने चाहियें। इस सिलसिले में गवर्नमेंट वीकर सेक्शन पर ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च करे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर वीकर सेक्शन को इग्नोर कर दिया जाय और उनकी मांगों का ख्याल हमारे वित्त मंत्री साहब न रक्खे तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ समाजवादी ढंग के समाज का नारा लगाने से जो डिस्पैरिटी है देश में वह कभी दूर होने वाली नहीं है। आज हम कोई साढ़े पांच करोड़ रुपया प्रीवी पर्स की तरह पर पुराने रूलर्स को दे रहे हैं।

श्री रा० स० तिवारी (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, प्रति वर्ष राजकीय आय और व्यय के बारे में सदन में आंकड़े पेश किये जाते हैं, और वह इसलिये किये जाते हैं किये जिससे साल में राज्य द्वारा किये हुए कार्यों का परीक्षण हो सके और साथ ही भविष्य में आने वाले सालों के कार्यों का लेखा भी उसमें मिले। इसलिये यह बजट हर साल पेश किया जाता है और उस में यह देखा जाता है कि उसमें जनहित का कार्य कितना हुआ और जन के अहित का कार्य कितना हुआ। यह हमारे बजट से ही पता चलता है। राज्य को कसौटी बजट है। यही एक मात्र ऐसा उपाय है जिससे हम को पता चलता है कि शासन कुशलतापूर्वक काम कर रहा है या अकुशलतापूर्वक काम कर रहा है क्योंकि बजट बनने के बाद ही राज्य का परीक्षण होता है।

बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने करीब ६० करोड़ रुपये का टैक्स लगाया है। प्रजातंत्र सरकार के लिये टैक्स लगाना आवश्यक होता है क्योंकि प्रजातंत्रिक प्रणाली में प्रजा से थोड़ा-थोड़ा कर लेकर उसी के हित में लगाना होता है। तभी प्रजातंत्र का सफल होना निश्चित होता है। लेकिन उसमें यह देखना पड़ता है कि वह टैक्स जनता से वसूल होने में कोई कठिनाई तो पैदा नहीं हो सकती है। कठिनाई न होने पर ही उसे वसूल किया जाना

[श्री रा० स० तिवारी]

चाहिये । लेकिन अभी मैंने पिछले आंकड़े इसमें देखे तो दिखलाई दिया कि ६० करोड़ रुपये के टैक्स और लग गये हैं जब कि पिछले टैक्स की वसूली पड़ी है जो कि २७० करोड़ रुपये है । अगर इस २७० करोड़ रुपये की वसूली हो जाती है तो मैं समझता हूं कि इस ६० करोड़ रुपये टैक्स लगाने की जरूरत कतई नहीं आ सकती थी । मेरा निवेदन यह है कि वह २७० करोड़ रूपये उन लोगों के जिम्मे है जो दे सकते हैं उनसे उसे सख्ती से वसूल किया जाता तो वसूल हो जाता, लेकिन नहीं किया गया और वह बकाया दिखलाया गया है।

मैं यह नहीं कह सकता कि पिछली दो योजनाओं के दौरान, दस वर्षों की अवधि में देश में कोई कार्य नहीं हुआ । बहुत उन्नति हुई है, कृषि माले के में, उद्योग के मामले में, यातायात के मामले में और जितने कार्य समाज सुधार के हैं उनमें खूब रुपया खर्च किया गया है। लेकिन अब आगे के लिये जो काम हमारे करने को पड़ा है वह चार, पांच बातों पर निर्भर दिखाई देता है ? एक तो खेती, दूसरे उद्योग, तीसरे सीमा रक्षा तथा चौथे पिछड़े वर्गों की उन्नति । इन चार बातों के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है । खेती के बारे में मैं आप से निवेदन करूं कि जब अपने देश के प्रति व्यक्ति की आमदनी करीब ३०० रुपये के हो गई है तो किसानों को आमदनी केवल १०५ रु० है। हम यह भी देखते हैं कि जब किसानों का गल्ला अच्छा होता है और काफी दाम मिलने की सम्भावना होती है तो हमारी सरकार रुपया बचा कर विदेशों से गल्ला मंगाती है, और ऐसा उस गल्ले का भाव गिराने के लिये किया जाता है । किसानों के सामने यह दिक्कत आती है कि टैक्स भी उन्हीं किसानों पर लगता है और राष्ट्र की सम्पत्ति का उत्पादन भी किसान करता है, दूसरे लोग नहीं करते हैं। उद्योगपति तो रुपये को सवाया और ड्योढ़ा करते हैं ; उद्योग और व्यापार में रुपये पैसे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो राष्ट्र की चीज है वह किसानों के द्वारा उत्पन्न की जाती है । वे लोग खेती से अन्न पैदा कर राष्ट्र की चीजें बनाते हैं, लेकिन किसानों के लिये कोई भी राहत बजट में नहीं दी गई है । मैं तो वित्त मंत्री जी को एक चीज बतलाना चाहता हूं कि जहां तक किसानों के ट्रैक्टर लेने का सवाल है, जब वह ट्रैक्टर खरीदता है तो उससे उस पर २००० रुपये की ड्यूटी पहले जमा करा ली जाती है, तब ट्रैक्टर मिलता है। फिर चार, छः महीने के बाद वह २,००० रुपये वापस होता है । आप के यहां यह लिखा हुआ है कि हम ड्यूटी नहीं लेते, लेकिन फिर भी खरीदते वक्त ट्रैक्टर लेने वाले को २,००० रुपये जमा करना पड़ता है। भले ही वह बाद में वापस हो जाये लेकिन ट्रैक्टर की कीमत के अलावा २,००० रुपये का इंतजाम करने में किसान बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खेती के बारे में जो भी औजार खरीदें जायें उनके ऊपर इस तरह से ड्यूटी न वसूल की जाये बल्कि खेती के बारे में सरकार के पूरी तरह से माफी कर देनी चाहिये । हालांकि माफी एक तरह से है ही, लेकिन वह पहले जमा करा ली जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

[इसके बाद लोक-सभा शुक्रवार, १७ मार्च, १९६१ / २६ फाल्गुन, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, १६ मार्च, १९६१
२५ फाल्गुन, १८८२ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२६०५—३२
तारांकित प्रश्न संख्या		
८९३	भारत के बारे में रूसी मानचित्र	२६०५—०७
८९४	औद्योगिक नमूना संस्था	२६०८—१०
८९६	भारत-पाकिस्तान संचालन समितियां	२६१०–११
८९७	प्रादेशिक विकास	२६११—१४
८९९	उड़ीसा में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए मकान	२६१४–१५
९००	ऐनकों आदि के शीशे का कारखाना	२६१५–१६
९०१	पाकिस्तान को बेरूबारी का हस्तान्तरण	२६१६—१८
९०२	दिल्ली में राज्य व्यापार निगम के कार्यालय के लिए स्थान	२६१८—२०
९०३	नेपाल से शरणार्थी	२६२०
९०४	चीन में भारतीय राजदूतावास के कर्मचारी	२६२१—२३
९०५	संयुक्त राज्य अमरीका के डाक टिकट	२६२३—२५
९०६	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मभारित कर्मचारियों की समस्या	२६२५–२६
९०७	नेपाल को सहायता	२६२७–२८
९०९	पत्रकारों के दल द्वारा नागालैंड की यात्रा	२६२८—३०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
७	मध्य प्रदेश में मैंगनीज की खानें	२६३०—३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२६३२—६०
तारांकित प्रश्न संख्या		
८९५	भारी ढांचे और जलपोत परियोजनायें	२६३२
८९८	राष्ट्रमंडलीय संवैधानिक विकास	२६३२

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

९०८	दर्शन यंत्रों के शीशे	२६३२–३३
९१०	घड़ियों का कारखाना	२६३३
९११	विकिरण द्वारा फल-परिरक्षण	२६३३–३४
९१२	गृह-निर्माण योजनाओं के लिए राज्यों को ऋण	२६३४
९१३	उड़ीसा में बेरोजगारी	२६३४
९१४	दक्षिण अफ्रीका में भारतीय	२६३४–३५
९१५	अमृतसर में ऊनी कपड़े के कारखानों का बन्द होना	२६३५
९१६	कराची में भारतीय दूतावास को पहुंची क्षति के लिए प्रतिकर	२६३६
९१७	संयुक्त राष्ट्र संघ के मानचित्रों में काश्मीर की स्थिति	२६३६
९१८	सरकारी क्वार्टरों का दिया जाना	२६३६–३७
९१९	नान-कोकिंग कोयले की धुलाई के कारखाने	२६३७
९२०	पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास	२६३७
९२१	जनेवा में श्रम सहचारी	२६३७–३८
९२२	अम्बर चरखा	२६३८
९२३	लैम्बरेटा स्कूटर	२६३९
९२४	अनुशासन संहिता	२६३९
९२५	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत हस्पताल	२६४०

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१७९३	दिल्ली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को औद्योगिक प्रशिक्षण	२६४०
१७९४	विभिन्न भाषाओं में बनायी गयी फिल्में	२६४१
१७९५	फिल्म समारोहों में भारतीय फिल्में	२६४१
१७९६	पंजाब में बेरोजगारी	२६४२
१७९७	नेपाल को सहायता	२६४२
१७९८	पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग	२६४२–४३
१७९९	बम्बई में हथकरघा श्रमिकों के लिये आवंटन	२६४३
१८००	भारत-पाक सीमान्त समझौते	२६४३
१८०१	ऊनी तथा रेशमी खादी पर छूट	२६४३–४४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या

१८०२	पंजाब में छोटे पैमाने के हथकरघा उद्योग .	२६४४
१८०३	सरकारी उपक्रमों को राष्ट्रपति की ओर से पुरस्कार . .	२६४४
१८०४	पाकिस्तान के मुसलमान यात्री . . .	२६४४–४५
१८०५	मंत्रियों के लिए निवास स्थान . . .	२६४५
१८०६	रसायनों का आयात	२६४५
१८०७	रूरकेला इस्पात परियोजना क्षेत्र में छोटे पैमाने के उद्योग .	२६४५
१८०८	यूरोपीय देशों को लौह अयस्क का निर्यात .	२६४६
१८०९	गाय की आंतों का निर्यात .	२६४६
१८१०	दिल्ली का औद्योगिक सर्वेक्षण . . .	२६४७
१८११	राज्य व्यापार निगम . .	२६४७
१८१२	कागज बनाने की मशीनें . . .	२६४७–४८
१८१३	एरणाकुलम् में इस्पात के रस्से तैयार करने का कारखाना .	२६४८
१८१४	स्विट्जरलैण्ड के साथ चाय का व्यापार . .	२६४८
१८१५	लाख की वस्तुओं का निर्यात . . .	२६४९
१८१६	औद्योगिक कारखानों का बन्द हो जाना . .	२६४९
१८१७	नागा पहाड़ियों में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां	२६४९–५०
१८१८	पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा छापे . .	२६५०
१८१९	नेपाली विमान चालकों को प्रशिक्षण . . .	२६५०
१८२०	सड़क निर्माण में काम आने वाली मशीनें . .	२६५०–५१
१८२१	शरणार्थी मार्किटों में दुकानों के स्वामित्व अधिकार .	२६५१
१८२२	भारी मशीनी पुर्जों का निर्माण .	२६५१–५२
१८२३	बेतिया कैम्प (बिहार) के विस्थापित व्यक्ति	२६५३
१८२४	इंडोनेशिया में जेल भेजे गये भारतीय .	२६५३
१८२५	गोआ . . .	२६५३–५४
१८२६	औद्योगिक उत्पादन	२६५४
१८२७	सस्ती दरों पर बिजली की सप्लाई का उद्योगों पर प्रभाव	२६५४
१८२८	अफ्रीका में नया राजदूतावास स्थापित करना .	२६५४–५५
१८२९	योजनाओं का प्रचार .	२६५५
१८३०	कपड़ा मिलें	२६५५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या

१८३१	पारपत्र जारी करने सम्बन्धी नियम .	२६५५–५६
१८३२	बड़े नगरों में टेलीविजन कार्यक्रम .	२६५६
१८३३	श्रम नियमों के लागू करने के लिये पदाधिकारी	२६५६–५७
१८३४	तीसरी योजना के अधीन मद्रास के लिये परिव्यय .	२६५७
१८३५	मध्यम तथा निम्न आयवर्ग आवास योजना के लिये ऋण	२६५७
१८३६	आकाशवाणी द्वारा संसद् की कार्यवाही की समीक्षा .	२६५७–५८
१८३७	हिन्दी रक्षा समिति . . .	२६५८
१८३८	जम्मू तथा काश्मीर में औद्योगिक बतिस्यां .	२६५८
१८३९	जम्मू तथा काश्मीर में छोटे पैमाने के उद्योग .	२६५८–५९
१८४०	संभरण तथा निपटान महानिदेशालय की निपटान शाखा	२६५९
१८४१	औद्योगिक आवास योजना	२६५९
१८४२	दिल्ली में कस्टोडियन जनरल के कार्यालय से कागजात की चोरी	२६६०
१८४३	त्रिपुरा के चाय बागानों में श्रमिक	२६६०

अविलम्बनीय विषय की ओर ध्यान दिलाना . . . २६६०—६२

श्री अजित सिंह सरहदी ने विस्थापित व्यक्तियों की चल सम्पत्ति और बैंकों में जमा धन आदि के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की कथित असफलता की ओर पुनर्वास मंत्री का ध्यान दिलाया ।

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६६२–६३

निम्नलिखित पत्र टेबल पर रखे गये :—

(१) उन मामलों की एक प्रति जिन में इण्डिया स्टोर डिपार्टमेंट, लन्दन और इण्डिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन द्वारा ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में निम्नतम टेण्डर स्वीकार नहीं किये गये ।

(२) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग एक्ट, १९५६ की धारा २४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत वर्ष १९५९–६० के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

(३) वर्ष १९५९–६० के लिये रबड़ बोर्ड के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति ।

(४) कम्पनीज एक्ट, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित रिपोर्टों की एक-एक प्रति :—

(क) वर्ष १९५९–६० के लिये सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) वर्ष १९५९–६० के लिये हिन्दुस्तान कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

विधेयक पुरःस्थापित . २६६३

नमक उपकर (संशोधन) विधेयक ।

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . . २६६३—२७१४

आय-व्ययक (सामान्य), १९६१–६२ पर सामान्य अग्रेतर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार १७ मार्च, १९६१/२६ फाल्गुन, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि

सामान्य आय-व्ययक (१९६१–६२) पर अग्रेतर सामान्य चर्चा, सामान्य आय-व्ययक के बारे में वर्ष १९६१–६२ के लिये लेखानुदान की मांगों पर मतदान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१ तथा बीमा (संशोधन) विधेयक पर विचार तथा उनका पारित किया जाना और गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा ।

GMGIPND—L.S.III—2374(Ai)L.S.D.—1-5-61—125